हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

19.11.2026/1100/वाई0के0/ए0पी0/-01

Speaker : We have to continue with Rule-67. Hon'ble Chief Minister, you want to say something. माननीय मुख्य मंत्री जी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के सभी सदस्यों, सत्तापक्ष और विपक्ष, से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण बिल अभी सदन में आने हैं। यदि सदन की सहमति हो तो इन बिलों को सदन में ले कर दिया जाए क्योंकि इन पर अभी चर्चा होनी है। मुझे लगता है कि सदन के आज या कल तक का समय पर्याप्त नहीं होगा। हमें हाउस को दो दिनों के लिए एक्सटेंड करना पड़ सकता है? क्योंकि 13-14 बिल हैं और इन सभी बिलों पर चर्चा होनी है। यदि आप इन्हें सदन में ले करने की अनुमति देंगे तो कल हम सभी सदस्यों को ये बिल सर्कुलेट कर देंगे। आज शाम हम रिप्लाई देंगे और उसके बिलों और प्रश्न काल पर चर्चा हो सकती है। मैं माननीय सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें बिलों को ले करने की आप परमिशन दे दीजिए। मेरा इस सदन से अनुरोध रहेगा।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमें एक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहिए। जब नियम-67 के अंतर्गत इस माननीय सदन में चर्चा चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस समय हमें कोई अन्य बिजनेस लेना चाहिए या सदन का कोई अन्य कार्य संचालित करना चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि विषय गंभीर है और विपक्ष तथा सत्तापक्ष, दोनों की ओर से सभी माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस चर्चा की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हालांकि प्राइवेट मेंबर डे है। लेकिन जिस दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है उस दिन हमेशा यह व्यवस्था रहती है कि कोई अन्य बिजनेस नहीं होता और प्राइवेट मेंबर बिजनेस को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जब नियम-67 के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं तो इसे भी हमें छोड़ देना चाहिए। नियम-67 के अंतर्गत चर्चा के दौरान आप उस पर विचार कर सकते हैं। आप माननीय सदन की बैठकों को बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.11.2026/1105/AT/YK/01

श्री जय राम ठाकुर जारी ...

अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे भी इस संबंध में आग्रह किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा था कि विधान सभा का सत्र समय से काफी पहले आयोजित किया जा रहा है। मैंने यह बात भी कही थी कि इन दिनों शादियों का बहुत बड़ा सीजन है। आमतौर पर अध्यक्ष महोदय, जब भी सदन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। पता नहीं किस कारण से इस बार आपने इतनी जल्दी सत्र आयोजित कर दिया और वह भी ऐसे समय में रखा जब सभी विधायक, यहां तक कि आपके सत्तापक्ष के विधायक भी कह रहे थे कि एक-एक दिन में पाच-पांच और दस-दस शादियों के निमंत्रण हैं। सभी विधायक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे। इसके बावजूद अब जब सत्र शुरू हो चुका है तो मेरा मानना है कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर चर्चा एक बार पूरी कर लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। कल जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई, जिसमें छह बच्चों की मृत्यु हो गई। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बताया गया है कि मृतक बच्चों में एक की आयु 21 वर्ष थी, जबकि शेष सभी बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के थे। कुछ परिवारों में तो वह इकलौता बच्चा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह अत्यंत दुखद घटना है। यह सदन भी उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस दुख की घड़ी में सरकार की ओर से उन परिवारों को यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

19.11.2026/1105/AT/YK/02

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री ।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष से आग्रह किया है कि विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। ये विधेयक कोई राजनीतिक विधेयक नहीं हैं बल्कि प्रदेश के हित से जुड़े हैं। इनकी संख्या 13 है। विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करना अनिवार्य है और इन्हें पारित करने से तीन दिन पूर्व सदन में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि आज विपक्ष द्वारा नियम-67 के अंतर्गत की जा रही चर्चा के कारण इन विधेयकों को प्रस्तुत नहीं किया गया तो इन्हें समय पर प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। आप भी तीन दिन के इस अंतराल के प्रावधान से भली-भांति परिचित हैं और माननीय जय राम जी भी इसे जानते हैं।

इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अभी दस मिनट के लिए इस बहस को विराम देकर आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी 13 विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इन विधेयकों को प्रस्तुत करने में अधिक समय नहीं लगेगा। प्रत्येक विधेयक को प्रस्तुत करने में मुश्किल से एक मिनट लगेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष: आज तो केवल इनका introduction ही है।

उद्योग मंत्री : मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने दिया जाए।...(व्यवधान) मैंने कल भी विपक्ष से आग्रह किया था। देखिए बिक्रम जी,...(व्यवधान)

Speaker: Let him complete first.

उद्योग मंत्री : मैंने आपसे कल भी अनुरोध किया था। आज निजी सदस्य कार्य दिवस (Private Members' Day) आज निर्धारित था। विधान सभा के प्रत्येक सत्र में एक निजी सदस्य कार्य दिवस होना अनिवार्य है। मैंने विपक्ष से आग्रह किया था लेकिन उन्होंने मेरी

19.11.2026/1105/AT/YK/03

बात नहीं मानी और कहा कि नियम 67 ही चलेगा। मैं केवल इसलिए आग्रह कर रहा हूं क्योंकि विधेयकों का पुरःस्थापन तीन दिन पहले किया जाना आवश्यक है। अभी 10 मिनट हो गये, यदि आज हम दस मिनट में इस चर्चा को विराम देकर सभी 13 विधेयकों को प्रस्तुत कर देने थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जय राम ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि please allow the Bills to pass in the interest of public. अच्छा फिर आज इंट्रोड्यूस होंगे, आपको फिर कल कॉपी जाएगी, आज शाम को कॉपी जाएगी, कल कॉपी जाएगी। आपने भी पढ़ना होगा, आपने भी चर्चा करनी होगी, आपने भी कंट्रीब्यूट करना होगा उन बिल्स के लिए। अगर हमारे बिल ही कल होंगे तो परसों फिर पासिंग करानी पड़ेगी। मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप इस पे जो है मुख्यमंत्री जी के निवेदन पे इसको दोबारा से पुनर्विचार करें सर।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, यदि आज हमारी चर्चा पूरी हो जाती है तो उसके बाद मुख्य मंत्री जी के उत्तर के पश्चात भी विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है और न ही यह एक स्वस्थ परंपरा है। एक दिन आप कहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि नियम-67 के अंतर्गत चर्चा होनी है और दूसरे दिन आप कहते हैं कि सरकारी कार्यवाही बहुत जरूरी है

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

19.11.2026/1110/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री जय राम ठाकुर..... जारी

जब प्रश्न काल में सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के प्रश्न छोड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि प्रश्न काल से अधिक महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता और बिल तो आते ही रहेंगे। सरकार बिना बिलों के भी जो कार्य कर रही है, वह धक्के से कर ही रही है। इसमें तो दो राय नहीं है। मेरा कहने का आशय यह है कि आज यह चर्चा समाप्त होने के बाद यदि बिल पुरःस्थापित करने हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये बिल प्रदेश के हित से संबंधित हैं और इनमें दो बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक बिल प्रदेश की संपदा से संबंधित है जिस विषय पर काम रोको प्रस्ताव आया हुआ है, उसी से संबंधित हमने एक बहुत बड़ा बिल लाया है। यह बिल प्रदेश के हित और प्रदेश की संपदा से संबंधित है। दूसरा बिल विधवा बहनों को कानूनी अधिकार देने से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह कह रहे हैं कि इसके लिए सदन की सहमति आवश्यक है। सत्तापक्ष आपसे सदन की सहमति मांग रहा है और आग्रह कर रहा है कि आपको भी बिल पढ़ने में समय लगेगा। श्री रणधीर शर्मा जी ने बिलों पर बोलना है और आपने भी बोलना है। यदि 13 बिलों पर आप 5-10 मिनट भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 8 घंटे लग जाएंगे। हम यह चाहते हैं कि यदि आज बिल पुरःस्थापित हो जाते हैं तो आज ही उनकी प्रतियां आपको पहुंच जाएंगी और इनका पारण तो कल और परसों होना है। आप कह रहे हैं कि इसे सदन में मेरे रिप्लाई के बाद कर लेना। रिप्लाई के समय तो आपने वॉकआउट कर देना है और तब तो हमने वैसे ही बिल पुरःस्थापित कर देने हैं। उस समय तो आपकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अभी तो आप चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके सहन करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी और आप वॉकआउट करेंगे। तब तो ये बिल ऑटोमेटिकली पुरःस्थापित हो जाएंगे।

मैं आज नेता प्रतिपक्ष और संबंधित विधायकों से कहना चाहता हूं कि बिलों पर सहमति सदन ने देनी है, हमने नहीं देनी है और अध्यक्ष महोदय को सदन की सहमति

आपको लेनी है। कल सदन की सहमति नहीं थी और एक पक्ष सहमत नहीं था। आज प्रदेश के हितों से संबंधित इन बिलों पर हम विपक्ष से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से सहमति मांग रहे हैं कि इन बिलों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये बिल आधे घंटे में पुरःस्थापित हो जाएंगे और उनकी प्रतियां आपको पहुंच जाएंगी। इसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कल भी चली थी और आज भी चलेगी। इस पर और भी समय लगेगा और यदि चर्चा पूरी नहीं होती है तो सदन को 2 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। यदि सदन को बढ़ाने पर भी सहमति होगी तो हम चाहेंगे कि सदन का समय और

बढ़ाया जाए। इसलिए यदि आप और पूरा सदन हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हैं तो हम बिल पुरःस्थापित करते हैं। हम सबकी सहमति से ही सदन चलता है। एक- दूसरों पर आरोप-प्रत्यारोप तो लगने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बिलों को लेकर हमारी गंभीरता को समझें। आप भी जानते हैं कि प्रश्न तो आप आर0टी0आई0 से पूछ लेंगे और अन्य माध्यमों से भी पूछ लेंगे लेकिन बिलों के बारे में इस तरह जानकारी नहीं मिल सकती। बिल तो सदन में ही पुरःस्थापित किए जाएंगे और बिल कानून बनेंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि सदन सहमत है तो हमें यह बिल लाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, कर दें?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह धक्का है और चार वर्ष आपने ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने प्रार्थना शब्द इस्तेमाल किया है तो प्रार्थना स्वीकार की जाती है। इसलिए बिल आप रख सकते हैं लेकिन व्यवस्था अपनी जगह होनी चाहिए। मेरा कहने का भी यही प्रयास है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से और दोनों पक्षों की राय से अब हम शासकीय कार्य लेंगे। कुछ कागजात सभा पटल पर रख देंगे। सदन की समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसमें दो मिनट का काम है। इसके बाद विधायी कार्य की आइटम नंबर 9 ले लेते हैं। You all agree with this. Thank you very much. Let us start now.

19.11.2026/1110/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। मुख्य मंत्री महोदय, कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

19-11-2026/1115/NS-AG/1

अध्यक्ष ------जारी

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब उप मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल-I, दिनांक द्वारा 16.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 23.07.2026 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल्यूम-II, दिनांक द्वारा 20.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 26.08.2026 को प्रकाशित; और

(iii) हिमाचल प्रदेश लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 (1998 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 17) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः टीएएल-एलओएलएफ 01/14/1/2023-136611-लूज़, दिनांक द्वारा 04.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 04.06.2026 को प्रकाशित।

19-11-2026/1115/NS-AG/2

(iv) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखें, वर्ष 2021-22 और 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पीर निगाह मन्दिर, तहसील एवं जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्याःएल.सी.डी.-बी (15)-13/2026, दिनांक द्वारा 14.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याःई.डी.एन-बी-बी(16)-9/2021, दिनांक द्वारा 07.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय लोक निर्माण मंत्री कागजात सभापटल पर रखेंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24; और

19-11-2026/1115/NS-AG/3

(ii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवम् अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24।

अध्यक्ष : अब आयुष मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का 53वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों/योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

(2) समिति का 54वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रदेश सरकार तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न

विभागों को आबंटित धनराशि के आय/व्यय के ब्यौरे की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

19-11-2026/1115/NS-AG/4

(3) समिति का 55वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा "मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना" की संवीक्षा पर आधारित है; और

(4) समिति का 56वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का 22वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25 में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा "स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना" की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री संजय अवस्थी जी, सभापति, मानव कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि माँग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि माँग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री सुख राम चौधरी, सभापति, कार्य-सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए।

19-11-2026/1115/NS-AG/5

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करता हूं तथा प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अब मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

वीरवार , 19 नवम्बर, 2026 1. शासकीय/विधायी कार्य ।
2. गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस।
शुक्रवार , 20 नवम्बर, 2026 शासकीय/विधायी कार्य ।

शनिवार , 21 नवम्बर, 2026 शासकीय/विधायी कार्य ।

विधायी कार्य ------आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

विधायी कार्यः
सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और

19.11.2026/1120/RKS/AS-2

सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

19.11.2026/1120/RKS/AS-4

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29)को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29)को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पुरःस्थापित हुआ।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1125/बी.एस./ए.एस.-1

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनिधान संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पुरःस्थापित हुआ।

अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.11.2026/1125/बी.एस./ए.एस.-2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.11.2026/1125/बी.एस./ए.एस.-3

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21)को पुरःस्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21)को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21)पुरःस्थापित हुआ।

अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.11.2026/1125/बी.एस./ए.एस.-4

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24)पुरःस्थापित हुआ।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1130/DT/DC-1

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026(2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026(2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.11.2026/1130/DT/DC-2

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026(2026 का विधेयक संख्यांक 23)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026(2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

19.11.2026/1130/DT/DC-3

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब लोक निर्माण मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करेंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पुरःस्थापित हुआ।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

19.11.2026/1135/डी0सी0/ए0पी0/-01

अध्यक्षः अब माननीय लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय लोक निर्माण मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करेंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पुरःस्थापित हुआ।

19.11.2026/1135/डी0सी0/ए0पी0/-02

अध्यक्षः अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री द्वारा प्राधिकृत आयुष मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय आयुष मंत्री हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करेंगे।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) पुरःस्थापित हुआ।

19.11.2026/1135/डी0सी0/ए0पी0/-03

अध्यक्ष : स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखें जाएगे।

अब सचिव विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर माननीय राज्य पाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

सचिव (विधान सभा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधायकों की प्रति सभापटल पर रखता हूं जिन पर माननीय राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 16);
(2) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 17);
(3) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 19); और
(4) हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 20)।

19.11.2026/1135/डी0सी0/ए0पी0/-04

Speaker: We have decide to defer Private Member Day. यदि सदन यह निर्णय ले रहा है कि केवल रूल-67 पर ही चर्चा होनी है और चर्चा को आगे जारी रखना है, तो

नियमानुसार हमें गैर-सरकारी सदस्य दिवस (Private Member Day) को स्थगित करना पड़ेगा। We have to suspend it.

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया यह महत्वपूर्ण विषय था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचनार्थ कुछ बातें बताना चाहता हूं। पूरे प्रदेश से बहुत सारे बच्चों के फोन आए हैं। उनकी चिंता यह है कि प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं (Competitive Exams) हो रही हैं, उनकी सभी तिथियां आपस में टकरा रही हैं। बहुत सारे बच्चों की चिंता है कि आप इस पर संज्ञान लें। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पटवारी की परीक्षा 23 से 30 तारीख के बीच हो रही है। इसी प्रकार, पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट भी इन्हीं तारीखों के दौरान हो रहा है। दूसरा, टैट की परीक्षा भी 22 और 29 तारीख को हो रही है। ये परीक्षाएं भी अलग-अलग वेन्यू पर आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, HP High Court की क्लर्क और अन्य सर्विसेज की परीक्षाएं भी 22, 29 और 30 तारीख को रखी गई हैं। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी अपनी परीक्षाएं इन्हीं तारीखों में रखी हुई हैं। इसलिए, प्रदेश के सैकड़ों युवाओं के फोन आए हैं। उनका कहना है कि आप मुख्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करें क्योंकि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि बच्चों को अलग-अलग परीक्षाओं के लिए अलग-अलग वेन्यू पर जाना पड़ेगा। इसलिए आप इस मामले में बीच का कोई रास्ता निकाले ऐसा बच्चों का कहना है, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

मुख्य मंत्री ...श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1140/AT/ HK/01

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह विषय सदन के ध्यान में लाया है। पटवारी की परीक्षा काफी वर्षों से लंबित थी। इस परीक्षा में कम से कम एक लाख नब्बे हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं।...(व्यवधान) जहां तक CAT परीक्षा का संबंध है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई समस्या

उत्पन्न होती है तो हम उस पर विचार करेंगे।...(व्यवधान) एक समस्या यह भी है कि जब एक लाख नब्बे हजार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं फिर भी यदि पटवारी परीक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य परीक्षा आगे आयोजित की जा सकती है तो उसके संबंध में मैं अध्ययन करवाऊंगा। मुख्य सचिव महोदय भी इस विषय को देख लें और जहां भी संभव होगा परीक्षाओं को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

श्री त्रिलोक जम्वाल : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 और 15 नवंबर को दो बच्चियां जिनकी आयु क्रमशः 14 और 15 वर्ष थी सुबह अपने घर से अपने नाना से 200 रुपये लेकर यह कहकर निकलीं कि वे सुंदरनगर जा रही हैं। रात को जब वे घर वापस नहीं लौटीं तो अगले दिन शाम लगभग छह बजे दोनों बच्चियों ने घुमारवीं पुल से छलांग लगा दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदय, दोनों बच्चियां दसवीं कक्षा में पढ़ती थीं। एक रात वे कहां रहीं उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सी0सी0टी0वी0 फुटेज में दिखाई देता है कि दोनों बच्चियां कुछ दूरी तक दौड़कर गईं और फिर एक साथ पुल से कूद गईं। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस घटना के पीछे कौन-सा नेक्सस या समूह था? कौन लोग इन बच्चियों के संपर्क में थे और ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? दोनों बच्चियां बरमाणा की रहने वाली थीं और मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित थीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में तुरंत और उचित कार्रवाई की जाए। यदि इसके पीछे कोई समूह या नेक्सस सक्रिय है तो उसका भी पता लगाया जाए। दो बच्चियों की इस दुखद मृत्यु ने पूरे बिलासपुर को झकझोर कर रख दिया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

19.11.2026/1140/AT/ HK/02

Speaker : Hon'ble Chief Minister, I think the FIR has been registered and the police should investigate the matter.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुखद घटना हुई, दो बेटियां हमको छोड़कर चलीं गई। 15.11.2026 को सायं 5:49 बजे पुलिस थाना घुमारवी में सूचना प्राप्त हुई कि दो चौदह वर्षीय नाबालिग लड़कियों ने सीर खड्ड पुल से छलांग लगा दी है। पुलिस एवं अग्निशमन दल द्वारा मौके पर विचार एवं तलाश कार्य किया गया। एक लड़की का शव उसी दिन तथा दूसरी का शव 16.11.2026 को गोतखरों की सहायता से बरामद किया गया। दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम सिविल हॉस्पिटल घुमारवी में करवाया गया हुआ आ गया। आरंभिक अन्वेषण में पाया गया कि दोनों लड़कियां दिनांक 14-11-2026 को प्रातः लगभग 10-11 बजे परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली थीं परंतु वापस नहीं लौटीं। उसी दिन वे अमन और अंशुल नामक युवकों के साथ मंडी गई थीं तथा शाम को बरमाना चौक लौटी थीं। दिनांक 15-11-2026 को एक लड़की के नाना ने दोनों युवकों को पांच सौ रुपये देकर लड़कियों की तलाश कर घर लाने के लिए घुमारवी भेजा था, जो लड़के उनके साथ गए थे। सी0सी0टी0वी0 फुटेज में दोनों लड़कियां सायं लगभग 4:28 बजे घुमारवी बस स्टैंड पर दिखाई दीं, जहां युवकों को देखकर वे भागीं और दोनों युवक उनके पीछे गए। पुल के समीप स्थित शोरूम की फुटेज में चारों लगभग साढ़े पांच बजे आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। इसके बाद लगभग 5:39-5:40 बजे दोनों लड़कियां अचानक एक दूसरे के गले लगीं और पुल की ओर दौड़कर खड्ड में कूद गईं। दोनों युवक उनके पीछे दौड़े परंतु

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

उन्हें रोक नहीं सके। अलग-अलग पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे लड़कियों को घर लौटने के लिए समझा रहे थे जबकि लड़कियां परिजनों की डांट और मारपीट का डर व्यक्त कर रही थीं।

अन्वेषण में यह भी सामने आया है कि घटना वाले दिन दोपहर लगभग अढाई बजे दोनों लड़कियों ने अमरपुर स्कूल में कार्यक्रम देखने के दौरान एक श्रमिक का मोबाइल

लेकर अमन से संपर्क किया था। संबंधित श्रमिक का बयान दर्ज किया गया है। एक मृतका के इंस्टाग्राम अकाउंट तथा दिनांक 14-15 नवंबर, 2026 की रात्रि की चैट की जांच की जा रही है। संबंधित विवरण एवं लोकेशन प्राप्त करने के लिए इंस्टाग्राम से भी पत्राचार किया गया है। सहपाठियों से पूछताछ में अभी तक कोई संदेहजनक तथ्य सामने नहीं आए हैं।

एक मृतका की नानी के बयान पर धारा 137/2, 108 एवं 3/5 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जीरो एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर आगामी अन्वेषण हेतु ई-मेल एवं सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से पुलिस थाना बरमाणा को प्रेषित की गई है। मामले का आगामी अन्वेषण जारी है।

मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यह बच्चों और बेटियों का मामला है तथा हमारी सरकार महिलाओं से संबंधित मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम चैट और ई-मेल की सारी डिटेल एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद ही मिलनी थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। जल्दी ही डिटेल प्राप्त होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके पास भी यदि कोई सूचना हो तो आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं। उसकी भी हम जांच करवाएंगे। सरकार अपने स्तर पर इस मामले का पूरी जांच करेगी।

19.11.2026/1145/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन दो तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं। घर से बच्चियां एग्जाम देने नहीं गई थीं। इसमें लिखा है कि वे पेपर देने के लिए गई थीं जबकि उनका कोई एग्जाम नहीं था। 10 दिन पहले वे लड़कियां स्कूल के टूअर पर गई थीं। इसके बाद जब वे घर से पैसे लेकर गईं तो उन्होंने 200 रुपये लेकर सुंदरनगर घूमने जाने की बात कही थी। उनके ऊपर कोई एग्जाम या अन्य प्रेशर नहीं था। लेकिन उनके पीछे ऐसा कौन-सा हिडन प्रेशर था कि 14 वर्ष की दोनों बच्चियों को दसवीं कक्षा में पढ़ते हुए पुल से कूदकर छलांग लगानी पड़ी? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? यह इतना छोटा मामला नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

मैंने कहा कि इसके पीछे नेक्सस है। वहां चिट्टा माफिया और ड्रग माफिया के लोग ड्रग्ज पेडलर के रूप में खुलेआम काम करते हैं। मुझे ऐसी आशंका है और ऐसा लग रहा है कि इस मामले के पीछे कोई-न-कोई जरूर है। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो बच्चियों को पुल से कूदना पड़ा। वे एक रात कहां रहीं, इसका अभी तक पुलिस को पता नहीं लगा है।

Speaker : Hon'ble Member your concern has come now.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैा एक और बात जानना चाहता हूं कि दोनों बच्चियां रात को कहां रहीं? क्या अभी तक पुलिस उन्हें लोकेट कर पाई है? इसके अतिरिक्त मैं इसी हाउस में मुख्य मंत्री जी से एक सबमिशन करना चाहता हूं कि इस इनक्वायरी को बरमाणा पुलिस थाने के तहत न रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, यह वही थाना है जहां मुख्य मंत्री जी ने जब वॉकथन की थी, उस दौरान चिट्टे के कारोबारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर इस थाने के एस0एच0ओ0 ने महिला मंडलों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की थी। उसके बाद आपने एफ0आई0आर0 विड्रॉ करने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हालांकि, एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और महिलाओं को थाने में बुलाया गया। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि एस0एच0ओ0 को बदल दिया जाएगा। एस0एच0ओ0 को 15 दिन के लिए बदला भी गया लेकिन बाद में उसी एस0एच0ओ0 को दोबारा उसी थाने में तैनात कर दिया गया और आज भी वही एस0एच0ओ0 वहां काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में वहां निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं कि या तो

एस0एच0ओ0 को बदला जाए या इस मामले की इनक्वायरी किसी अन्य अधिकारी से करवाई जाए।

Speaker : Hon'ble Member Shri Trilok Jamwal ji your concern has come. माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह विषय अत्यंत गंभीर है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने माननीय सदन में इस विषय

पर माननीय विधायक, श्री त्रिलोक जम्वाल जी को अपनी बात रखने की अनुमति दी और मुख्य मंत्री जी ने भी इस पर जवाब दिया। मेरी चिंता केवल इतनी है कि दो बच्चियों की जान जाना, जो दसवीं कक्षा में पढ़ रही थीं, अपने आप में अत्यंत गंभीर और शर्मनाक विषय है।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

19-11-2026/1150/NS-YK/1

श्री जय राम ठाकुर------जारी

इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए माननीय विधायक त्रिलोक जम्वाल जी ने यह विषय यहां रखा है। आप इसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसैस को रूटीन में मत करवाइए। दो बच्चियों की मृत्यु हुई है और एक एस0एच0ओ0 तथा एक इंस्पैक्टर को इसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा दिया गया है। मेरा मानना है कि इसके लिए पूरी एस0आई0टी0 कांस्टिट्यूट की जानी चाहिए ताकि ठीक प्रकार से जांच हो सके। विशेष तौर पर माननीय सदस्य का आग्रह है कि बरमाणा में जिस एस0एच0ओ0 के कामकाज को लेकर टिप्पणी की है वह अपने आप में गंभीर विषय है। इस मामले को आपके संज्ञान में लाने के बावजूद भी वह उस समय तक वहीं तैनात रहा। ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए। मेरा आग्रह है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से आगे बढ़े ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से दो बेटियों ने अपनी जिंदगी खोई है और हमारी सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुझाव आया है कि एस0एच0ओ0 के अलावा किसी सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाए। इस दृष्टिकोण से मैं डी0जी0पी0 साहब को कहकर इस केस के लिए विशेष तौर पर किसी सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी लगाऊंगा। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सनसनी पैदा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें तो उस गहराई तक जाना है जिसके कारण इन बच्चियों का निधन हुआ है। हम इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी सीनियर ऑफिसर लगाया जाएगा

उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने बार-बार कहा है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और हम बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं।

Speaker : Thank you. The additional aspects which have been brought into the notice of the Government and as well as before the House, may be taken care of. Now, we are starting the discussion under Rule-67, which is under deliberation for the last more than seven and a half hours. We have debated

19-11-2026/1150/NS-YK/2

this for more than seven and a half hours. Both the parties exhausted minimum three and a half hours. So, I will request the Hon'ble Members to now because I have received the revised list also from both the parties. There are seven Members from the BJP, those who want to participate in this Motion under Rule-67. Likewise, there are nine Members from the Congress Party. They also want to participate. So, I am initiating it, but my request to you all is let us confine yourself to the basic issues. The issues if some Member point out the other to reply and try to wind-up his speech within ten minutes, that will be, I think, enough now. We have already exhausted a lot of time. So, I am starting it. Because yesterday Shri Kewal Singh Pathania was participating and nearly two minutes and 21 seconds he has deliberated. So, I am continuing with him, Shri Kewal Singh Pathania to take part in the deliberation under Rule-67. Hon'ble Member Shri Kewal Singh Pathania.

19-11-2026/1150/NS-YK/3

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत पिछले तीन दिनों से विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज आपकी परमिशन से दिनांक 19 नवंबर, 1917 को जन्मी देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है जिन्हें 'आयरन लेडी' कहा जाता है। उन्हें लगभग 16 वर्ष तक भारतवर्ष की प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करने का अवसर मिला। आज मैं नियम-67 के अंतर्गत चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हिंदुस्तान के लिए इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 1971 का वह दिन भी महत्वपूर्ण है जब उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक नीति के कारण भारत ने बंगलादेश का निर्माण किया था। इस विषय पर आज सदन में बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नियम-67 के अंतर्गत जो

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1155/RKS/YK-1

श्री केवल सिंह पठानिया ... जारी

यह प्रस्ताव लाया गया है। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात कही है। विशेषकर विपक्ष के सदस्यों ने चाहे धारा-118 की बात की हो, चाहे पीटरहॉफ की बात की हो या हमारे पर्यटन के होटलों से संबंधित विषय हो, उन पर अनेक आरोप लगाए हैं। लेकिन उन आरोपों को तथ्यों के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो बातें सदन में रखी गई हैं वे केवल स्वीपिंग स्टेटमेंट तक सीमित रही हैं। अच्छा यह होता कि सदस्यों द्वारा जो बातें यहां पर रखी हैं उनके तथ्य से संबंधित दस्तावेज भी सदन में लाए जाते। हमारे सम्माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार के पास पैसा ही नहीं आया। उन्होंने स्वयं सदन में इस बात को स्वीकार किया था कि जब पैसा ही उपलब्ध नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? लेकिन आप नियम-67 के तहत चर्चा लेकर आए हैं

जबकि यह बात उन्होंने खुद ही सत्यापित कर दी है। इसके साथ-साथ जो नियम-67 के अंतर्गत रेफरेंस आए हैं मैं उनके बारे में अपनी बात सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। यदि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वयं 5 बार यह बयान दे चुके हैं कि 1.73 करोड़ लोगों के वोट काटे गए हैं? जिन-जिन प्रदेशों में विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां भी यह मुद्दा उठ रहा है। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री 4 बार इस संबंध में बयान दे चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह विषय गंभीर है। ...(व्यवधान) नवंबर माह में रामलीला मैदान में हमारी रैली होती है। एक तरफ वे कहते हैं कि वोट चोरी का कोई मामला नहीं है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि देश के गृह मंत्री हरियाणा की रैली में और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अपनी रैलियों में इस विषय पर लगातार बयान दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने जो रैली की है उससे ये इतने घबरा गए हैं कि देश के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को सड़कों पर आना पड़ा। ...(व्यवधान) जो रेफरेंस आए हैं मैं उनके अंतर्गत अपनी बात रखना चाहूंगा। ये नियम-67 के अंतर्गत प्रस्ताव लेकर आए हैं। ...(व्यवधान) आज विपक्ष के हमारे साथी इस सदन में बड़े जोर-शोर से भ्रष्टाचार का विषय उठा रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल बिक रहा है। मुझे इनकी बातें सुनकर हैरानी होती है। आखिर भाजपा के हमारे मित्र अपने 5 वर्षों के शासनकाल को इतनी जल्दी कैसे भूल गए? आज मैं इस सदन में केवल

19.11.2026/1155/RKS/YK-2

राजनीतिक आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर कुछ ऐसे तथ्य रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिनका जवाब भाजपा के माननीय सदस्यों को देना होगा। मैं भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि हिमाचल को बेचने की बात करने से पहले वे यह बताएं कि उनके शासनकाल में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की नौकरियों का सौदा कौन कर रहा था? भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र कौन बेच रहा था और जिन नौजवानों ने अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा था उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा था? अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर की। यह कोई छोटी-मोटी अनियमितता का मामला नहीं है बल्कि प्रदेश की भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर लगा एक गंभीर सवाल है। जिस आयोग के

बारे में नौजवानों को यह विश्वास था कि वह उनकी योग्यता परख कर निष्पक्ष चयन करेगा उसी आयोग के भीतर प्रश्न पत्र लीक करने, प्रश्न पत्र बेचने, सीटों में हेराफेरी करने तथा मैरिट सूची से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। यह मामला केवल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में यू0पी0एस0सी0 और ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है जहां भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने न लगे हों। पेपर लीक और भर्ती में अनियमितताओं के मामलों को लेकर जब देश के नौजवान जंतर-मंतर पर पहुंचे तो प्रधान मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया कि बार-बार पेपर लीक हुए हैं और प्रश्न पत्र बेचे गए हैं। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। जरा सोचिए कि एक तरफ प्रदेश के लाखों नौजवान दिन-रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उनमें कोई गरीब किसान का बेटा था तो कोई मजदूर की बेटी थी। कोई बेरोजगार कई वर्षों से नौकरी मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था। दूसरी तरफ भर्ती व्यवस्था के भीतर कुछ लोग कथित तौर पर प्रश्न पत्र बेचने और पैसे के बदले चयन करवाने में लगे हुए थे।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1200/बी.एस./ए.जी.-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

यह केवल प्रश्न पत्र का सौदा नहीं था बल्कि यह नौजवानों की मेहनत उनकी उम्मीदों और उनके भविष्य का सौदा था। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने इस पूरे मामले से संबंधित कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य सबसे पहले भ्रष्टाचार के ऊपर नियम 67 का प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन दिनांक 4 अप्रैल, 2022 को चयन आयोग में हुए भ्रष्टाचार के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। जांच के दौरान इस मामले की परतें खुलती गईं। इसके बाद विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों और परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आते गए। शिकायतों और प्रारंभिक जांच के आधार पर विशेष जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना हमीरपुर में 16 एफ0आई0आर0 दर्ज की गई हैं। मैं मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र बेचने के इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ 16 एफ0आई0आर0 दर्ज की

गई हैं। जी हां, अध्यक्ष महोदय, एक नहीं बल्कि पूरे 16 आपराधिक मामले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित हैं।

इस मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आई0टी0 कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, ड्राइंग मास्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सिविल, लाइनमैन तथा अन्य पदों की भर्तियां शामिल हैं। अब मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या यह किसी एक परीक्षा में हुई गलती थी या किसी एक कर्मचारी की लापरवाही थी? या फिर यह भर्ती व्यवस्था के भीतर लंबे समय से पनप रही गंभीर गड़बड़ियों का संकेत था? जांच के दौरान तत्कालीन सचिव, वरिष्ठ सहायक तथा आयोग के अन्य कर्मचारियों की कथित संलिप्तता सामने आई। इसके अतिरिक्त बिचौलियों और कुछ अभ्यर्थियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। यह मामला केवल प्रश्न पत्र लीक होने तक सीमित नहीं रहा।

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए)

इसमें ओ0एम0आर0 शीट में हेराफेरी मेरिट सूची के साथ छेड़छाड़ तथा पैसे अथवा अन्य अनुचित लाभ के बदले अपात्र अभ्यर्थियों का चयन करवाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पत्र लीक होने का मामला यहीं नहीं रुका। देश के नौजवानों के साथ, आप नियम 67 में प्रस्ताव लेकर आए हैं क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था?

19.11.2026/1200/बी.एस./ए.जी.-2

देश के में योग्यता का फैसला परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए था वहां कथित तौर पर पैसे और पहुंच के आधार पर चयन करवाने का खेल चल रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब उनके शासनकाल में भर्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित हो रही थीं तब उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आयोग के कामकाज पर निगरानी कौन कर रहा था? यदि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुरक्षित नहीं थी और ओ0एम0आर0 शीट तथा मेरिट सूची में छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे थे तो तत्कालीन सरकार अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है?

अध्यक्ष महोदय, सरकार चलाने का मतलब केवल कुर्सी पर बैठना नहीं है। सरकार चलाने का मतलब व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भ्रष्टाचार पर बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं। (...व्यवधान...)लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्ष के शासनकाल में नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? अब मैं इस जांच की वर्तमान स्थिति सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। (...व्यवधान...)

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं। (...व्यवधान...)

19.11.2026/1200/बी.एस./ए.जी.-3

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आप कुछ लिखकर भी लाए हैं इसलिए तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। वास्तविक स्थिति क्या है? हिमाचल प्रदेश में दिनांक 11 दिसंबर, 2022 को श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय हम सत्ता से बाहर थे। दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को पेपर लीक हुआ। उस समय सत्ता में कौन था? आप हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दिनांक 11 दिसंबर को शपथ ली गई और दिनांक 23 दिसंबर को पेपर लीक हुआ। जिस पेपर के लीक होने की बात है उस पोस्ट कोड 965 की भर्ती को बाद में रद्द कर दिया गया।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1205/DT/AG-1
श्री जय राम ठाकुर जारी...

कुल 16 मामले दर्ज हुए हैं। इन 16 मामलों में से चार मामलों में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त जो अभियोजन अभी स्वीकृति के लिए पेंडिंग है उसनकी संख्या सात। तीन मामलों में अभी जांच लंबित है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है उनकी संख्या 2 है। अभी तक किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की कन्विक्शन नहीं हुई है जबकि वर्तमान सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल गीत गाते-गाते

पूरा हो गया है। क्राइम हुआ और वह भी आपके कार्यकाल में हुआ। इसके बावजूद आप इस पूरे मामले को इस प्रकार उठाते हैं जैसे जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसके बाद की जिम्मेदारी भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर डालना चाहते हैं। पेपर लीक आपके समय में हुआ है। हमने उसी समय कहा था कि जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। आप राजस्थान का जिक्र करते हैं जहां आपकी सरकार थी और वहां पर 12 पेपर लीक हुए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय 18 पेपर लीक हुए। यदि हम आंकड़ों पर जाएंगे तो यह चर्चा बहुत दूर तक जाएगी। कांग्रेस की जब केंद्र में सत्तारूढ़ थी उस समय भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं।

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपनी बात को 67 के अंतर्गत प्रदेश तक ही सिमित रखिए।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं भी चाहता हूं कि इस विषय को प्रदेश तक ही समिति रखें लेकिन सत्ता पक्ष वाले स्वयं दिल्ली चले गए और पूरे देश की बात कहने लगे। हमने यह चर्चा कहां से शुरू की थी? इसलिए मैं समझता हूं कि नियम-67 के अंतर्गत आज का विषय यह है। मैं इसे पढ़कर बता देता हूं कि आज नियम-67 के अंतर्गत आज का जो विषय है उस पर चर्चा हो और वह विषय हैछ "आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस की सरकार में बिकता हिमाचल" यह है आज का नियम-67 के अंतर्गत चर्चा का विषय अर्थात 'हिमाचल ऑन सेल'। इस विषय पर आप बोलिए । मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.11.2026/1205/DT/AG-2

अध्यक्ष : नियम-67 के अंतर्गत चर्चा को सीमित रखें। केवल नियम-67 के विषय पर ही चर्चा करें।

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, जब सही तथ्य सदन के सामने रखे गए हैं तो विपक्ष को कहीं-न-कहीं तो तकलीफ होनी ही थी। जब सच्चाई सामने आती है तो दर्द तो होता ही है क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम है Every

action has an equal and oppostie reaction. इसलिए कहीं-न-कहीं इन 16 मामलों को लेककानून अपना काम ठीक कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष इस सदन के वरिष्ठम नेता हैं और वे कह रहे हैं कि नियम-67 के अंतर्गत बोलिए। मैं नियम-67 के अंतर्गत तो अपनी बात रख रहा हूं और कह रहा हूं मुझे बताइए कि पेपर बिके और नौजवानो के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ। अगर पेपर बिके तो क्या हम इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं? जिला कांगड़ा के गग्गल में जब पुलिस के पेपर लीक हुए थे तो उसमें एक बहुत बड़ी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पेपर बेचे जाने का मामला सामने आया था। गग्गल थाने में इसका एक रिकॉर्ड यह भी है कि दलाल से पेपर खरीदने के एक किसान ने अपनी जमीन बेची और यह जमीन अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जमीन बेची और उसका पैसा दलाल को दिया। जो पेपर बेचे गये और उससे प्रदेश के नैजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या वह भ्रष्टाचार की परिभाक्ष में नहीं आता? मैं यह विषय को इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि कोई यह न कह सके कि हम राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जो 16 एफ0आई0आर0 दर्ज की थी, उस विषय को नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया है। इसमें कानून ने अपना काम किया है और एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर को माननीय सदन के नेता द्वारा तुरन्त भंग किया गया इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

19.11.2026/1210/ए0एस0/ए0पी0/-01

नियम-67 जारी .....

श्री केवल सिंह पठानिया जारी .....

कि बोर्ड को भंग किया गया और पिछले चार वर्षों ...(व्यवधान)

Chairman : Please, no interruption.

श्री केवल सिंह पठानिया : सभापति महोदय, मैं पहली बार का विधायक हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार का विधायक हूं। हैं। आप बार-बार क्यों उठ रहे हैं? मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में बोर्ड को भंग किया गया। मैं मंत्रिमंडल और सदन के नेता को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में नौजवानों के साथ न्याय हुआ है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

Chairman : Please, no interruption please.

श्री केवल सिंह पठानिया : इन्होंने बात मानी है कि जब ये राजस्थान गए तो रिकॉर्ड के अनुसार 64 बार इस मामले को उठाया गया। देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरे इंडिया ब्लॉक ने विरोध किया। जब इंडिया ब्लॉक के विरोध के कारण पूरे 18 दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चली तो उस समय जंतर-मंतर पर नौजवानों के साथ क्या हुआ? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नौजवानों पर लाठियां चलाई गई। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नौजवानों और बच्चियों के साथ जो अन्याय हुआ क्या वह देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं था? उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि माननीय मंत्री महोदय, आपका इस्तीफा होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी इसी मामले को लेकर मांगा गया था। आज हिमाचल प्रदेश के पेपर लीक मामले की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिनांक 11 दिसंबर, 2022 को ही अपना जनादेश दे दिया था। उस समय डबल इंजन की सरकार ने क्या-क्या काम किए थे? डबल इंजन की सरकार के समय पेपर लीक हुए, 12 हजार करोड़ आर0डी0जी0 नहीं दी गईं और गगल एयरपोर्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपये का जो पैकेज देने की बात कही गई थी, वह नहीं दिया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो पेपर लीक हुए थे,

19.11.2026/1210/ए0एस0/ए0पी0/-02

उनमें दिल्ली की बड़ी यू0पी0एस0सी0 से संबंधित संस्थाओं पर भी आरोप लगे थे और डबल इंजन की सरकार के समय उनका कनेक्शन भी सामने आया था। हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए एक रुपये का पैकेज नहीं दिया गया। जब ये ऐसी बातें करते हैं और नियम-118 के अंतर्गत आरोप लगाते हैं कि हिमाचल फॉर सेल था तो मैं कहना चाहता हूं कि आज

से चार साल पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने पेपर लीक के इस मामले को लेकर जो बातें फैलाई हैं और पीटरहॉफ बेचने की बात फैलाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी रखी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में ऐसा कोई मामला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर है। कल मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था जोरें हारी जानयो पर जुबानी मत हारदी जिसका मतलब है कि काम-काज हो या न हो लेकिन अपनी जुबान से मत हारना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मामला इन्होंने यहां सदन में रखा है, वह तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। सभापति महोदय। अब नेता प्रतिपक्ष चले गए हैं, इसलिए मैंने अपनी बात रखी है। वे छह बार जीतकर आए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी बात ही सही है। सभापति महोदय, कहीं न कहीं ये तथ्य हैं कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए ये ही जिम्मेदार हैं। नियम-67 के अंतर्गत जो विपक्ष के साथी प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इस प्रस्ताव का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हू। आपने मुझे मौका दिया और समय दिया। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक जो चर्चा लेकर आए हैं उसका विषय है- अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, हिमाचल को बेचने पर आमदा, हिमाचल ऑन सेल। मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। सत्तापक्ष की ओर से हमारे वरिष्ठ मंत्री और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी काम रोको प्रस्ताव नियम 66 के अंतर्गत इस चर्चा के लिए लेकर आई है?

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.11.2026/1215/AT/AS/01

श्री राकेश जम्वाल जारी....

काम रोको प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के अंतर्गत इस चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता कह रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार से जुड़े अनेक मामले और मुद्दे सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन सभी मुद्दों को सदन के अंदर और सदन के बाहर उठा रही है। लेकिन सभापति महोदय, कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (CPS) भी प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए कहते हैं कि पांच अटैची दिल्ली जाते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव स्वयं हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हमसे पहले वरिष्ठ सदस्यों ने यहां पर इन सभी मामलों से संबंधित विस्तृत जानकारी रखी है। चाहे पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का मामला हो, भूमाफिया का मामला हो, वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला हो या पीटरहॉफ का मामला हो। इस प्रकार एक-एक करके हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को बेचने और निजी हाथों में सौंपने का काम यदि कोई कर रहा है तो वह हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार है। क्या ये ज्वलंत मुद्दे नहीं हैं? क्या इन पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर चर्चा के लिए ही यह प्रस्ताव लेकर आई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार से चर्चा होनी चाहिए थी उससे ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ के वरिष्ठ सदस्य जिस प्रकार सदन में बातचीत कर रहे हैं वह उचित नहीं है।

सभापति महोदय, कल हम दूसरी तरफ के वरिष्ठ सदस्य और वर्तमान मंत्री आदरणीय नेगी जी को सुन रहे थे। क्या वह उनका निजी बयान है या सरकार में मंत्री रहते हुए दिया गया सरकार का बयान है? क्या यह कांग्रेस सरकार की नीति है या कांग्रेस पार्टी का विचार है? आप न संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, न न्यायालय को और न ही निर्वाचन आयोग को। यहां तक कि देश की सेना को भी नहीं छोड़ा गया। प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नियम 67 के अंतर्गत सदन में चर्चा हो रही है। जब हमारी तरफ से माननीय सदस्य आदरणीय बिनोद जी बोलने के लिए खड़े हुए तो मुख्य मंत्री जी ने कहा

कि यहां कागजों और सबूतों के साथ आइए। दूसरी तरफ, प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में सैनिकों के कफन तक के पैसे खये गये। राफेल विमान को लेकर कहा गया कि महंगे विमान खरीदे गए और पाकिस्तानियों को मरना चाहिए था लेकिन हिंदुस्तानी मारे गए। क्या ऐसे बयान देने वाले मंत्री पाकिस्तान के हितैषी हैं या हिंदुस्तान के हितैषी हैं? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं सभापति महोदय, उन्हें सदन के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश की सेना और हिमाचल के वीर सैनिकों के संबंध में जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। जिन माता-पिता ने अपने पुत्रों को देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने हेतु सीमा पर भेजा है इस प्रकार की टिप्पणियां करके उनका हौसला कमजोर करना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य आप नियम 67 पर बोलें।

श्री राकेश जम्वाल : इससे पहले भी बत्ता बोल रहे थे। वे भी नियम 67 के बारे में बात कर रहे थे क्या?

सभापति : सबको हम यही बोल रहे है कि नियम 67 पर चर्चा करो।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं। जब उद्योगों का मुद्दा आता है और स्क्रैप का मामला उठता है तो उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन-सी अदृश्य शक्तियां हैं जो उनके विभाग को चला रही हैं। इसी प्रकार, जब बस अड्डों के निर्माण का मामला आता है तो जिनके पास परिवहन विभाग है वे उप-मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बस अड्डों का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं बल्कि यह काम GAD कर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में बस अड्डों के निर्माण का कार्य GAD कर रहा है। यह किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है? उद्योग मंत्री जी को उद्योगों के बारे में जानकारी नहीं है

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

19.11.2026/1220/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा .. जारी

श्री राकेश जम्वाल..... जारी

वे कहते हैं कि बजट हम नहीं बना रहे हैं बल्कि जी0ए0डी0 बना रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में बस अड्डों के निर्माण का काम जी0ए0डी0 कर रहा है। यह किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है? उद्योग मंत्री जी को उद्योगों का पता नहीं है और ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को अपने विभाग में बस अड्डों के निर्माण का पता नहीं है। इसके बावजूद यहां व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार को 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं और 11 दिसंबर को सरकार के 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब मुख्य मंत्री जी यानी सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को याद आई है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इस जांच का जिम्मा भी किसको दिया गया? आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी को उसका चेयरमैन बना दिया गया और श्री विक्रमादित्य सिंह जी को उसका सदस्य बना दिया गया। इस प्रकार 8 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई। 11 दिसंबर, 2022 को सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन 4 वर्षों तक इन्हें इसकी याद नहीं आई। इन्हें याद कब आई? जब जनता के बीच यह मुद्दा पहुंच गया कि हिमाचल को बेचा जा रहा है और एक-एक करके हिमाचल की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तब जाकर इन्हें याद आया कि 5 वर्ष तक सत्ता में रही पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की जांच करेंगे। क्या आप जनता का ध्यान इन सभी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? ये करप्शन के मुद्दे हैं, बेनामी सौदे हो रहे हैं और हिमाचल की सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में दी जा रही हैं, ये संपत्तियां कांग्रेस पार्टी की संपत्तियां नहीं हैं बल्कि हिमाचल की जनता की संपत्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की इन संपत्तियों को इस प्रकार बिकने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी के लोग मुख्य मंत्री जी को कह रहे हैं कि ये तो बड़े योद्धा है, इन्होंने तो वाइल्ड फ्लावर हॉल का मामला सर्वोच्च न्यायालय से जीत लिया है। वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला स्थित होटल है जिसका संचालन ओबेरॉय ग्रुप द्वारा किया जाता था। इस ग्रुप ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था जिसके बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने वर्ष 2002 में इस समझौते को रद्द करते हुए ओबेरॉय ग्रुप के खिलाफ

19.11.2026/1220/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

कार्रवाई शुरू की थी। यह कानूनी लड़ाई लगभग 23 वर्ष तक चली और अंततः दिनांक 31 मार्च, 2025 को वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा हिमाचल प्रदेश सरकार को मिल गया लेकिन जिस ओबेरॉय ग्रुप के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से लेकर दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय तक वकील खड़े किए और लगभग 23 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी, उस पर सरकार का कितना खर्च हुआ? जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था और जिसके खिलाफ सरकार ने इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, उसी कंपनी को इनाम देते हुए फिर से 35 वर्ष के लिए वाइल्ड फ्लावर हॉल दे दिया गया। अब उसकी पूरे प्रदेश में वाहवाही लूटी जा रही है।

सभापति महोदय, सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जिस ओबेरॉय ग्रुप के खिलाफ 23 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई और अंततः वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा सरकार को मिला, उसी ओबेरॉय ग्रुप को फिर से 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 35 वर्ष के लिए दे दिया गया?

सभापति महोदय, शिमला का पीटरहॉफ कोई साधारण संपत्ति नहीं है। एक समय वहां पंजाब का हाई कोर्ट चलता था और पीटरहॉफ राजभवन भी रहा हो, आज उसकी बुकिंग बंद कर दी गई है और उसे तोड़ने की तैयारी की जा रही है। श्री रणधीर शर्मा जी ने जिस प्रकार बताया कि जी0ए0डी0 विभाग ने एच0पी0टी0डी0सी0 को पत्र लिखा है कि इसे पी0पी0पी0 मोड पर विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ऐसी संपत्ति है जहां किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो, वहां लगभग 4,000 लोगों की क्षमता वाला लॉन, पार्किंग की सुविधा और 500 लोगों की क्षमता वाला इनडोर हॉल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वहां एक प्राचीन इमारत भी है जिसे तोड़ने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करें कि सरकार ने वहां क्या किया है, क्या तैयारी की है, किस प्रकार उसे पी0पी0पी0 मोड पर देना चाहती है और उससे कितनी आय होगी? क्या उसको तोड़ने से पहले सरकार को इस विषय पर चिंतन

नहीं करना चाहिए था? हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की एक-एक संपत्ति को निजी हाथों में देने के काम का विरोध स्वयं एच0पी0टी0डी0सी0 के

19.11.2026/1220/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

चेयरमैन करते हैं। इस संबंध में मीडिया में भी उनके अनेक बयान आए हैं। सरकार ने 14 होटलों को नीलाम करके निजी हाथों में देने की तैयारी की है और आज 8 होटल निजी लोगों को दे दिए गये हैं। लेकिन जब मीडिया के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछा जाता है तो वे इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि हम पीटरहॉफ को पी0पी0पी0 मोड पर नहीं बना रहे हैं।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

19-11-2026/1225/NS-DC/1

श्री राकेश जम्वाल------जारी

आपने क्या खाका तैयार किया है? क्या आप इसे पी0पी0पी0 मोड पर बनाना चाहते हैं? आप निजी कंपनी के साथ कितने वर्षों के लिए एग्रीमैंट करने जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता इन सभी बातों की जानकारी चाहती है।

सभापति महोदय, दिल्ली में हिमाचल निकेतन का जब फाउंडेशन किया गया था तो इसकी डी0पी0आर0 लगभग 58 करोड़ रुपये की लागत से बनी थी लेकिन तैयार होते-होते इसकी लागत 190 करोड़ रुपये हो गई यानी लागत लगभग चार गुना बढ़ गई। मैंने मुख्य मंत्री जी का बयान सुना है कि दिल्ली के इस हिमाचल निकेतन में हिमाचल की जनता को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और सस्ती दरों पर कमरे उपलब्ध होंगे। वहां विद्यार्थियों के लिए तथा मरीजों के तीमारदारों के लिए भी सुविधा रहेगी। इस प्रकार से हिमाचल की जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दिल्ली में 107 कमरों का हिमाचल निकेतन बनाया जा रहा है। आज इसके 70 प्रतिशत हिस्से को फिर से किसको देने की तैयारी की जा रही है? आपने इसके लिए टैंडर निकाल दिया है। पूर्व में भी सरकारें रही हैं और मुख्य

मंत्री रहे हैं। दिल्ली में हिमाचल भवन और हिमाचल सदन हिमाचल की जनता को सुविधाएं देने के लिए बनाए गए थे, न कि पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाए गए हैं। चाहे हिमाचल भवन हो या हिमाचल सदन इनका उद्देश्य दिल्ली में हिमाचल की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना रहा है।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब एच0पी0टीडीसी0 का पूरा सैटअप दिल्ली में मौजूद है तो आप हिमाचल निकेतन को निजी हाथों में क्यों देना चाहते हैं? क्या आपको अपने टूरिज्म डिपार्टमैंट पर विश्वास नहीं है? क्या आज आपको एच0पी0टी0डी0सी0 पर विश्वास नहीं है? एच0पी0टीडीसी0 के माध्यम से हिमाचल की जनता, विद्यार्थियों, मरीजों के अटैंडैंट्स, कर्मचारियों और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों सहित सभी को दिल्ली में सुविधाएं मिलनी थीं लेकिन पूर्व की सरकारों ने जिस सोच के साथ हिमाचल भवन और हिमाचल सदन बनाए हैं तथा जिस उद्देश्य से हिमाचल निकेतन बनाया था उस सोच को बदलने और उसे भी बेचने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार कर रही है।

19-11-2026/1225/NS-DC/2

सभापति महोदय, पिछले चार वर्षों से इस सदन में मुख्य मंत्री जी के बयान आते रहे हैं। वे बार-बार एक्साइज पॉलिसी को लेकर पूर्व की श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार पर अनेक प्रश्न खड़े करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री के माध्यम से एक्साइज में हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है और पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से इस सदन के अंदर मुख्य मंत्री जी ने कहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद की APITCO Ltd.(Andhra Pradesh Industrial & Technical Consultancy Organization Limited) कौन है? यह कौन-सी कंपनी है जिसे आपने कुल्लू, लाहौल और पांगी के सभी ठेके एक यूनिट में दे दिए हैं? इस कंपनी की बार-बार मदद क्यों की जा रही है? इस कंपनी के पास मण्डी के भी कुछ ठेके हैं। आज एक्साइज विभाग के पास इस एप्टिको कंपनी प्राइवेट लिमिटिड की लगभग 90 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। इसके बावजूद सरकार इस कंपनी को बचाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस कंपनी के

खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आज भी हैदराबाद की एप्टिको कंपनी प्राइवेट लिमिटिड ही शराब के ठेके चलाने का काम कर रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन आटा, दाल और चावल उपलब्ध करवाता है, वह अब शराब भी बेचेगा। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की चिंता यह होनी चाहिए कि लोगों को ठीक प्रकार से राशन मिले लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिविल सप्लाई को भी शराब बेचने के काम में लगा दिया है।

सभापति महोदय, शराब के ठेकों की नीलामी को लेकर एप्टिको कंपनी का यह बहुत बड़ा मामला है जो शराब के ठेकों की नीलामी को लेकर मुख्य मंत्री जी बार-बार सदन में पूर्व की सरकार पर दोषारोपण करते हैं। मैं उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस कंपनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति कितनी देनदारियां हैं? आज भी यह कंपनी हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके चला रही है।

सभापति महोदय, यहां हिमाचल प्रदेश के विषयों पर चर्चा हो रही है। हमारे सत्ता पक्ष के साथी अपने चार वर्ष के कार्यकाल की बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं और न ही उनका जवाब दे रहे हैं। आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1230/RKS/HK-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

ये हिमाचल प्रदेश के बजाय दिल्ली की मोदी जी की सरकार की चिंता कर रहे हैं। चर्चा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अंदर हो रही है और जिस प्रकार ये चर्चा कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। भारत सरकार द्वारा पी0डी0एन0ए0 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को दी गई धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे वरिष्ठ साथियों ने इसके अनेक उदाहरण दिए हैं और मेरे पास भी इसके कई उदाहरण हैं। पी0डी0एन0ए0 का पैसा ऐसी-ऐसी जगहों पर दिया जा रहा है जहां आपदा से कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। उस धनराशि को वहां खर्च किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में कहीं भवन निर्माण के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी स्कूल का कमरा आपदा के कारण टूट गया हो और उसके निर्माण के लिए पी0डी0एन0ए0 की धनराशि का उपयोग किया

जाए तो बात समझ में आती है लेकिन जिन स्थानों पर आपदा से कोई नुकसान नहीं हुआ है वहां इस धनराशि का उपयोग करना उचित नहीं है। यह पैसा भारत सरकार से आया हुआ है लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं कर रही है। जबकि भारत सरकार द्वारा जो मदद दी जा रही है उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जो धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को मिलना चाहिए थी वह उन्हें न देकर लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों को दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की सफाई हो गई और भाजपा के अधिकतर सदस्य चुनकर पंचायतों में आ गए। आज 12 में से 11 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसी प्रकार 4 नगर निगमों में से 3 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि देने के बजाय लोक निर्माण विभाग को दी जा रही है ताकि पी0डी0एन0ए0 की इस धनराशि से अपने ठेकेदारों की रोजी-रोटी चलाई जा सके। प्रदेश में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। इस संबंध में हमारा प्रश्न इस बार भी लगा था लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हमारा प्रश्न 11 दिसंबर, 2025 को आयोजित उस कार्यक्रम के संबंध में था जो पिछली बार सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया था। बाद में उस कार्यक्रम का नाम 'जन संकल्प सम्मेलन' रखा गया था। हमने पूछा था कि इस कार्यक्रम

19.11.2026/1230/RKS/HK-2

पर कितना व्यय हुआ और क्या हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें भी इस कार्यक्रम के लिए लगाई गई थीं? यदि बसें लगाई गई थीं तो उनके लिए सरकार ने कितना भुगतान किया? हमने इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी थी लेकिन सरकार के पास इस संबंध में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि 'जन संकल्प सम्मेलन' के माध्यम से भी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद विधान सभा का एक और सत्र आ गया। हमने मानसून सत्र में भी यह जानकारी मांगी थी और शीतकालीन सत्र भी हो गया लेकिन अभी तक सरकार ने हमें यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से यह सब चल रहा है मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता। हमारी कृषि विश्वविद्यालय

पालमपुर की 1500 बीघा जमीन को पर्यटन गांव बनाने के लिए सरकार ने पर्यटन विभाग को देने की तैयारी कर ली है। आप कल्पना कीजिए कि कृषि विश्वविद्यालय की इस जमीन का कितना महत्व है। इस जमीन का उपयोग कृषि अनुसंधान, डेयरी एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और प्राकृतिक खेती के लिए किया जाता है। इसके बावजूद सरकार इस जमीन को पर्यटन गांव बनाने के लिए पर्यटन विभाग को देने की तैयारी कर रही है। क्या सरकार के पास इसके लिए कोई अन्य जमीन उपलब्ध नहीं थी? आखिर सरकार की नजर कृषि विश्वविद्यालय की उस प्राइम लैंड पर ही क्यों पड़ी इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने नियम-67 के अंतर्गत इस माननीय सदन में चर्चा की मांग की है। एच0पी0टी0डी0सी0 की संपत्तियां और ये कीमती जमीनें बेचने का जो काम किया जा रहा है, वह भी एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए हमने इस विषय को 'हिमाचल ऑन सेल' के रूप में नियम-67 के अंतर्गत चर्चा के लिए लाया है ताकि सरकार का ध्यान इन ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। मुख्य मंत्री जी हमारे पक्ष के साथियों से बार-बार कहते हैं कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन कोई कागज सदन में प्रस्तुत करें। मैं पिछले 4 विधान सभा सत्रों से मुख्य मंत्री जी को यह कहते हुए सुन रहा हूं कि मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन हो रहे हैं। वह इस विषय पर भाषण देते हैं और सदन के अंदर तथा बाहर भी इस प्रकार की बातें करते हैं। हमने उनसे कहा है कि इस संबंध में कोई कागज तो सदन के पटल पर रखें। मुख्य मंत्री जी बार-बार हिमकेयर योजना की चर्चा करते हैं। यह योजना श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को 5.00 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिल रही थी। पहले दिन से ही इस लोकप्रिय योजना को इसलिए निशाना बनाया गया

19.11.2026/1230/RKS/HK-3

क्योंकि यह श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की एक लोकप्रिय योजना थी। इस योजना में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए गए लेकिन पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से हमारे वरिष्ठ सदस्य द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भ्रष्टाचार से जुड़े जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है वे केवल विपक्ष के सदस्यों द्वारा ही नहीं उठाए जा रहे हैं बल्कि सत्ता

पक्ष के साथी और कांग्रेस के पूर्व विधायक भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इसलिए इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1235/बी.एस./एच.के.-1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के साथी और कांग्रेस के पूर्व विधायक भी इन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं। इसलिए इन मामलों की जांच होनी चाहिए। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर माननीय सभापति महोदय अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

लूटने वाले चाहे कितने भी परदे लगा लें,

लेकिन सच की रोशनी में उनके चेहरे दिख ही जाते हैं, धन्यवाद।

19.11.2026/1235/बी.एस./एच.के.-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया है मैं इस प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रखने के लिए इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। प्रदेश की राजनीति में आजकल एक अजीब विडंबना देखने को मिल रही है। जिन लोगों के शासनकाल में भ्रष्टाचार के नए अध्याय स्थापित हुए और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था तथा जिनके शासनकाल में व्यवस्था को कमजोर किया गया आज वही लोग वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके अपने दामन पर दाग हों उन्हें दूसरों के दामन पर उंगली उठाने से पहले आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुईं वे आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

सभापति महोदय, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन उन्हें प्रमाणों के साथ साबित करना भी उतना ही आवश्यक है। केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने या मीडिया में बयान देने से कोई बात सच साबित नहीं हो जाती। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई करके भी दिखाई है।

आपने देखा है कि सरकार ने किस प्रकार कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जहां अनियमितताएं पाई गईं वहां कार्रवाई की गई। चाहे नशे के कारोबार में संलिप्त सरकारी कर्मचारी हों जिन्हें बर्खास्त किया गया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पेपर बेचने के मामले में शामिल लोग हों जिन्हें पकड़कर जेल के अंदर किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार तो है मगर निराधार आरोप लगाने का

19.11.2026/1235/बी.एस./एच.के.-3

अधिकार नहीं है और यदि इतने ही तथ्य हैं तो उन्हें तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। ये चिंतित हैं और आरोप लगाना चाहते हैं तो फिर ये लोकायुक्त के समक्ष एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करते? इन्हें चाहिए कि ये लोकायुक्त के समक्ष एफिडेविट फाइल करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके।

अभी इससे पूर्व विपक्ष की ओर से जो वक्ता बोले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूंः-

आईना देखने की हिम्मत होनी चाहिए,

क्योंकि चेहरा छुपाने से दाग नहीं मिटा करते।

यह बात मैं विपक्ष के सभी साथियों से कहना चाहूंगा। आपने भ्रष्टाचार की फसल बोई है। अब जब उसका हिसाब मांगा जा रहा है तो आप झूठे आरोपों की ढाल बनाकर अपना बचाव कर रहे हैं। यह बात भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष जब

यहां बैठे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्य मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में मनाली के पास एक बड़ा ग्राउंड लगभग 150 बीघा जमीन थी जिसकी वर्तमान कीमत 250 करोड़ रुपये है। उस जमीन को मात्र 1.5 करोड़ रुपये में 'माया नगरी कंपनी' को दिया गया था।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1240/DT/YK-1

श्री संजय अवस्थी जारी...

माया नगरी कंपनी जिसका मैं नाम भी लेना चाहुंगा जिस कंपनी को देने के बाद अभी तक सरकार को उससे कोई लाभ नहीं हुआ है बल्कि उल्टे सरकार के लिए लायबिलिटी खड़ी हो गई है और वह कंपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में गई है। इन्होंने अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के हित बेचे हैं। अपने चहेतों को हिमाचल प्रदेश की प्राइम लैंड कौड़ियों के भाव दी गई है। मैं इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथियों ने पूर्व में इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह मयानगरी कंपनी थी जब इस कंपनी को अवार्ड किया गया तो इसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव बिड नहीं बुलाई गई। इस कंपनी द्वारा जो सिंगल टेंडर डाला गया था उसका टेंडर डॉक्यूमेंट टेलर मेड था। यह कंपनी पंजाब गवर्नमेंट में डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई थी। इसकी जानकारी उस समय नेता प्रतिपक्ष को भी थी तो क्या कारण थे कि हिमाचल प्रदेश की इतनी प्राइम लैंड इस कंपनी को कौड़ियों के भाव दी गई और इसमें इनका क्या इंटरेस्ट था, इस बात का स्पष्टीकरण भी ये दें? और ये वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ।

मैं नेता प्रतिपक्ष के जिले मंडी की ही बात करूंगा। मंडी जिले में एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल की स्थापना के लिए भूमि दान में दी गई थी वह भूमि राजपरिवार के सदस्यों द्वारा यह भूमि स्कूल के निर्माण के लिए दान में दी गई थी। अब नेता प्रतिपक्ष यह बताएं कि उस भूमि का सी0एल0यू0 चेंज करवाया गया और जिस स्थान पर स्कूल बना था उस स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी गई और उस भूमि को कमर्शियल यूज के लिए अपने एक चहेते को दे दिया गया। आज वहां पार्किंग बनी हुई है जिसका कोई रेवेन्यू सरकार को नहीं आता है। क्या नेता प्रतिपक्ष इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ये किस मुंह से आज भ्रष्टाचार

के आरोप लगा रहे हैं? इनके अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार फला-फूला है। आज पेपर लीक की जो बात हो रही है उस पर मैं विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूंगा। आज 5,000 बीघा जमीन एक रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से अपने चहेतों को दी गई, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय और मेरे साथी सदस्यों ने भी अपने संबोधन में इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है।

19.11.2026/1240/DT/YK-2

मैं एक और बात नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब ये मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने प्रदेश के स्टूडेंट्स और युवाओं को भ्रमित करने के उद्देश्य से एक प्रोजैक्ट लाए जिसका नाम साइंस लर्निंग सेंटर रखा गया। यह शिमला जिले के शोघी के साथ स्थित आनंदपुर नामक स्थान पर बनाया जाना था। वहां 50 करोड़ रुपये की लागत से वह साइंस लर्निंग सेंटर साइंस लर्निंग सेंटर स्थापित किया गया और उसे एक निजी यूनिवर्सिटी को निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। आज उस साइंस लर्निंग सेंटर की क्या स्थिति है, प्रदेश यह जानना चाहता है? इसके अतिरिक्त यह भी जानना चाहता है कि किन शर्तों पर वह सेंटर एक निजी यूनिवर्सिटी को दिया गया था? मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वे अपने गिरेबान में झांकें। इनके समय में जो अनियमितताएं हुई हैं उनका खामियाजा आज प्रदेश सरकार तथा प्रदेश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। आज प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जो बदहाल हुई है वह इनकी ही देन है। इनके समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जब प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी तब मुख्य मंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हिमाचल प्रदेश को कर्जे से उबारेंगे तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इन चार वर्षों में अर्थात् 11 दिसंबर को चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस अवधि में एक भी मंत्री अथवा विधायक ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। यह अलग बात है कि समय-समय पर विपक्ष के साथी झूठे आरोप लगाते रहते हैं लेकिन उन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है और न ये इन चार वर्षों के अंदर इसका प्रमाण दे सके।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

19.11.2026/1245/वाई0के0/ए0पी0/-01

श्री संजय अवस्थी जारी .....

यह अलग बात है कि समय-समय पर विपक्ष के हमारे साथी झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन इनके पास उन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है। पिछले चार वर्षों में भी ये अपने आरोपों को साबित नहीं कर सके हैं। यह बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए यह कहना कि हिमाचल प्रदेश ऑन सेल है, बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश ऑन सेल नहीं है। Himachal Pradesh is safe in the hands of the present Government. यह मैं कहना चाहता हूं। हम हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा कर रहे हैं। मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आज सुरक्षित हाथों में है। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आपके समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भर्ती घोटाला हुआ था। उस समय के जो तत्कालीन वाइस चांसलर थे, उन्हें उस भर्ती घोटाले का क्या रिवॉर्ड दिया गया? आज वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। यह रिवॉर्ड उन्हें मिला है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हमारे इन साथियों ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को अंधकार में रखा। यह बात भी मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं।

यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौणी, सोलन में समय-समय पर आरोप लगते रहे हैं। आज भी कुछ मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। मैं उन मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन वहां हुई नियुक्तियों और भर्तियों पर भी सवाल उठे हैं और वे संदेह के घेरे में हैं। वह मामला भी सब-ज्यूडिस है उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय वहां कौन वाइस चांसलर थे? आपको पता है कि उस समय आपके छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को आपने वहां पर वाइस चांसलर बनाया था। आज उनकी नियुक्ति संदेह के घेरे में है जिसका फैसला आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से होगा और यह बात प्रदेश की जनता के सामने आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि श्री रणधीर शर्मा जी भी अपने संबोधन में बहुत-सी बातें कर

रहे थे। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जितना अधिकार हम लोगों को आपसे सवाल पूछने का है उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप अपने नेताओं से सवाल पूछें। आप उस समय विधान सभा के सदस्य नहीं थे जिस समय की मैं यह बात कर रहा हूं। लेकिन सवाल पूछने का अधिकार आपका भी है। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बातें सदन के समक्ष रखी हैं मैं चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष इनका जवाब दें ताकि नियम-

19.11.2026/1245/वाई0के0/ए0पी0/-02

67 के अंतर्गत यहां जो प्रस्ताव लाया गया है और जिसके माध्यम से भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है उसकी सच्चाई सामने आ सके। यह काम रोको प्रस्ताव है। इन्होंने हमेशा सदन की कार्यवाही रोकने का प्रयास किया है। समय-समय पर जब ये किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं और सत्तापक्ष की सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं तो ये वॉकआउट करते हैं। आज ये सदन में बिना तैयारी के आए थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि नियम-67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया जाए। इन्हें लगा था कि अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और इस पर चर्चा नहीं होगी, जिसके बाद ये वॉकआउट कर देंगे। ऐसी मंशा हमारे विपक्ष के साथियों की थी। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और आज मैं समझता हूं कि ये अपने आपको बचाते फिर रहे हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने जो झूठे आरोप लगाए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा कि समय को देखते हुए सदन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। उन मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को समय रहते वापस लें ताकि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। पिछले तीन दिनों से प्रश्नकाल में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इस कारण सदन का समय बर्बाद हुआ और अंत में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन शर्मिंदगी इन्हें जरूर महसूस होगी। यह मैं कहना चाहूंगा। अंत में, मैं एक बार फिर अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह करता हूं कि नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव आप यहां लेकर आए हैं उसे वापस लें। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

19.11.2026/1245/वाई0के0/ए0पी0/-03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.11.2026/1250/AT/AG/01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी....

मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए यहां खड़ा हूं और जैसा इस प्रस्ताव का मूल है कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी वर्तमान प्रदेश सरकार। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व सब वक्ताओं ने बारी-बारी से कि वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार कैसे अपना काम कर रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब टाइटल में (***) लिख दिया, तो (***) का मतलब ही करप्शन है। (***) का मतलब ही कमीशन है, (***) का मतलब ही क्राइम है। आज तक जो इन्होंने पिछले चार वर्षों में किया है, जब हम मैनेजमेंट में C-4 का प्रिंसिपल पढ़ते थे उसका मतलब कुछ ओर होता था। लेकिन इनका मतलब (***) कह दिया, तो आपको आगे सब कुछ समझ आ जाएगा।

सभापतिः आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो या पार्टी के ऊपर लगा रहे हो?

श्री त्रिलोक जम्वाल : दोनों के ऊपर।

सभापति : आप दोनों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आप नियम-67 पर बोलो, आप सरकार के ऊपर आरोप लगओ। ...(व्यवधान)आप पार्टी के ऊपर क्यों बोल रहे हो? आप नियम 67 पर बोलो, आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं...(Interruption) It will not be part of the record...(व्यवधान) क्योंकि ये नियम 67 गवर्नमेंट के ऊपर है, पार्टी के ऊपर नहीं है... please, please, please, please विनोद जी , please बैठिए, Don't disturb? ...(Interruption)

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय। मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)कि (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

19.11.2026/1250/AT/AG/02

Chairman: It will not be part of the record.

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, अगर इसकी बात करेंगे तो कांग्रेस को या सरकार को ये सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। क्या ये सत्य नहीं है कि टू-जी स्पेक्ट्रम किसके टाइम में हुआ? एक लाख छत्तीस हजार करोड़.. (व्यवधान)

सभापतिः आप हिमाचल की बात करो। माननीय सदस्य आप नियम 67 पे हिमाचल की बात करो...(व्यवधान) नियम 67 हिमाचल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया गया है ...(व्यवधान)please, आप हिमाचल की बात करो, नियम 67 हिमाचल सरकार के विरुद्ध लाया गया है, करप्शन के ऊपर लाया गया है, आप उसपे बात करो. ...(व्यवधान) आप नियम 67 से बाहर जाकर देश और विदेश की बात ना करें।...(व्यवधान)

श्री त्रिलोक जम्वाल : सर, इतना नोट पढ़ दिया...(व्यवधान)

Chairman: Please don't disturb. रंणधीर जी, आप इतने सीनियर आपने इतनी अच्छी स्पीच दी. रणधीर जी, आप कहां फंस रहे हैं इस में?

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदया, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है।...(व्यवधान)

Chairman: Please, let him speak. ...(Interruption) मैं दोनों को बोल रहा हूं कि नियम 67 पर बोलो।...(व्यवधान) मैं दोनों को बोल रहा हूं कि नियम 67 पर बोलो। हिमाचल सरकार के ऊपर बोलो आप। मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)दलीप जी, आपका टाइम आएगा आप खुद बोल लेना।...(व्यवधान) जम्वाल जी एक मिनट माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

19.11.2026/1250/AT/AG/03

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, ये जो चर्चा नियम 67 पर हो रही है वह प्रदेश सरकार के खिलाफ हो रही है। आप पहले कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं ये पूर्व की यूपीए सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि चर्चा इन्होंने नियम 67 में दी है...(व्यवधान) आप जम्वाल जी, कह रहे हो ना टू-जी स्पेक्ट्रम, वो वर्ष 2014 से पहले अपने उसकी हाईप क्रिएट की थी और आपको जानकारी नहीं होगी कि टू-जी स्पेक्ट्रम में केस डिसमिस हो गया है। Nothing has been found wrong. It is the judgment of the court. आप प्रदेश सरकार के बारे में बोलो.

सभापतिः माननीय कृषि मंत्री महोदय.

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

19.11.2026/1255/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा .. जारी

सभापति : कृषि मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान) Please don't disturb.

कृषि मंत्री : सभापति महोदय, नियम-67 में आप प्रदेश सरकार की गतिविधियों के बारे में चर्चा कीजिए। आपने जो पूंजी स्पैक्ट्रम की बात की है, उस समय भी आपने पूरी दुनिया में बड़े-बड़े दावे किए थे और बाद में जब वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वह साबित नहीं हुआ। उस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी और उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने गलत बोला था। सरकार ने उसे बख्श दिया, जबकि उसके खिलाफ सिडिशन का केस दर्ज होना चाहिए था। उसने स्वयं माफी मांगी है। आप रिकॉर्ड देखिए और तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। बिना सोचे-समझे इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और वहां वह हार गया। उसके बाद उसे माफी मांगनी पड़ी। ...(व्यवधान)

सभापति : त्रिलोक जम्वाल जी, प्लीज, प्लीज। दोनों मंत्री हैं, प्लीज, त्रिलोक जम्वाल जी, आप त्रिलोक जम्वाल जी का समय क्यों ले रहे हैं? Please don't disturb.

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, जो लोग मुझे पढ़ाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूं कि क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व एम0एल0ए0 और पूर्व सी0पी0एस0 तथा कांग्रेस के सिटिंग उपाध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश से पांच अटैचियां जाती हैं जिनमें से तीन दिल्ली जाती हैं और दो अटैचियां यहां बंट जाती हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और क्या प्रमाण हो सकता है, जब इस हाउस में बैठे हुए सिटिंग मंत्री को भी इस मामले पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी? क्या हुआ? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं?

सभापति महोदय, हमीरपुर के बस स्टैंड की 34 करोड़ रुपये की बोली हुई थी और 120 करोड़ रुपये की पेमेंट होती है तथा यह मामला 200 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया।

नहीं है, ये जी0ए0डी0 कर रही है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि 34 करोड़ रुपये की बोली के मामले में यदि स्विंग होना था तो वह 10 प्रतिशत होना चाहिए था। हमारे फाइनेंशियल रेगुलेशन और फाइनेंशियल रूल के अनुसार डिविएशन केवल 10 प्रतिशत तक ही हो सकती है। वह बस स्टैंड नहीं होगा बल्कि कांग्रेस का स्टैच्यू ऑफ करप्शन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस ठेकेदार को आपने ऑफलाइन में 5 लाख रुपये का टेंडर दिया है और वह 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपये का काम करे तो क्या आप उसे लीगलाइज करेंगे? फिर टेंडर प्रक्रिया क्यों है? एक इनकम्पिटेंट व्यक्ति 34 करोड़ रुपये का काम नहीं कर सकता तो आप उसे 200 करोड़ रुपये का काम क्यों दे रहे हैं? किसको बेनिफिट देने के लिए दे रहे हैं?

इसीलिए मैंने कहा कि डिप्टी सी0एम0 साहब ने तो हाथ झाड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बेशक हूं, लेकिन न तो मैं बसों की परचेज में इन्वॉल्व हूं और न ही उस कमेटी में मेरा नाम है तथा न ही बस स्टैंड मेरे अधीन है। तो फिर उनके अधीन क्या है? यह करप्शन और स्टैच्यू ऑफ करप्शन है। इसीलिए कहा गया कि पांच अटैचियां जा रही हैं। मैं यह बात वैसे ही नहीं कह रहा हूं। सभापति महोदय, हमारा पीटरहॉफ पी0पी0पी0 मोड पर है। कल यहां कहा गया कि यह पी0पी0पी0 मोड पर है लेकिन हम इसे दे नहीं रहे हैं, जबकि इसे 30 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। आपने कहा कि अभी तक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज नहीं हुई हैं। यदि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज नहीं हुई हैं तो यह डॉक्यूमैंट कहां से निकला? इस डॉक्यूमैंट में आपने लिखा है, "regarding reconstruction of existing building, State Guest House, Peterhoff on PPP mode." इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन-कौन शामिल हैं? यह आपका ऑर्डर है और आपकी चिट्ठी है। अपनी चिट्ठी पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान) प्रपोज्ड फाउंडेशन क्या है? क्या प्रपोज्ड से फाउंडेशन बनती है?

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-11-2026/1300/NS-AS/1

श्री त्रिलोक जम्वाल------जारी

सभापति महोदय, यह छोटी-मोटी करप्शन का मामला नहीं है। अभी हमारे साथी अवस्थी जी कह रहे थे कि कुल्लू में कोई प्राइम लैंड है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे प्राइम लैंड यदि कोई है तो वह मॉल रोड है और पीटरहॉफ उसी मॉल रोड पर स्थित है। मॉल रोड की उस प्रॉपर्टी को जो हेरिटेज है और जिसमें वायसराय रहते थे, जिसमें पंजाब और हिमाचल के संयुक्त होने के समय हाईकोर्ट था तथा जहां महात्मा गांधी जी जिनकी आप दुहाई देते हैं, के असैसिनेशन का केस चला था। उस हेरिटेज बिल्डिंग को भी आपने 30 वर्षों के लिए निजी हाथों में बेच दिया। इससे अधिक प्राइम लैंड पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। आप पूछते हैं कि भ्रष्टाचार कहां हो रहा है? इस सरकार में जहां पत्थर उठाओ वहीं भ्रष्टाचार दिखाई देता है। मॉल रोड की जमीन के अलावा आपने एच0पी0 टूरिज्म की 14 प्रॉपर्टीज पहले बनाईं और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए अपने चहेतों को दे दीं। इनमें मेरे बिलासपुर का लेक व्यू भी शामिल है। वहां प्रॉफिट होने के बावजूद आपने उसका टेंडर निकाल दिया। पहले सरकार प्रॉपर्टी बनाती है और फिर उसे निजी लोगों को दे देती है। हिम निकेतन पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 100 करोड़ रुपये की जमीन ली और कुल 300 करोड़ रुपये लगाकर इसे बनाया। अब इसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए अपने मित्रों को देने की तैयारी की जा रही है। 300 करोड़ रुपये इसलिए लगाए गए थे ताकि हिमाचलवासियों को फायदा हो और उन्हें सुविधाएं मिलें लेकिन अब आपने वहां बिजनेस करने के लिए अपने मित्रों को देने की योजना बना ली है। यह उसका टेंडर डॉक्यूमैंट है जिसे आपने जारी किया है। नई बिल्डिंग बनाई और उसे भी दे दिया। फिर कहते हैं कि हिमाचल ऑन सेल नहीं है। मॉल रोड की प्रॉपर्टी जो अभी बनी भी नहीं है उसे आपने बनने से पहले ही देने की तैयारी कर ली। आपने 18 प्रॉपर्टीज बनाने के बाद बेचीं। हिम निकेतन बनाने के बाद बेचा। अब जो बिल्डिंग पी0पी0पी0 मोड पर बन रही है आपने उसको भी बेच दिया है। यह उसके डॉक्यूमैंट्स हैं । अवस्थी जी, केवल बोलने से काम नहीं होगा, it is your document. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है?

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इस सरकार ने प्रदेश के गरीबों को भी निचोड़ दिया। गरीब हमारा भाई है जो रोज अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करता है। यह वही व्यक्ति है जिसके हितैषी होने की सरकार बड़ी-बड़ी दुहाई

देती है कि हम तो गरीबों के हितैषी हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस सरकार ने उन गरीब लोगों का तेल कैसे निकाला? सभापति महोदय, यदि आप सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हमारे पी0डी0एस0 सिस्टम को देखेंगे तो उसमें गरीब लोगों को डिपुओं के माध्यम से तेल उपलब्ध करवाया जाता है। इस संबंध में मुझे प्रश्न संख्याः 4717 का जो उत्तर दिया गया है उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। इसके उत्तर में आपने लिखकर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों को डिपुओं में जो तेल मिलता है उसकी कीमत हमारे कार्यकाल में दिसंबर, 2022 में 92-93 रुपये थी। जबकि पिछले महीने सोसाइटी में इसकी कीमत 179-180 रुपये तक पहुंच गई। पहले हम दो तरह के तेल रिफाइंड और सरसों का तेल लेते थे। उस समय हम लगभग 50,000 लीटर तेल लेते थे। मैं सी0एम0 ऑफिस में रहा हूं। जब तेल की कीमत एक रुपये बढ़ती थी तो कहा जाता था कि 50 लाख रुपये का घोटाला हो गया।

सभापति महोदय, जिस दिन हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और जिस दिन से हमारा सिविल सप्लाई डिपार्टमैंट शुरू हुआ उस दिन से लेकर दिसंबर, 2022 तक तेल की कीमत केवल 92-93 रुपये थी। आखिर क्या कारण है कि पिछले चार वर्षों में इसकी कीमत बढ़कर 179 रुपये हो गई? यह आंकड़ा आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यदि हम यह मान लें कि हम 20 लाख लीटर तेल भी लेते हैं जबकि पहले दो प्रकार के तेल दिए जाते थे और अब वह भी बंद कर दिया गया है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1305/RKS/AS-1

श्री त्रिलोक जम्वाल.... जारी

अगर आप एक भी मान लें तो 4 वर्षों में 87 रुपये का अंतर है। आपने गरीब को पूरी तरह (***) दिया है। आपने (***)निकाल दिया है। यह आपकी सरकार ने किया है। यदि आप इसकी गणना करेंगे तो यह राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होगी। क्योंकि आप 87 गुना 12 कर लें तो 208 करोड़ रुपये बनते हैं और 208 करोड़ रुपये को 5 से गुणा करने पर यह राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है। मैंने कहा कि जब सिविल

सप्लाईज में 25 पैसे की बढ़ोतरी होती थी तो बड़ा हो-हल्ला होता था। जब 50 पैसे बढ़ते थे तो आप लोग नारे लगाते थे। अब 87 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बताइए कि इसमें किसने भ्रष्टाचार किया है और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं?...(व्यवधान) गरीब को मिलने वाली चने की दाल पहले 36 रुपये थी जिसे अब 66 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी इसमें 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार माह की दाल पहले 44 रुपये किलो थी जो अब बढ़कर 107 रुपये हो गई है। पिछले महीने यह 97 रुपये किलो थी। अब आप बताइए कि 5 अटैची का विवाद उचित था या नहीं? आपने हर महीने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो उसे सुनना भी चाहिए। यदि आप इन सभी चीजों को देखें तो केवल सिविल सप्लाईज में ही लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक का गमन हुआ है। मैं यह बात सदन के भीतर कह रहा हूं। आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो दाल दिसंबर, 2022 तक 36 रुपये में मिलती थी वह 66 रुपये कैसे हो गई? ...(व्यवधान) आप कोई बात सुनना नहीं चाहते। ...(व्यवधान) मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं आप निश्चिंत रहें। अब बिजली की बात करते हैं। गरीब आदमी जो बिजली का उपयोग करता है उससे पूछिए कि इस सरकार ने उस गरीब आदमी की बिजली कैसे निकाली? आपने मिल्क सैस लगाया। आपने इस पर 4 करोड़ रुपये की कलेक्शन की। एनवायरनमैंट टैक्स लगाया और आपने दूध की गारंटी दी कि दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा। आपने प्रत्येक उपभोक्ता और गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्ति का (***) प्रत्येक घर से दूध के पैसे जा रहे हैं और ऐसा क्यों किया गया?

सभापति : माननीय सदस्य ने जो (***) और (***) शब्दों का उपयोग किया है उन्हें कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सर, इन्होंने (***) तो निकाला ही है। ...(व्यवधान)

19.11.2026/1305/RKS/AS-2

सभापति : (***) और यह असंसदीय शब्द है।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, इस सरकार में गरीब आदमी को सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास मैं पहली बार इस सदन में यह बात

कह रहा हूं और सुक्खू सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि एनवायरनमैंट टैक्स के नाम पर यदि गरीब व्यक्ति सांस लेता है तो उसे बिजली के बिल के रूप में सांस लेने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। आपने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि हम एनवायरनमैंट टैक्स ले रहे हैं। गाड़ी में बैठने पर फ्यूल टैक्स के रूप में पैसे ले रहे हैं। विधवा से विधवा टैक्स और अनाथ से अनाथ टैक्स लिया जा रहा है। आखिर यह सरकार किस बात की दुहाई दे रही है? इतना ही नहीं, आपने गरीब को कहीं से भी नहीं बख्शा है। पहले तो मुर्गा खाया और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुर्गे के साथ-साथ शराब भी पी गया। मैं यह बात यूं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि आपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि एपिटको नाम की एक कंपनी आई है, जो तेलंगाना की है। वह तो शराब के कारोबार में मौज कर ही रही है लेकिन इसमें वन विभाग भी तर गया। वन विभाग ने भी शराब बेची है। जब वन विभाग ने शराब बेची तो क्या परिणाम सामने आए? आप सोचिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और क्या हो सकता है कि विधायक निधि में 50 प्रतिशत की कटौती हो सकती है लेकिन जिनके 38-38 करोड़ रुपये बकाया है उनका क्या हुआ? आप मेरे प्रश्न संख्याः 1911 को देखिए। शराब किसने बेची? शराब फॉरेस्ट डिपार्टमैंट ने बेची। इसमें कहां-कहां घाटा हुआ? इसमें एक धर्मशाला और दूसरा हमीरपुर में घाटा हुआ है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1310/बी.एस./डी.सी.-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

तीसरा कितने पैसे देने बाकी हैं? इसमें लिखा है कि वन निगम को अब तक 16.33 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान विभाग को अभी तक 82.51 करोड़ रुपये की फीस और वसूल करनी है। यदि यह राशि वसूल नहीं की गई तो कुल घाटा 38 करोड़ रुपये हो जाएगा। मैंने कहा कि जंगली मुर्गा तो खाया ही खाया साथ-ही-साथ आबकारी विभाग की दारू भी पी गए।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : इतना ही नहीं सभापति महोदय, आप सुनिए जो कंपनी है उसके संबंध में भी गंभीर मामला सामने आया है। आप कह रहे हैं कि आप व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। आदरणीय पठानिया जी भी दुहाई दे रहे थे और आदरणीय संजय अवस्थी जी भी दुहाई दे रहे थे। अब मेरी बात सुनिए। वर्ष 2023-24 में जिन डिफॉल्टरों ने, यह भी प्रश्न के जवाब में जानकारी दी है। मैंने पूछा था कि कितना डिफॉल्ट है और किन-किन कंपनियों का डिफॉल्ट है? जवाब में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में 121 करोड़ रुपये की राशि की कोई रिकवरी नहीं हुई। वर्ष 2024-25 में 52.41 करोड़ रुपये की कोई रिकवरी नहीं हुई। अब तो हद हो गई है कि132 करोड़ रुपये की राशि की भी कोई रिकवरी नहीं हुई। मैंने पूछा कि इन डिफॉल्टरों को दोबारा टेंडर किसके कहने पर दिए गए? आखिर कौन-सी आबकारी नीति है और किसके कहने पर इन्हें दोबारा टेंडर दिए गए? आदरणीय संजय अवस्थी जी, आपके प्रश्न के जवाब में भी यह सामने आया है कि लगभग 535 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। उसका प्रश्न भी मेरे पास है।

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, यदि यह पैसा भी रिकवर हो जाता तो विधायकों को केवल 72-73 करोड़ रुपये ही देने हैं। हमारे कमिश्नर भी पैसे मांगने के लिए तेलंगाना गए थे लेकिन वहां से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इतना ही नहीं वहां के अधिकारियों ने हमारे कमिश्नर से बात करना भी उचित नहीं समझा। आखिर प्रदेश सरकार की क्या मजबूरी है? तेलंगाना की जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वहां हमारा कमिश्नर पैसे

मांगने जा रहा है लेकिन कंपनी के अधिकारी उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। इस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ठेके दिए हैं। मेरे बिलासपुर में भी इस कंपनी ने 6 ठेके दिए हैं और उनमें से केवल 15 प्रतिशत पैसा रिकवर हुआ है। सभापति महोदय, माननीय यू0डी0 मंत्री भी यहां बैठे हैं। आप करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन तो पूरी तरह संस्थागत हो गई है और इसकी जड़ें जमीन तक पहुंच गई हैं। आपके

आर0डी0 विभाग में भी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। आदरणीय रणधीर शर्मा जी पेवर ब्लॉक की बात कर रहे थे। मेरे पास वर्ष 2022 के दोनों आई0एस0आई0 मार्का पेवर ब्लॉक से संबंधित प्रश्न हैं। वर्ष 2022 में जो पेवर ब्लॉक 200 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर था उसकी कीमत जनवरी, 2023 में 600 रुपये हो गई। इसी तरह दसूरी कीमत 750 रुपये हो गई। ये आंकड़े आपकी सरकार की अपनी कैलकुलेशन के अनुसार हैं। एक पेवर ब्लॉक में 12 से 15 रुपये तक का घोटाला है। आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि पूरे प्रदेश में ऐसे कितने हजारों पेवर ब्लॉक लगाए गए होंगे और कुल कितनी बड़ी राशि का घोटाला हुआ होगा? इस तरह से पुरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला जाएगा। आपके दोनों सरकारी पत्रों में 40, 60 और 80 का उल्लेख किया गया है। ये आपके दोनों जवाब हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, वाइंडअप प्लीज।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, ये दोनों सरकारी पत्र हैं। कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। इतनी बड़ी करप्शन हर पंचायत और हर गांव और हर घर तक पहुंचा दी गई। चाहे पी0डी0एस0 के माध्यम से हो या बिजली के माध्यम से। अब यदि पेवर ब्लॉक के लिए एक पंचायत 20 लाख रुपये खर्च करती है तो यह घोटाला 500 से 700 करोड़ रुपये या उससे भी अधिक का हो सकता है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं आप देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा मेरे बिलासपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं शुरू में कहना चाहता था कि 'सी' से चार चीजें बनती हैं 'सी' का पहला मतलब छोड़ देता हूं लेकिन आप समझ जाइए कि इसमें करप्शन भी आती है, क्राइम भी आता है और कमीशन भी आती है।

19.11.2026/1310/बी.एस./डी.सी.-3

सभापति महोदय, मेरे बिलासपुर में 100 करोड़ रुपये की सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। इस योजना का पूरा बेड़ा गर्क हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस के

कुछ लोग उसमें ठेकेदार बनकर काम कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि वह कुछ नहीं कर रही है? मैंने इस सदन में कई बार कहा है कि इस योजना की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1315/DT/YK-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

अब सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) तभी तो मैंने कहा था कि सी-फोर का मतलब (***), करप्शन, कमीशन और क्राइम है। इस विषय पर सरकार जवाब भी दिया था। मैंने पूछा था कि यह कंपनी कौन है; कहां की है; कैसी है; क्या करती है; इसका कार्यालय कहां है? लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया, मैं एक अधिवक्ता हूं इसलिए पेपर पढ़ भी लेता हूं और रख भी लेता हूं। उस जवाब के अंत में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि यह कार्यालय आपको नहीं मिलेगा। अब मैं पढ़कर सुनाता हूं, उसमें लिखा है कि बिलासपुर के जिस भवन में कंपनी का कार्यालय चल रहा है वह प्लॉट नंबर दो इंडस्ट्रियल एरिया बिलासपुर में स्थित है। उस प्लॉट के मालिक का नाम श्री बंबर ठाकुर, सुपुत्र श्री रामदास ठाकुर है। ये (***)के पहले महामंत्री तथा अब उपाध्यक्ष हैं। इसलिए मैंने कहा कि (***) और करप्शन एक ही हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आपने 100 करोड़ रुपये की कंपनी का कार्यालय ही अपने घर में खुलवा दिया ताकि वहां कोई जा न सके और कोई प्रश्न न पूछ सके। मेरा पूरा बिलासपुर शहर उखड़ गया है।

सभापति : (***) शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय इस संबंध में जो कुछ लिखा है वह सब रिकॉर्ड में है। इसमें काटने की क्या आवश्यकता है? यह बड़े दुःख की बात है। आप कह रहे हैं कि आप करप्शन कर रहे हैं जबकि मैं कह रहा हूं कि आप करप्शन में ही जन्मे और पले हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है।

सभापति महोदय, मैं एक बात पासिंग रेफरेंस में कहना चाहता हूं और इसके बाद एक-एक विषय पर अपनी बात रखकर वाणी को विराम दूंगा।

सभापति महोदय, धारा-118 में कुछ संशोधन सरकार द्वारा प्रपोज्ड हैं उसके लिए सिलैक्ट कमेटी का बनाई गई है जिसमें आप भी सदस्य हैं और मैं भी सदस्य हूं। इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन 118 से संबंधित जो बिल पहले सदन

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

19.11.2026/1315/DT/YK-2

में लाया गया था उससे सरकार की मंशा और उसकी वास्तविक इंटेंशन स्पष्ट रूप से रिफ्लेक्ट होती है। सरकार उस बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है यह भी स्पष्ट होता है। उस बिल में आपने यह प्रावधान किया था कि किसी को भी गांव में प्रॉपर्टी दे दी जाए और वह 20 साल तक उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। इसके लिए न उसे लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा और न ही सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार को उस प्रॉपर्टी की तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ...(व्यवधान) मैंने कहा कि मैं भी हूं। मैंने उस समय भी कहा था कि जो बिल सदन में पेश किया गया है ...(व्यवधान)

सभापति : वह बिल अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है और उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, मैं उस बिल के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैंने कहा कि intention of Government न ही सेलेक्ट कमेटी के विषय को छू रहा हूं। मैं केवल यह कह हूं जो बिल सरकार ने हाउस में ले कर दिया था उसकी जो कंडिशन्ज थी उस कंडिशन्ज में जो सरकार की इंटेंशन ...(व्यवधान)

सभापति : जब उस बिल को ले किया गया जब उसपर आपत्तिया दर्ज हुईं तो उसके बाद ही तो सिलैक्ट कमेटी का गठन किया गया। अब सिलैक्ट कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है

उसके बाद ही बिल को दोबारा इंटरोड्यूज किया जायेगा। इसके बारे में मत बोलिए and please wind up now.

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, इसलिए मैने कहा पासिंग रेफरेंस में यह कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में धारा- 118 के माध्यम से सरकार की जो मंशा थी उसे विपक्ष ने अभी तक पूरा नहीं होने दिया है और इस सरकार की करप्शन वाली मंशा को भी हम पूरा नहीं होने देंगे।

19.11.2026/1315/DT/YK-3

सभापति महोदय, यह जो इस सरकार के चलते-चलते हमारे यहां टोकन माफिया हावी हो गया है। मेरे बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में जहां ट्रेजरी बंद है वहां यह स्थिति क्यों बनी हुई है?

सभापति : माननीय सदस्य, ये सारे रेफरेंसिज तो आ चुके हैं। आप बार उनका रिपिटिशन क्यों कर रहे हो? इसलिए please wind up.

श्री त्रिलोक जम्वाल : जैसा कि मैंने हमीरपुर बस स्टैंड का उदाहरण दिया था कि 120 करोड़ उसका निकल जाता है। लेकिन हमारे छोटे ठेकेदारों के एक लाख रुपये, दो लाख रुपये और तीन लाख रुपये की पेमेंट फसी है, वह क्यों नही दी जा रही। बड़े ठेकेदारों के भुगतान कर दिए गए हैं लेकिन मेरे बिलासपुर के वे छोटे ठेकेदार भी शामिल हैं जिन्होंने काम किया है और जिन्हें अभी तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। सभापति महोदय, सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि यही समय है और सही समय है सुधर जाइए चाहिए नहीं तो भाजपा आने वाली है और कांग्रेस जाने वाली है। धन्यवाद।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए दोपहर 2 बजकर 20 मिनट तक स्थगित की जाती है।

19.11.2026/1425/एच0के0/ए0पी0/-01

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.25 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री संजय रत्न की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत दिनांक 17.11.2026 को विपक्ष की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव सदन में लाया गया था, मैं भी उस विषय पर बोलने के लिए अपने आप को शामिल करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। जब 17 तारीख को सदन में यह प्रस्ताव रखा गया था तो विपक्ष की क्या मंशा थी? उनकी मंशा यह थी कि उनका प्रस्ताव रिजेक्ट होगा, फिर हम हंगामा करेंगे, बायकॉट करेंगे और अखबारों की सुर्खियों तथा मीडिया में आएंगे। यहां तक कि वे मीडिया वालों को यह कहकर भी गए थे कि हम बाहर आ रहे हैं। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही उप- मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सरकार इस विषय पर डिस्कशन के लिए तैयार है और अध्यक्ष महोदय ने भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया तो विपक्ष के सदस्य एक-दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह क्या हो गया। लगभग 10-15 मिनट तक माननीय नेता प्रतिपक्ष भी असमंजस में रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। जबकि आपने नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया उसमें हिमाचल प्रदेश को 'Himachal on Sale' बताया गया; without any evidence; without any document; with no substance; maiden statements and oral evidence. अरे, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 'Himachal on Sale' लेकिन इसको परुफ करने के लिए आपके पास एक भी दस्तावेज नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक, अभी तक आप लोगों ने एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आप अपने आरोपों को प्रमाणित कर सकें। आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और 'Himachal on Sale' बताया। हां, आप बड़ी-बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं। और जोर-जोर से बोलते हैं। विपक्ष की ओर से बहुत से अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन नियम-67 का जो पर्पज है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। कोई किसी और विषय पर चला जाता है, कोई कांग्रेस पार्टी की बात करता है और कोई दूसरी बात करने लगता है।

19.11.2026/1425/एच0के0/ए0पी0/-02

भ्रष्टाचार के विषय पर यहां बहुत सारी बातें हुई हैं। सबसे पहले श्री जय राम ठाकुर जी ने धारा-118 के उल्लंघन की बात कही। मेरे ख्याल से अगर हम अभी तक का रिकॉर्ड निकालकर देखें कि जब-जब भाजपा की सरकारें रही हैं, चाहे पिछली बार श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार रही हो या उससे पहले अन्य मुख्यमंत्रियों की सरकारें रही हों। सभी सरकारों के समय में धारा-118 का सबसे ज्यादा वॉयलेशन आपकी सरकारों के दौरान हुआ। इसका जीता-जागता उदाहरण शिमला में देखा जा सकता है। आप परमाणु से शिमला की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा। परवाणु से शिमला तक कितनी इंडस्ट्री और होटल्स हैं, इसे भ्रष्टाचार बोलते हैं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने यूनिवर्सिटीज में हुए पेपर लीक की भी बात इस माननीय सदन में कही है। यूनिवर्सिटीज में घोटाले की बात कही है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं इस माननीय सदन में असली भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.11.2026/1430/AT/HK / 01

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी योजना थी जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य था प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना, अर्थात् हर घर में नल लगाना। इस योजना के अंतर्गत कई हजार करोड़ रुपये आए। मैंने पिछले सत्र में या उससे पहले के सत्र में भी इस संबंध में एक प्रश्न लगाया था कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसके उत्तर में मुझे बताया गया कि इसका उद्देश्य प्रत्येक घर में नल लगाना और हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध करवाना है। लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया? जल जीवन मिशन के पैसों से रेस्ट हाउस बना दिए। मंडी के आसपास और पूर्व मुख्य मंत्री ठाकुर जय राम सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में ही लगभग आठ-दस रेस्ट हाउस बना दिए गए। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी ऐसे निर्माण किए गए। धर्मपुर में भी कई रेस्ट हाउस बनाए गए, जबकि उस धनराशि का उद्देश्य कुछ और था। इसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। जहां तक वर्तमान सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी

की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी की बात है, मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको भी उन्हें बधाई देनी चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए। यहां बहुत सारी चर्चा हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 11 दिसंबर, 2022 को जब हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी उस समय प्रदेश पर कितना कर्ज था, कर्मचारियों की कितनी देनदारियां थीं और केंद्र सरकार से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिल रही थी। इन सब परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने अपना कार्य जारी रखा।

इस सरकार को बने हुए चार वर्ष हो गए हैं लेकिन विकास के किसी भी कार्य में कोई कमी नहीं आने दी गई है। आर0डी0जी0 बंद कर दी गई और साथ ही प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न मामलों में, चाहे वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला हो, बी0बी0एम0बी0 का मामला हो या अन्य मामले हों, प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है उसके लिए आपको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। आप अनावश्यक रूप से यह आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल ऑन सेल है। केवल मौखिक आरोप लगाने और भाषण

19.11.2026/1430/AT/HK / 02

देने से कुछ नहीं होता। आप बताइए कि हिमाचल कहां सेल पर है? आपके पास कौन-से दस्तावेज हैं? Without any substance, without any evidence, as I have already said कि जोर-जोर से केवल भाषणों में यह कहना कि हिमाचल बेच दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा नियम 67 के अंतर्गत चर्चा लाने के पीछे विपक्ष की मंशा गंभीर चर्चा करवाने की नहीं थी। उनकी मंशा केवल वॉकआउट करने, समाचार पत्रों और मीडिया में सुर्खियां बटोरने तथा सनसनी फैलाने की थी ताकि यह संदेश दिया जा सके कि उन्होंने नियम 67 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे विचार से शायद यह पहली सरकार होगी जिसके कार्यकाल में आपने अभी तक सदन में नियम 67 के अंतर्गत जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं उनमें से एक-दो को छोड़कर लगभग सभी स्वीकार किए गए हैं। उन पर चर्चाएं हुई हैं और सार्थक चर्चा हुई है। परन्तु आप एक तरफ कहते हैं कि हिमाचल बेच दिया गया है और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार के आठ-दस महीने ही शेष रह गए हैं। अब भविष्य के गर्भ

में क्या छिपा है यह तो समय ही बताएगा कि आगे किसकी बारी पक्ष की है और किसकी बारी विपक्ष की है। मैं तो यही कहूंगा कि प्रदेश में जितनी भी हम 68 विधायक है हम यहां है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम 68 के 68 विधायक तो आये। बाकी राजनीतिक गतिविधियां तो चलती रहेंगी।

दूसरी बात, यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई विषयों पर चर्चा हुई है। ठाकुर साहब ने भी शिक्षा के विषय उठाए। उस दिन ठाकुर साहब सदन में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है।

मैं तो कहता हूं कि शिक्षा विभाग को बधाई देनी चाहिए। वर्ष 2021 में जब आपकी सरकार थी और आप श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग कितनेवें स्थान पर थी? उस समय प्रदेश 21वें स्थान पर था। आज मेरे विचार से प्रदेश चौथे या पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। जो तथ्य हैं, उन्हें तो स्वीकार कीजिए। आप कह रहे है कि शिक्षा में भी घोटाले हुआ। स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला हुआ**श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...**

19.11.2026/1435/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ... जारी
श्री मोहन लाल ब्राक्टा..... जारी

एजुकेशन और हैल्थ के क्षेत्र में घोटालों की बात करते हैं। बल्कि हैल्थ के क्षेत्र में तो आपके समय में भी घोटाला हुआ था। ठाकुर साहब,(जय राम ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए) आपके समय में कोविड के दौरान के दौरान घोटाला हुआ था और यह बड़ी शर्म की बात है कि कोविड के दौरान आपके समय में घोटाले हुए।

सभापति महोदय, मैं कोई ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा क्योंकि यहां बहुत सारी बातें हुई हैं। जो एक्साइज पॉलिसी आपके समय में थी उसमें भी घाटा हुआ था। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जब नई एक्साइज पॉलिसी लाई तो आज उससे स्टेट को फायदा हुआ और इस एक्साइज पॉलिसी से रेवेन्यू भी बढ़ा।

सभापति महोदय, बाकी असली घोटाला और असली भ्रष्टाचार क्या है? उसके बारे में तो मैंने बोलना नहीं था क्योंकि यहां पर नियम-67 के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे यह बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि ये कभी दिल्ली चले जाते हैं और कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ चले आते हैं। आप घोटाले की बात करते हैं लेकिन असली घोटाला तो चंदा चोरी का है जिसमें भगवान का पैसा था। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा जबकि उसमें भगवान का पैसा था। एक पेपर लीक का मामला भी है। ...(व्यवधान)

ठाकुर साहब, यह जो नियम-67 का मामला है, यह आपने लाया है और करप्शन प्रूफ करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। यह आपको प्रूफ करना है। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है कि हिमाचल ऑन सेल कैसे है? यह आपने बताना है, मैं आपके द्वारा लगाए गए नियम-67 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को कंट्राडिक्ट कर रहा हूं। बाकी जहां तक नियम-67 की बात आती है तो उसे प्रूफ करना आपका काम है। एक मामला 118 के वॉयलेशन का भी है। आप कहते हैं कि पीटरहॉफ बेच दिया, फलांना को बेच दिया और वह भी बिना किसी एविडेंस के ही आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक वोट चोरी की बात है तो यह असली घोटाला है। ...(व्यवधान)

19.11.2026/1435/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

ठाकुर जय राम जी आपने 40-45 मिनट तक बोला है और मैंने आपका पूरा भाषण सुना है लेकिन आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं था। आपने भी केवल ओरल स्टेटमैंट दी कि बेच दिया, ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि करप्शन था तो वह आपके समय में था। ठाकुर साहब, जब आप मुख्य मंत्री थे उस समय यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आपके समय में लोक निर्माण विभाग में जो पी0डब्ल्यू0डी0 या जल शक्ति विभाग के जो वर्कर्ज सड़कों पर लगे होते थे, उनमें से एक-दो की डयूटी तो यह लगी होती थी कि किसको ठेके देने हैं और किसको पेमेंट देनी है, यह सब तय होता था। हमारे कांग्रेसियों को तो अंदर तक नहीं मानते थे। जेनुइन पेमेंट भी नहीं मिलती थी। इस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था।

सभापति महोदय, बाकी आप भी रोहडू गए थे और अभी कुछ दिन पहले श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भी गए थे। लेकिन ठाकुर साहब, ऐसा चलता रहता है। आपने छह-सात बार इलैक्शन लड़ लिए हैं। मेरे ख्याल से आप भी एक-दो बार हारे थे। एक बार आप एम0एल0ए0 का इलेक्शन भी हारे थे और मेरे ख्याल से एम0पी0 का इलेक्शन भी शायद हारे थे। यह सब चलता रहता है। हार-जीत चलती रहती है और सरकारें आती-जाती रहती हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए। बाकी आप भी रोहडू गए थे। अभी कुछ दिन पहले वर्मा जी भी गए थे। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, यह सब चलता रहता है। आपने छह-सात-आठ इलेक्शन लड़ लिए हैं। मेरे ख्याल से आपने तीन-चार इलेक्शन तो लड़े ही होंगे। आप पहला एम0एल0ए0 का इलेक्शन हारे थे और मेरे ख्याल से एम0पी0 का इलेक्शन भी शायद हारे थे। यह सब चलता रहता है। हार-जीत चलती रहती है और सरकारें आती-जाती रहती हैं। भविष्य में क्या होना है, यह किसने देखा है? उससे घबराना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने आपका पूरा भाषण सुना। आपने वही पॉइंट पकड़ा हुआ है जबकि इनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। आपके रोहडू के तीन टूर लगे और आप डोडरा क्वारा भी गए थे। आप बताइए कि एक भी फाउंडेशन स्टोन आपने ऐसा रखा जिसके लिए आपने फंड दिया हो? आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था

19.11.2026/1435/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

सभापति महोदय, वर्मा जी तो हद ही पार कर गए। इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। ऐसा लगा जैसे इन्होंने रोहडू का इलेक्शन लड़ा हो और ये मुख्य मंत्री बन रहे हों। इन्होंने तो मुझे बेईमान तक बोल दिया। अरे वर्मा जी, थोड़ा शर्म करते और बोलने से पहले कुछ तो सोचते। आप 2012 से 2017 तक तो आप हमारे साथ थे। तब क्या होता था और कैसा होता था? राज साहब जी, आप तो हमारे भगवान हैं। हम तो बड़ी अच्छी जगह पर आए हैं। वर्मा जी, मैं आपको बताता चाहता हूं कि आप बड़े सीनियर हैं। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। हमारी पब्लिक में इमेज क्यों खराब होती? जिसके कारण हम एक-दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। आपने मुझे बेईमान बोल दिया जबकि मैंने आपका पूरा भाषण सुना। बाकी जहां तक प्रस्ताव की बात है तो अभी यहां श्री राकेश जम्वाल जी जो बातें कह रहे थे, मेरे ख्याल से वे हिमाचल भवन की बात कर रहे थे, चाहे

वह चण्डीगढ़ का हो या दिल्ली का। उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन गरीबों के लिए होता था लेकिन उसका पैसा बढ़ा दिया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हिमाचल भवन चाहे दिल्ली में हो

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-11-2026/1440/NS-YK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा------जारी

या चंडीगढ़ में, सर्किट हाउसिस हों या रैस्ट हाउसिस हों, सभी के रेट सबके लिए बराबर कर दिए। सबको पता है कि वहां कौन जाते हैं और अधिकतर लोग किस वर्ग से आते हैं? विपक्ष की बात करूं तो पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो उस समय सिटिंग एम0एल0ए0 को भी वहां कमरे नहीं मिलते थे। आप आम आदमी की बात करते हैं लेकिन आम आदमी तो वहां पहुंच ही नहीं पाता था। इसके अलावा ठाकुर साहब, मैंने जल जीवन मिशन की बात भी उठाई थी। पूर्व सरकार के समय जल जीवन मिशन में जितना घोटाला हुआ उसके बारे में मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से भी कई बार कह चुका हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पिछली सरकार के समय कई जगहों पर अधिकारियों द्वारा प्रधानों से कहा जाता था कि पाइपें नहीं बिछाई हैं और नलों के कनैक्शन भी नहीं लगाए गए हैं लेकिन आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कि पाइपें बिछा दी गई हैं। यह जल जीवन मिशन में हुआ है। इसी प्रकार रैस्ट हाउस बनाने का मामला है। मेरी जानकारी के मुताबिक केवल दो विधानसभा क्षेत्रों में रैस्ट हाउस बनाए गए। मैंने पिछली बार मंत्री जी से कहा था कि यदि इसके लिए प्रावधान है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक-दो रैस्ट हाउस बनवा दीजिए। उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से जल जीवन मिशन का पैसा भी बंद कर दिया गया है।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में केंद्र सरकार से पब्बर नदी के चैनलाइजेशन के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, केंद्र में भी आपकी सरकार आई और यहां आप मुख्य मंत्री बने लेकिन उस योजना का नामोनिशान तक समाप्त हो गया। आज तक उन 200 करोड़ रुपये का कोई पता नहीं है। ...(व्यवधान)

मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गरीब हरिजन बस्ती है और वहां पब्बर नदी के ऊपर एक पुल बनना था क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उस पुल के लिए 80 लाख रुपये पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने दिए थे जब प्रदेश में उनकी सरकार थी। उसके बाद माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार आई उस पैसे का क्या हुआ और उसे कहां खर्च किया गया, उसका आज तक पता नहीं चला। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यदि हम ऐसे कार्य करते रहेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों और ठेकेदारों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी।

19-11-2026/1440/NS-YK/2

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय पी0डब्ल्यू0डी0 में सबसे अधिक देनदारियां जिला शिमला के रोहड़ू डिवीजन की हैं। इन्होंने किसी को कह दिया कि तुम यहां मशीन लगाओ और कहीं किसी को कोई अन्य काम करने के लिए कह दिया। उन देनदारियों के कारण आज भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे-ऐसे घोटाले हुए हैं। बाकी जो विपक्ष की ओर से नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, वह बिल्कुल निराधार है। इसमें कोई सब्सटैंस नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव केवल विरोध के लिए लाया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया है कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे। इनके पास कोई ठोस मुद्दा उठाने के लिए नहीं है। हमारी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी हैं, चाहे घोटालों की बात हो, चाहे सत्ता की बात हो या केंद्र सरकार की हो, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहूंगा। आज गैस सिलेंडर की कीमत कहां पहुंच गई है और चीनी की कीमत कहां पहुंच गई है? इस पर बात करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि आप केंद्र सरकार की बात करने लगे। अच्छे दिन, बुरे दिन, 15 लाख रुपये और 2 करोड़ नौकरियों की बात भी तो हुई थी। वर्मा जी, आप हमारे 1500 रुपये के पीछे पड़े हैं। हमारी सरकार 1500 रुपये दे रही है, आप चिंता न करें। वर्मा जी, आप 15 लाख रुपये की बात ही नहीं करते उसके बारे में भी कुछ सोचिए।

सभापति महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। ...(व्यवधान)

सभापति : उन्होंने आपके रोहड़ू में दिए गए भाषण का जिक्र किया है। तो क्या अब आप सदन में उस बात से इनकार करना चाहते हैं? इन्होंने रोहड़ू के भाषण की बात ही की है। आपने वहां इसका इस्तेमाल किया होगा। ...(व्यवधान) एक मिनट, डॉ0 हंस राज जी, प्लीज आप बैठें।...(व्यवधान) श्री बलबीर सिंह वर्मा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

आगे----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1445/RKS/AG-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, माननीय विधायक महोदय ने कहा कि बेईमानी यह होती है कि ये कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुका है। क्या मुझे भी डूबती नैया में बैठना था? मैं कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी की वजह से विधायक नहीं बना हूं। मैं न वर्ष 2012 में, न वर्ष 2017 में और न ही वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बना। मैं वर्ष 2012 में भी निर्दलीय विधायक बना था और मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाने के लिए समर्थन दिया था। इसके बदले में मैंने अपने क्षेत्र के काम करवाए थे। ...(व्यवधान) माननीय संसदीय मंत्री जी मैंने सरकार भी चलाई है और पूरे 5 वर्ष तक सरकार को अपना समर्थन दिया है। मैंने वहां केवल एक बात कही थी कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी का फोटो क्यों नहीं लगाया गया। मैंने केवल यही बात कही थी। इसके अतिरिक्त मैंने कोई अन्य बात नहीं कही थी। मैंने केवल एक शब्द बोला है। इसके अतिरिक्त मैंने कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। आखिर मैंने कौन-सा गुनाह किया है? मैंने केवल यही एक शब्द बोला था। धन्यवाद।

19.11.2026/1445/RKS/AG-2

सभापति : माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : आपने अपने भाषण में कहा था कि विधायक बहुत बेईमान आदमी है और इस बार उसे उखाड़ना है। यह बात मेरे पास रिकोर्डिड है और मैं आपको इसे सुना

दूंगा। आपके पास वहां बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। आपका रोहड़ू के लिए क्या योगदान है?

सभापति : माननीय सदस्य, इन्होंने डिनाई कर दिया है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठाकुर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कृपया इस मामले में नई कंट्रोवर्सी क्रिएट न करें। इन्होंने आपका तो जिक्र ही नहीं किया है। जिक्र तो वर्मा जी का किया गया था। इन्होंने यह कहा कि आप वर्मा जी को साथ लेकर रोहड़ू गए थे। इन्होंने केवल यही बात कही थी। डॉ0 हंस राज जी कृपया आप बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अब विवेक की इतनी कमी हो गई है कि नियम-67 के अंतर्गत हमारे द्वारा लाई गई चर्चा में हमसे ही सबूत मांगे जा रहे हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यह है कि यदि कहीं भी हमें थोड़ा-सा संदेह होता है या कुछ गलत होता दिखाई देता है तो उस पर अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। हमने आरोप लगाए हैं। आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए आप हमारे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करवाइए। ये हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत तो हम देंगे और वह वक्त भी बहुत दूर नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि जहां आप कांगड़ा में बैठे हैं वहां 200 कनाल से अधिक यानी 100 बीघा से अधिक जमीन फर्जी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके बेच दी गई? क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह आरोप नहीं है? यह तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप इसकी जांच करवाइए। क्या यह भी सत्य नहीं है कि आप 3,000 बीघा से अधिक जमीन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है उसे बेचने पर आमादा हैं? आप पीटरहॉफ को पी0पी0पी0 मोड पर बेचने में लगे हुए हैं। जहां तक वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात है जिसका इन्होंने थोड़ा-सा उल्लेख किया है, मैं इस संबंध में अवश्य कहना चाहूंगा कि 23 वर्षों तक इस पूरे मामले को लेकर पूर्व की सभी सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। जब हम यह मामला जीतकर आए तो यह

जीत प्रदेश की थी। यह फैसला आज का नहीं था बल्कि 1999 का फैसला था। मामला केवल उसके एक्जीक्यूशन के लिए लंबित था। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि 23 वर्षों के बाद जब स्टेट ने यह मामला जीता तो उसके बाद आपने वाइल्ड फ्लावर हॉल उसी कंपनी

को 35 वर्षों के लिए दे दिया। आप इसे क्या कहेंगे? इसे हिमाचल ऑन सेल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने उसी कंपनी को यह संपत्ति दे दी। ...(व्यवधान) अब कृपया इस मामले में मेहरबानी करके ऐसा मत कहिए। जो आप ओपन बिड की बात कर रहे हैं उस बिड से संबंधित सभी तथ्यों की डिटेल तफ़सील से आ रही है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1450/बी.एस./ए.जी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

जो वकील आपका सांसद बनना चाहा रहा था वह उस कंपनी की ओर से पैरवी करता रहा यह ठीक है, यह उनका प्रोफेशन है और उसे अपना काम करना था। लेकिन इसके बावजूद जब मामला वहां से आया तो आपको सीधे उस कंपनी को टेकओवर करना चाहिए था। आपको उसे सरकार के नियंत्रण में लेकर उसके संचालन की व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन आपने 23 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उसी कंपनी के साथ 35 वर्ष के लिए एम0ओ0यू0 साइन करके उसे सौंप दिया। इसे क्या कहेंगे? हिमाचल ऑन सेल, इसे बिकता हिमाचल नहीं तो और क्या कहेंगे। ये हमारे सरकार पर आरोप हैं। इन आरोपों पर आप जवाब दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं। इसलिए हम पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी बात रख रहे हैं।

मुझे लगता है कि अब नेगी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नेगी जी के संबंध में मैं सभापति महोदय, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं उस तरफ देखना नहीं चाह रहा था लेकिन जब आपने हाथ खड़ा किया तो मेरी नजर वहां चली गई। कल मंत्री जी ने सदन में एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है। वह टिप्पणी देश की सेना के संबंध में की गई है। That is part of the record. मेरा आपसे निवेदन है कि उस टिप्पणी को तुरंत कार्यवाही के रिकॉर्ड से निकाला जाना चाहिए। इसे लेकर बहुत नाराजगी और गुस्सा है। आपने यह आरोप लगाया कि जो राफेल का जहाज 700 करोड़ रुपये में मिलता था उसे 2300 करोड़ रुपये में खरीदा गया। आपने यह आरोप लगाया। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? आपने यह भी कहा कि क्या उस पर चांदी और सोना लगा था या उसके ऊपर कोई सोने की परत चढ़ाई गई थी?

इसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में भी टिप्पणी की। जब हमारी ओर से माननीय विधायकों ने कहा कि राफेल ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए तो आपने इसका खंडन करते हुए कहा कि उल्टे आपके छक्के छूट गए। इसका आशय यह है कि आपने भारत की सेना के संबंध में यह टिप्पणी की है। If this is part of the record, it should be removed from the record. यह टिप्पणी सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं

19.11.2026/1450/बी.एस./ए.जी.-2

होनी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि चाहे आपने भावावेश में यह बात कही हो लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा कहा है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। यदि भावावेश में आपके मुंह से ये शब्द निकल गए हैं तो it should not be part of the record. कृपया इस टिप्पणी को कार्यवाही के रिकॉर्ड से निकाला जाए, धन्यवाद।

19.11.2026/1450/बी.एस./ए.जी.-2

सभापति : राजस्व मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष से इस किस्म के वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। इन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वह उचित नहीं है। ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास विवेक ही नहीं है और सारा विवेक इनके पास है। देश को बेचने का विवेक भी इनके पास है। गटर से गैस निकालने का ज्ञान भी इनके पास है। बादलों में रडार नहीं चलता है यह जानकारी भी इन्हीं के पास है। मुंह में पसीना आ जाए तो उसे पोंछने से चमक आ जाती है यह ज्ञान भी इन्हीं के पास है। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा और सर्जरी होती थी इसका ज्ञान भी इन्हीं के पास है। इस तरह का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हमें संविधान का ज्ञान है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया है और यही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई वह सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो जो मर्जी बोलो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस माननीय सदन में यदि आपको कोई भी बात रखनी है तो वह बेबुनियाद नहीं होनी चाहिए। यदि आरोप लगाना है तो उन आरोपों को सिद्ध भी करना पड़ेगा। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाए जा सकते। ...(व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : मंत्री जी जो आपने आरोप लगाए हैं क्या आपके पास प्रूफ हैं?

सभापति : ठाकुर साहब जब आप बोल रहे थे तो मंत्री जी चुप बैठे थे कृपया आप इन्हें भी सुन लीजिए।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। यह कोई तरीका नहीं है? क्या यह कोई लोकतंत्र है? इस माननीय सदन के नियम बने हुए हैं। मैंने कई बार कहा है कि जब एक सदस्य बोल रहा हो तो दूसरे सदस्य को बीच में नहीं टोकना चाहिए। जब ठाकुर साहब बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द भी बीच में बोलकर हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब इनकी ऐसी आदत बन गई है कि ये किसी को बोलने

19.11.2026/1450/बी.एस./ए.जी.-3

ही नहीं देते। ये मुझे तो क्या बोलने देंगे बल्कि अपने सदस्यों को भी बोलने नहीं देते। ये अपने सदस्यों के सप्लीमैंटरी भी खा जाते हैं।

आजकल इनके एक माननीय सदस्य इनके वकील बने हुए हैं। जैसे ही आप खड़े होते हैं वैसे ही वे भी इनके साथ खड़े हो जाते हैं। आखिर इन्हें क्या कमी है? भविष्य आपका अभी अंधकार में है। जब उजाला होगा तब देखना। अभी राफेल के विषय में बात हुई है। संसद में यह प्रश्न पूछा गया था कि 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा 2300 करोड़ रुपये कैसे हो गया?

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1455/DT/AS-1

राजस्व मंत्री जारी...

यह मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है बल्कि पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठाया गया था और इसका उत्तर भी दिया गया था। ... (व्यवधान) केंद्र में आपके दल की सरकार है इसलिए आप पता करो। आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता करें। ... (व्यवधान) इस पर विपक्ष के सदस्य इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? अब ये कहते हैं कि माफी मांगो। ... (व्यवधान) अब ये मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं, यह भी लोकतंत्र की हत्या है। किसी को बोलने नहीं देना

लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तथा संविधान और नियमों की भी हत्या कर रहे हैं। जब ये बैठे-बैठे किसी को बोलने नहीं देते तो यह भी एक प्रकार का देशद्रोह है। अब मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है, यदि सच बोलने के लिए मुझे देशद्रोही कहा जाता है तो मैं हर बार इसी प्रकार सच बोलता रहूंगा। ... (व्यवधान) अब मैं किस बात के लिए माफी मांगूं? माफी तो बी0जे0पी0 की सरकार ... (व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य माननयी मंत्री जी बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप। ये बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप। आप पुरी बात सुन लिया करो। हर बात का विरोध मत किया करो।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, (***)। यह इतिहास है। आपको इसकी जानकारी नहीं है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसकी जानकारी थोड़े ही मिलेगी। (***) यह एक बहुत गंभीर घटना थी और इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा।

सभापति : माननीय राजस्व मंत्री जी कृप्या नियम-67 में बोलें।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, (***)क्या सच्चाई कहना देशद्रोह है? ये लोग बातों को भ्रमित करके और गुमराह करके

झूठ बोल रहे हैं। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और ये बार-बार यही काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) (***)... (व्यवधान) सेना के खिलाफ किसने कहा, (***) क्या हमारा देश एक गुलाम देश हैं? इस बात पर ये चर्चा नहीं करते। हमने सेना के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। (***) ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं।

(***)**अध्यक्षपीठ के निर्णयाधीन।**

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी। ... (व्यवधान) त्रिलोक जम्वॉल जी ये सारी बातें नेता प्रतिपक्ष बोल चुके, इसलिए कृप्या आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) आपको भी हमनें टाइम दिया। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ... (व्यवधान) प्लीज, हंसराज जी। प्लीज, माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी आप बोलिए। ... (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं, आप बार-बार कांट्रावर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ... (व्यवधान) रणधीर जी प्लीज, प्लीज। नेगी जी, प्लीज। ... (व्यवधान) नियम-67 की डिस्कशन चल रही है। आप लोग कहां पहुंच गए हैं। ... (व्यवधान) नियम-67 की डिस्कशन चल रही है। प्लीज, प्लीज। नेगी जी, प्लीज। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। ... (व्यवधान)माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। ... (व्यवधान) मैं तो आप को बोल ही रहा डॉ0 जनक जी की आप बोलिए ... (व्यवधान)

(सतापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

19.11.2026/1500/ए0एस0/ए0पी0/-01

...(व्यवधान)

सभापति जारी .....

Please, no interruption. नियम-67 पर चर्चा हो रही है। Please, please, please ...(Interruption) माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय नेगी जी प्लीज आप अपनी सीट पर बैंठे। ...(Interruption) Please,please ...(Interruption) आप सब मेरी बात सुने। माननीय सदस्य प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों में बैठ जाईये। ...(व्यवधान) प्लीज बैठ जाईये। ...(Interruption) Please, please ...(Interruption) माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। ...(व्यवधान) मैं खड़ा हुआ हूं आप तो बैठ जाईये। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। आप सभी बैठ जाओ।

...(व्यवधान) सभापति खड़ा है, आप तो सभी अपनी-अपनी सीटों में बैठ जाईये। ...(व्यवधान) मैं खड़ा हूं आप सभी तो बैठ जाओ। ...(व्यवधान) आप बैठ तो जाओ। ...(Interruption) Please,...(Interruption) सभापति खड़ा है अब तो आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जी आप बैठ जाईये। ...(व्यवधान) The House is adjourned for 5 minutes.

(House adjourned for 5 minutes)

19.11.2026/1510/AT/DC / 01

(सदन की कार्यवाही 3.10 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई।)

सभापतिः माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इतने गंभीर विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है लेकिन न तो मुख्य मंत्री और न ही उप-मुख्यमंत्री इस सदन में उपस्थित हैं और न ही मुझे मालूम है कि सरकार की ओर से जवाब कौन दे रहा है। मंत्रियों में भी मात्र तीन मंत्री ही सदन में उपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इन सभी विषयों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

दूसरी बात, हमारा स्पष्ट कहना है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने सेना के बारे में जो गंभीर टिप्पणी की है, पहली बात तो यह है कि कल की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। दूसरी बात, आज भी इन्होंने सेना के खिलाफ टिप्पणी की है।....

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

19.11.2026/1515/टी0सी0वी0/एच0के0-1
नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ... जारी
श्री जय राम ठाकुर..... जारी

उनमें पहली बात यह है कि कल उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसे कार्यवाही से हटाया जाए और दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने फिर से सेना के खिलाफ जो टिप्पणी की है, वह बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इन टिप्पणियों को तुरंत कार्यवाही से हटाया जाए और मंत्री महोदय को इस पूरे मामले में माफी मांगनी पड़ेगी। जिस सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं और जिसका प्रत्येक जवान सरहद पर रहकर देश की रक्षा कर रहा है, उस सेना के बारे में बिना तथ्यों और बिना किसी औचित्य के इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। यह विषय चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए था, इसके बावजूद ऐसी टिप्पणी की गई। इसके लिए मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है। इसके बावजूद वही व्यक्ति संविधान की शपथ लेने के बाद देश की सेना के खिलाफ बोले तो यह ठीक बात नहीं है। आप पार्टी का विरोध कीजिए, विचारधारा का विरोध कीजिए और हमारा विरोध कीजिए, लेकिन विचारधारा और हमारा विरोध करते-करते आप संविधान और देश का विरोध करने पर आ गए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन में आएं और माफी मांगें। माननीय सदन की कार्यवाही के माध्यम से सेना के बारे में जो टिप्पणियां गईं है, उसके संदर्भ में पूरे प्रदेश के सैकड़ों-हजारों लोगों ने सेना के जवानों की ओर से संदेश भेजे हैं कि विधान सभा के अंदर इस विषय पर सेना का पक्ष रखा जाए। सेना के जवान सरहद पर तैनात हैं, लेकिन विधान सभा के अंदर सेना के अपमान से संबंधित टिप्पणियां कार्यवाही में दर्ज हुई हैं। इसलिए उन टिप्पणियों को विधान सभा की कार्यवाही से हटाया जाए और मंत्री जी को सेना से माफी मांगने के लिए कहा जाए। हम सेना की उसी भावना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। हमारी पहली मांग है कि मंत्री जी द्वारा सेना के संबंध में इस्तेमाल किए गए शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं और दूसरी मांग है कि सेना के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के लिए मंत्री जी माफी मांगें।

सभापति : इसमें रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। अगर कोई भी टिप्पणी सेना के विरुद्ध होगी तो उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

19.11.2026/1515/टी0सी0वी0/एच0के0-2

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने सेना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने राफेल जहाज के बारे में केवल पासिंग रैफरेंस दिया

...(व्यवधान) ऐसा है सर, आपने बोल दिया है, अब मेरी बात को दो मिनट सुन लीजिए। इन्होंने पासिंग रैफरेंस में राफेल जहाज के बारे में कहा कि एक जहाज की शुरुआती कीमत 700 करोड़ रुपये थी और जब उसे खरीदा गया तो 2,300 करोड़ रुपये में खरीदा गया यानी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने उसे थ्री टाइम्स प्राइस पर खरीदा। अभी ये हिमाचल सरकार के बारे में भी तो बोल रहे हैं कि हमीरपुर बस स्टैंड में 42 करोड़ रुपये का हॉस्पिटल पौने 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आपका राफेल जहाज 700 करोड़ रुपये से 2,100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है तो वह ठीक है और हमीरपुर हॉस्पिटल की लागत 42 करोड़ रुपये से पौने 200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है तो वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के अंदर केवल पासिंग रैफरेंस है।

आप हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) ऑपरेशन सिंदूर में भी किसी ने सैनिकों के खिलाफ नहीं बोला है। ऑपरेशन सिंदूर की विफलता के बारे में कहा है कि पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट आए थे, उन्हें मार दिया गया। तीन टेररिस्ट आए और एक वर्ष हो गया, लेकिन एक वर्ष बाद भी उन टेररिस्टों का पता नहीं लगा कि वे कहां गए? यह तो भारत सरकार की विफलता है। आज एक वर्ष के बाद भी जिन टेररिस्टों ने निहत्थे लोगों और टूरिस्टों को मारा था, वे आज तक पकड़े नहीं गए। इसलिए यह पासिंग रैफरेंस है। अभी आप जम्वाल जी, आप जम्वाल जी, 2जी स्पेक्ट्रम के बारे में बोल रहे थे। यह भी पासिंग रैफरेंस है। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, अगर ऐसा है तो आपने कह दिया कि रिकॉर्ड देखने के बाद उसको कार्यवाही से निकाल देंगे। यह पासिंग रैफरेंस है। You should not take it seriously.

सभापति : अगर कोई भी टिप्पणी सेना के खिलाफ होगी तो रिकॉर्ड चैक करने के बाद उसको कार्यवाही से निकाल देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : आप हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम सुन रहे और अगर भारत सरकार के खिलाफ हम बोलते हैं तो आपसे सुना नहीं जा रहा है। इसलिए आपमें सुनने की क्षमता रखें। हम जब आपकी बात सुन रहे हैं तो आप हमारी बात भी सुनिए। यह तो राज **एन0एस0 द्वारा .... जारी**

19-11-2026/1520/NS-HK/1

संसदीय कार्य मंत्री ------जारी

यह तो राजनीतिक बयानबाजी है और राजनीतिक छींटाकशी है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए।

सभापति : ...(व्यवधान) रिकॉर्ड को देखकर इसको डिलीट कर देंगे। ऐसा बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष इस विषय पर बोल चुके हैं और मैंने इस संबंध में व्यवस्था भी दे दी है। अब बार-बार इस मुद्दे को उठाने से चर्चा और लंबी होगी। आप इधर से बोलेंगे और फिर दूसरी ओर से भी इस पर चर्चा होगी। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। एक मिनट, रणधीर जी, एक मिनट। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि सेना के विरुद्ध कोई भी संदर्भ आएगा तो रिकॉर्ड की जांच करने के बाद उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। ...(व्यवधान) कृपया बैठिए। ...(व्यवधान) डॉ0 जनक राज जी आप चर्चा में भाग लें। ...(व्यवधान) हिमाचल से हर तीसरा व्यक्ति सेना में है और प्रदेश के सभी लोग सेना के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। ...(व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

इसलिए किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किस चीज़ की माफी, अभी जब रिकॉर्ड देखेंगे। ...(व्यवधान) एक मिनट प्लीज, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दी है। रिकॉर्ड की जांच करने के बाद यदि कोई भी शब्द सेना के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वही बात दूसरे सदस्य भी दोहराएंगे। श्री रणधीर शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, राजस्व मंत्री जी ने पिछले कल और आज इस सदन में जो वक्तव्य दिया है, मामला केवल इतना नहीं है कि उनके कुछ शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएंगे या वक्तव्य कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। पिछले कल जो कुछ कहा गया है उसे मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने सुना है। उन सैनिकों ने भी सुना है जो आज बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन परिवारों ने भी सुना है जिनके सदस्य चाहे ऑपरेशन सिंदूर या चीन की लड़ाई में शहीद हुए हैं। उन परिवारों पर क्या बीतती होगी

जब हिमाचल प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री सेना के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करे और यह कहे कि पाकिस्तान ने आपके छक्के छुड़ा

19-11-2026/1520/NS-HK/2

दिए। यह भी कहे कि चीन के बॉर्डर पर हमारे सैनिकों का क्या हाल हुआ कि वे गोली तक नहीं चला पाए। यह आलोचना केंद्र सरकार की नहीं है बल्कि सीधे सेना की आलोचना है और सेना का अपमान है। आप चैक कीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भले ही उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल देंगे परंतु पिछले कल पब्लिक डोमेन में जो वक्तव्य गया है उसके लिए मंत्री महोदय को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी यह सदन चलेगा। सभापति जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बात कही है कि मंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ेगी।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से इनको कहा है कि श्री जगत सिंह नेगी जी ने ऐसा नहीं कहा है। जब आपने व्यवस्था दे दी है कि यदि ऐसे कोई शब्द कहे होंगे तो उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। सदन की परंपरा के अनुसार ही सदन चलाना पड़ेगा। How you can force anyone? अब आप स्वयं फैसला थोड़े ही करेंगे। फैसला तो सभापति या अध्यक्ष ही करेंगे। उन्होंने जो फैसला दिया है, आपको उसे मानना चाहिए। सभापति महोदय, असल बात यह है कि ये इस विषय पर चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। ये नियम-67 की चर्चा से भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं। इनको सदन से बाहर जाना है। आपकी चर्चा है, आप अपनी बात रखिए और चर्चा कीजिए। आप अप्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आपने व्यवस्था दे दी है कि मामला समाप्त हो गया है। अब आप अनावश्यक रूप से उसी विषय को बार-बार उठा रहे हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपको सदन से बाहर जाना है। हम कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर यह चर्चा चल रही है, आप उसी पर अपनी बात रखिए। हम आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। आपके पास जो तथ्य हैं उन्हें सदन के सामने रखिए। आपके पास तथ्य नहीं हैं तो सदन में बात रखें। हम आपकी बात प्यार से सुन रहे हैं और आपकी बात का जवाब दिया जाएगा------

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1525/RKS/एचके-1

संसदीय कार्य मंत्री... जारी

हम आपकी बात प्यार से सुन रहे हैं। मुख्य मंत्री इसके बाद जवाब देंगे। आपके पास जो तथ्य हैं उन्हें सदन में रखिए। यदि आपके पास तथ्य नहीं हैं तो भी आप अपनी बात सदन में रख सकते हैं। हम आपकी बात प्यार से सुन रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी विपक्ष के कहने से सदन नहीं चलेगा बल्कि सदन सभी की सहमति से चलेगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यदि आपको लगता है कि ऐसे कोई शब्द कहे गए हैं तो इसके लिए सभापति महोदय ने व्यवस्था दे दी है। उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा और यह मामला समाप्त हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए। आपको बाहर जाने के लिए कोई बहाना चाहिए और आपको यह बहाना मिल गया है क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

सभापति : मेरे परिवार के भी 3 सदस्य सेना में हैं। आपके और इनके परिवार के सदस्य भी सेना में होंगे। श्री जगत सिंह नेगी के भाई भी सेना में कर्नल थे। मैंने कह दिया है कि अगर सेना के विरुद्ध यदि एक भी शब्द इस कार्यवाही में होगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

संसदीय कार्य मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप अपने विधायकों को बिठाइए। ये सभापति के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। सभापति महोदय ने व्यवस्था दे दी है और आप इसे मान लीजिए। ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है। यदि ऐसे कोई शब्द होंगे तो उन्हें कार्यवाही से डिलीट कर दिया जाएगा।

सभापति : प्लीज, प्लीज बैठिए। मेरा पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि नियम-67 के अंतर्गत जो चर्चा लाई गई है केवल उसी विषय पर चर्चा करें। मैंने व्यवस्था दे दी है कि यदि रिकॉर्ड में सेना के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी पाई जाती है तो उसे कार्यवाही से डिलीट कर दिया जाएगा। चाहे वह पिछले कल की हो या आज की, रिकॉर्ड की जांच करके ऐसे शब्दों को डिलीट कर दिया जाएगा। ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी आपने अपनी सारी बात रख दी है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप बार-बार

उठकर सदन की कार्यवाही को क्यों बाधित कर रहे हैं? प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी। डॉ0 जनक राज जी। ठाकुर साहब आपने अपनी बात रख दी है अब आप क्या कहना चाह रहे हैं?

19.11.2026/1525/RKS/एचके-2

श्री जय राम ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, जो पिछले कल की माननीय मंत्री जी की स्पीच मीडिया में आ चुकी है, वह रिकॉर्डिड है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसे यहां सुना सकता हूं।...(व्यवधान) उसमें क्या बात है? हमने ऐसा क्या गलत कहा है? ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी आप अपनी सीट में बैठें। आप सदन की कार्यवाही को इस तरह बाधित क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान) मेरे दो ब्रदर-इन-लॉज फौज में हैं और उनके पिता जी भी फौज में अपनी सेवा दे रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं फौज के बारे में अच्छी तरह जानता हूं।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी इस बात पर सत्ता पक्ष को क्या आपत्ति है। आप इस बात से सहमत हैं कि यदि सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई है तो वह कार्यवाही के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं?

सभापति : ठाकुर साहब, यदि ऐसा रिकॉर्ड में पाया जाएगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। हम इसको भी सुन लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, जब तक आपने इसे कार्यवाही से नहीं हटाया तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे।

सभापति : ठाकुर साहब, हम इसको भी सुन लेंगे और सुनने के बाद इस पर निर्णय ले लेंगे। मैंने पूरे रिकॉर्ड के लिए कह दिया गया है। उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों उपलब्ध हो जाएंगे।

श्री जय राम ठाकुरः सभापति महोदय, यह पूरा मामला मीडिया में प्रसारित हुआ है और सेना के जवानों के बीच इस बात को लेकर बहुत बड़ा रोष है। एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते यह हमारा दायित्व है।

सभापति : ठाकुर साहब, यह दायित्व केवल आपका ही नहीं बल्कि हम सभी का भी है।

श्री जय राम ठाकुर : फिर इसमें विलंब क्यों करना चाहिए? पहली बात तो हम यह कह रहे हैं कि ऐसी टिप्पणी कार्यवाही के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए।

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हाउस एडजॉर्न होने के बाद कार्यवाही देखी जाएगी और इसके ऑडियो और वीडियो दोनों सुने जाएंगे। यदि उसमें ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर : दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि मेरी बात से सेना के जवानों को आहत पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। इसमें क्या बुराई है और क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि इन दो बातों से समाधान हो सकता है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1530/बी.एस./एच.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

तो क्या बुरी बात है और इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि इन दो बातों से समाधान होगा अन्यथा मंत्री की बार-बार इस प्रकार की आदत बन जाना और सरकार द्वारा भी ऊपर से संरक्षण देना उचित नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? सेना के खिलाफ टिप्पणी की गई है और उसके बावजूद भी पूछा जा रहा है कि क्या हो गया? इसके बाद और क्या होना बाकी रह जाता है? इसलिए सभापति महोदय, मंत्री जी माफी मांगें और इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। जन

प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि यदि सेना हमारे लिए लड़ रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सेना का सम्मान करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि तुरंत इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

सभापति : ठाकुर साहब, सदन स्थगित होने के बाद हम और आप दोनों बैठकर इस मामले को देख लेंगे। यदि इसमें ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उस टिप्पणी को रिकॉर्ड से निकाल देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : मंत्री जी इस पर माफी मांगें और कहें कि गलती हो गई।

सभापति : मंत्री अभी सदन में हैं ही नहीं।

श्री जय राम ठाकुर : यहां कौन है? मंत्री जी नहीं हैं और न ही मुख्य मंत्री जी हैं।

सभापति : सदन स्थगित होने के बाद हम सारा रिकॉर्ड देख लेंगे। हम और आप बैठकर इस मामले को देख लेंगे। अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 जनक राज : धन्यवाद सर, सभापति महोदय, मैं पहली बार चुनकर इस सदन में आया हूं। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। मैंने अपना अधिकांश जीवन चिकित्सा सेवा में बिताया है।

19.11.2026/1530/बी.एस./एच.के.-2

विधान सभा में आने से पहले मैं सदन की कार्यवाही को अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से देखता था। मुझे लगता था कि यह वह पवित्र सदन है जहां हिमाचल के भविष्य और वर्तमान से जुड़े जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान होता है लेकिन पिछले तीन दिनों से और विशेषकर पिछले आधे घंटे से आपने कम-से-कम दस बार मेरा नाम पुकारा है। उसके बावजूद जिस मुद्दे पर यहां हंगामा हुआ है उस पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं।

सभापित : माननीय सदस्य, आप नियम 67 पर बोलें। इस तथ्य को और अधिक आगे मत बढ़ाइए।

डॉ0 जनक राज : नहीं सर, यह मेरी ड्यूटी है। मुझसे पहले वक्ता ने इस विषय पर बात की है।

सभापति : आप इसी विषय को दोबारा विस्तार से मत बताइए। आप नियम 67 पर बोलिए।

डॉ0 जनक राज : सर, यदि मैं गलत बोलूंगा तो आप मुझे रोक दीजिए। मैं जो भी बोलूंगा तथ्य के साथ बोलूंगा। मैं इस मामले में सफाई देने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहा हूं।

सभापति : आप उसी विषय पर वापिस आ रहे हैं, आप नियम 67 पर बोलिए।

डॉ0 जनक राज : सर, मुझे अपनी बात शुरू करने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।

सभापति : आप नियम 67 के अंतर्गत सरकार पर आरोप लगाइए।

डॉ0 जनक राज : सर, मैं वही तो बोल रहा हूं। इससे बड़ा आरोप सरकार पर और क्या हो सकता है?

सभापति : आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। यह मुद्दा अब समाप्त हो गया है। सारी बात हो चुकी है।

19.11.2026/1530/बी.एस./एच.के.-3

डॉ0 जनक राज : यह तो गलत बात है।

सभापतिः मैं सभी माननीय सदस्यों को टोक रहा हूं। सभी को नियमों के अनुसार बोलना होगा। आदरणीय रणधीर जी, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी है और आपने भी अपनी बात कह दी है। यह इश्यू सेटल हो गया है, इसके बाद दोनों पार्टी के लोग बैठकर रिकॉर्ड देख लेंगे। अब उसी इश्यू को दोबारा उठाएंगे तो आपका अपना समय ही खराब होगा। अभी आप कह रहे हैं कि मेरा नाम 10 बार अनाउंस हुआ है। बाकी लोगों ने भी बार-बार इसी विषय पर बात की है।

डॉ0 जनक राज : सर, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप मेरी बात एक्सपंज कर दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं। यह गलत बात है।

सभापति : अब आप सेना के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज, प्लीज, प्लीज, प्लीज। हंसराज जी, प्लीज। हंसराज जी, प्लीज।

डॉ0 हंस राज : सर, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ-ही-साथ हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। जितनी आयु मेरी है लगभग उतना ही अनुभव आपको इस सदन में हो गया है। कृपया करके मुझे बाउंसर फेंकने के लिए मजबूर न करें। सर, सिस्टम मेरे लिए भी है। मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोल रहा हूं कि भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया है। इसे किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाया है। मंत्री जी ने कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1535/DT/AS-1

डॉ0 जनक राज जारी...

आप बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा?

Chairman : Hon'ble Member, please address to the Chair.

डॉ0 जनक राज : सर, भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया है न कि किसी राजनीतिक दल ने। मंत्री जी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसे 299 सदस्यों की कमेटी ने बनाया था। ...(व्यवधान) देखिए, अब मैं दूसरी बात जो मंत्री जी ने कही कि (***) सर, पूरी बात तो सुन लीजिए।

सभापतिः आप फिर सेना के ऊपर चाले गए I will not allow. ...(Interruption) I will not allow. This will not be part of the record. I will not allow. I will allow deliberation

under Rule-67. अब आप सेना के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय बातें क्यों कर रहे हैं। आप सिर्फ नियम-67 पर बोलिए।

डॉ0 जनक राज : ठीक है सभापति महोदय, नहीं बोलूंगा। मैं भारत और चीन के परस्पर संघर्ष सेना पर नही बोल रहा हूं विषय पर बोल रहा हूं ठीक है, ठीक है। अब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ...(व्यवधान)

सभापति : अवस्थी जी, don't disturb, please. Please, please. ...(Interruption) डॉ0 जनक राज जी आप नियम-67 पर बोलिए। प्लीज।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है और सरकार का दायित्व उन सवालों के जवाब देना है। लेकिन यहां मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जवाब देने की बजाय आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़कर ही यहां पहुंचे हैं। क्या हम यहां भी लड़ने आए हैं? पिछले तीन दिनों से इस सदन में प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हिमाचल की जनता यह जानना चाहती है कि इन आरोपों पर सरकार का पक्ष क्या है? परंतु सरकार चर्चा के दौरान कभी केंद्र सरकार को ले आती है, कभी एस0आई0आर0 का विषय उठा रही है, कभी

फौजियों को ले आती है और कभी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की बात करने लगती है। यदि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है तो उसी तर्ज पर (***)...(व्यवधान)

सभापति : ये क्या बोल रहे हैं माननीय सदस्य आप। It will not be part of the record. ...(Interruption) It will not be part of the record.

Dr. Janak Raj : Hon'ble Chairman, Sir, Why?

Chairman : No, आप नियम-67 पर बोलिए। माननीय सदस्य, आप नियम-67 पर बोलें। हत्या वाली बात को रिकार्ड से निकाल दो।

डॉ0 जनक राज : प्रदेश की जनता को आज सड़क चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति : डॉ0 हंसराज जी, कृपया सुनिए ...(व्यवधान)

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, तीन-तीन, चार-चार मंत्री खड़े हो गए हैं। सर, आपने मेरे लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, आप नियम-67 पर बोलिए। अगर बोलना है तो नियम-67 पर ही बोलिए।

डॉ0 जनक राज : माननीय सभापति महोदय, मैं बोल लूंगा पर इनको बैठा दीजिए, प्लीज। आज प्रदेश की जनता को सड़क चाहिए, आज प्रदेश की जनता को हस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए। किसानों और बागवानों को राहत चाहिए। जब मैंने विधान सभा में आने का निर्णय लिया तो मेरे मन में एक धारणा थी की यहां पर तर्कों पर बात होती होगी। दस्तावेजों के आधार पर बात होगी और सरकार अपनी जवाबदेही स्वीकार करेगी। लेकिन वर्तमान कार्रवाई को देखकर जो मेरे मन में अनुभूति हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि सदन को चलाना मात्र एक औपचारिकता रह गई है। ये केवल औपचारिकता है और

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

19.11.2026/1535/DT/AS-3

सदन का उदेश्य केवल समय पूरा करना है। ...(व्यवधान) बताऊंगा, बताऊंगा- आप सुनिए। ...(व्यवधान) मंत्री जी आप सुनिए। माननीय सभापति जी यह मेरे बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। ...(व्यवधान) नहीं सर, ...(व्यवधान) एक मिनट सर। ...(व्यवधान) सभापति

महोदय, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं इनको शोभा नहीं देता मेरी बात पूरी होने के दौरान अगर मैं मर्दों की बच्चेदानी के आप्रेशन पर बात न कहूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। ...(व्यवधान) मैं कहूंगा न। पर यह आपको शोभा नहीं देता मंत्री जी क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

19.11.2026/1540/ए0एस0/ए0पी0/-01

डॉ0 जनक राज जारी .....

मैं बार-बार कह रहा हूं।

सभापति : इनकी जिज्ञासा है क्योंकि इन्होंने आप की सरकार पर बार-बार आरोप लगाए हैं और यह जानना चाहते हैं।

डॉ0 जनक राज : आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, क्या आपके अंदर भी कुछ है? सभापति महोदय, आज आप सत्ता में हैं कल कोई और सत्ता में होगा। लोकतंत्र में सत्ता स्थायी नहीं होती है। सदन की मर्यादा और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही स्थायी होती है। विपक्ष के सवालों और आरोपों को सरकार को अपना अपमान नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी याद करवाने का विपक्ष का एक ऐसा हथियार है जो लोकतंत्र ने हमें दिया है। सरकार को सवालों से असहज होने के बजाय उनके जवाब देने चाहिए। मैं व्यवस्था परिवर्तन पर भी बोलूंगा, लेकिन इस विषय पर मैं बाद में बोलूगा। आपने मुझे बच्चेदानी के ऑपरेशन वाली बात पर बोलने के लिए मजबूर किया है।

सभापति : माननीय सदस्य आप नियम-67 पर खुल के बोलिए।

डॉ0 जनक राज :: बिल्कुल सभापति महोदय, मैं आज यहां किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल या किसी सरकार पर आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं उस व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिनके हाथों में जनता की खून-पसीने की कमाई को बचाने और उसे जनता के हित में खर्च करने की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में सत्ता केवल सरकार चलाने का माध्यम नहीं है बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही और जनता की समस्याओं का समाधान करने का माध्यम है।

सभापति महोदय, आज प्रदेश की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। विद्यार्थियों से लेकर पेंशनरों, बुजुर्गों और महिलाओं तक प्रत्येक वर्ग आज हड़ताल पर है। दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। गरीब की थाली में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक पद तक खाली हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहले पैसे के

19.11.2026/1540/ए0एस0/ए0पी0/-02

लेन-देन का विचार आता है। परंतु मैं आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1962 में भारत सरकार द्वारा गठित संथानम समिति ने भ्रष्टाचार की एक परिभाषा दी थी। उस परिभाषा के अनुसार, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करना, सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता न रखना, ठेकों के आवंटन में मिलीभगत करना, वित्तीय नियमों की अनदेखी करना, सरकारी संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल करना तथा अपने पद एवं अधिकारों का निजी हितों के लिए उपयोग करना भी व्यापक भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है।

सभापति महोदय, आज हम केवल वित्तीय भ्रष्टाचार में ही नहीं बल्कि नैतिक भ्रष्टाचार के जाल में भी फंस चुके हैं। जनकल्याणकारी सरकार के कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी होते हैं। जब सरकार संवैधानिक और नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देती है और चंबा जैसे आकांक्षी जिले के पांगी और भरमौर क्षेत्रों में भारत सरकार की एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल दवाइयां भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पातीं तो क्या यह नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है?

सभापति महोदय, इस माननीय सदन से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर टांडा मेडिकल कॉलेज है। जहां 1,454 अधिसूचित अति आवश्यक दवाइयों में से केवल 171 दवाइयां उपलब्ध हैं। क्या यह नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है? मैं कुछ आँकड़ों के साथ अपने जिले की बात करना चाहूंगा। मेरे अपने जिले की बात करने से पहले मैं सरकार के मुखिया के जिले हमीरपुर की बात करना चाहूंगा। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 1,454 एसेंशियल दवाइयों में से केवल 264 दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यानी दवाइयों की उपलब्धता केवल 18 प्रतिशत है। यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? सभापति महोदय, सी0एच0सी0 भरमौर में ई0डी0एल0 की

केवल 4 प्रतिशत दवाइयां उपलब्ध हैं। सी0एच0सी0 किलाड़ में केवल 2 प्रतिशत दवाइयां उपलब्ध हैं। पी0एच0सी0 सिहुन्ता, जो माननीय अध्यक्ष जी का चुनाव क्षेत्र है। वहां केवल 16 प्रतिशत दवाइयां उपलब्ध हैं। पांगी के पूर्थी पी0एच0सी0 में ई0डी0एल0 की केवल 2.5% of EDL is appropriately delivered.

सभापति : माननीय सदस्य उन दवाइयों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उनके बारे में बताईये।

डॉ0 जनक राज : बिल्कुल सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.11.2026/1545/AT/AG/ 01

सभापतिः उन दवाइयों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में भी बताओ आप।

डॉ जनक राज : सभापति महोदय, बिलकुल उस पर आ राहां हूं। अब मैं हिमकेयर योजना के विषय पर आते हुए आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से हिमकेयर योजना को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसमें एक बात को हमेशा जोर-शोर से उठाया गया कि चार पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन कर दिए गए। पूरा हिमाचल जानता है कि मैं पेशे से सर्जन हूं मैंने जनरल सर्जरी में भी आठ वर्ष तक कार्य किया है। इसलिए मुझे ऑपरेशन करने का अनुभव है।....(व्यवधान) मैं अभी बाता रहा हूं। आप मान रहे है कि मैं अच्छा डॉ0 हूं। सभापति महोदय, मैं इस सदन में सभा पटल पर दो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं कि वह यह साबित करे कि ये ऑपरेशन मैंने किए हैं। यदि सरकार यह साबित करने में कामयाब होती है तो मैं अगले विधान सभा सत्र से पहले अपने पद से त्याग-पत्र दे दूंगा। इसके बदले यदि सरकार यह साबित करने में नाकाम रहती है तो पूरा मंत्रिमंडल और मुख्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें।

अब मैं उन चार पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के मामले पर आता हूं जिसका बार-बार उल्लेख किया जाता रहा है। जब मैंने इस संबंध में रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की तो मुझे विजिलेंस ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। शिमला में भी मुझसे पूछताछ की गई।

विजिलेंस अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि इस मामले में मेरी क्या भूमिका थी? मैंने उनसे कहा कि आप हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के संचालन के लिए निर्धारित एसओपी (SOP) देखिए। उसमें मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए न तो कोई लॉग-इन व्यवस्था है और न ही उसकी कोई भूमिका निर्धारित है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की केवल एक जिम्मेदारी होती है कि यदि किसी कार्डधारक को उसके कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह अपनी शिकायत लेकर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पास आता है। उसे कार्ड का लाभ दिलवाना और यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी थी।

19.11.2026/1545/AT/AG/ 02

मैंने विजिलेंस अधिकारियों से यह भी कहा कि मैंने हस्पताल से त्याग-पत्र दिया है लेकिन हस्पताल का रिकॉर्ड लेकर नहीं भागा हूं। हस्पताल का पूरा रिकॉर्ड वहीं उपलब्ध है। आप उसकी जांच कर लीजिए। यदि उसमें आपको कुछ गलत लगता है या मुझसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है हम संतुष्ट हैं। जब मैंने पूछा कि क्या अब मैं जा सकता हूं तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको तीन-चार घंटे तो बैठना पड़ेगा। मैंने पूछा कि क्यों? दरअसल खबर भी तो बनानी थी कि चार घंटे तक पूछताछ हुई। यही यहां की स्थिति है।

मैं ये दो दस्तावेज सभा पटल पर रख रहा हूं और इन्हें अभी मीडिया के मित्रों को भी जारी करूंगा। जिन चार पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए जाने की बात कही जा रही है उनमें से एक मरीज की पहचान उजागर न हो इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक मरीज का ऑपरेशन 26 अप्रैल, 2023 को किया गया था। अब बताइए कि वह ऑपरेशन किसने किया था? मैं तो सर्जन हूं और मुझे ऑपरेशन करना आता है। आपमें से कौन-सा सर्जन था, जिसने 26 अप्रैल, 2023 को यह ऑपरेशन किया? ...(व्यवधान)रुक जाइए सर जी। ...(व्यवधान)गलत समय पर शॉट मारेंगे तो कैच आउट हो जाएंगे। दूसरा ऑपरेशन 21 फरवरी, 2023 को किया गया था। उस समय शायद अवस्थी जी सी0पी0एस0 बन चुके थे और स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास था। अब अवस्थी जी, इन दोनों ऑपरेशनों का जवाब दीजिए। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा है कि

महिलाओं के टेस्टिकल के ऑपरेशन कर दिए गए उससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? यह प्रदेश की महिलाओं का अपमान है।

मैं आपको बताना चाहता हूं और जो डॉ0 होंगे वह जानेगे कि पुरुषों में भी बच्चेदानी हो सकती है। दुनिया भर में ऐसे लगभग 300 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सदन की कार्यवाही देख रहे पढ़े-लिखे लोग भी गूगल पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति को Persistent Müllerian Duct Syndrome कहा जाता है। अपने 15 वर्ष के चिकित्सकीय करियर में मुझे भी इस स्थिति से संबंधित एक मरीज का ऑपरेशन करने

19.11.2026/1545/AT/AG/ 03

का अवसर मिला था। अभी कुछ दिन पहले रामपुर के एक सर्जन ने मुझे एक तस्वीर भेजी थी और बताया था कि उन्होंने एक नेपाली पुरुष मरीज की बच्चेदानी निकाली है।

इसी प्रकार, महिलाओं में भी Testicular Feminization Syndrome ...(व्यवधान) मैं विमारी का नाम बता रहा हूं, जो कुछ महिलाओं में होती है, सभी में नहीं होता है।...(व्यवधान) इन दोनों मामलों की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ले और प्रदेश के उन सभी 11 लाख मरीजों से क्षमा मांगे

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

19.11.2026/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ... जारी
डॉ0 जनक राज ... जारी

जिन्होंने 'हिमकेयर' योजना के तहत लाभ लिया है। प्रदेश के 11 लाख मरीजों से सरकार को यह कहना चाहिए कि हमने केवल राजनीति करने और सनसनी फैलाने के लिए ऐसे शब्द कहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अन्यथा मैं बार-बार कह रहा हूं, एक बार नहीं बल्कि 50 बार कह चुका हूं। मैं सदन के भीतर और सदन के बाहर भी कह चुका हूं कि हिमकेयर योजना की जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश या माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जाए और जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जेल में डाला

जाए। आप 4 सालों से केवल एक ही बात को लेकर चीख रहे हैं कि 4 मर्दों के ऑपरेशन हो गए। कौन हैं वे मर्द? ये हैं वे 2 मर्द जिनके ऑपरेशन आपने किए हैं। यह केवल डेटा एंट्री में गड़बड़ी है या किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है, यह जांच का विषय है। जांच करवाना सरकार का विषय और अधिकार है। आर0टी0आई0 में पांचों मेडिकल कॉलेजों ने कहा है कि ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया। मुझे हैरानी होती है कि प्रदेश का मुखिया जिसके ऊपर हिमाचल के 70 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, वह एक बार नहीं बल्कि अनेक बार और केवल एक विषय पर नहीं बल्कि हर विषय पर ऐसी बातें करता है। इसी सदन में चुनावी गारंटियों को लेकर जो पेपर पढ़ा गया था, उसमें भी इनकी फजीहत हुई थी। इतना झूठ! 'सजन रे झूठ मत बोलो, जनता के पास जाना है। अभी नहीं जाना है तो अगले साल जाना है'। आपने हिमाचल के लोगों को चुनावी गारंटियों के नाम पर ठगा और फिर 'आत्मनिर्भर हिमाचल' बनाने के नाम पर ठगा। यह नैतिक भ्रष्टाचार है। आपने 'ग्रीन हिमाचल' बनाने के नाम पर भी ठगा। यह भी नैतिक भ्रष्टाचार है। इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या हो सकती है कि प्रदेश के उप-मुख्य मंत्री जिनके पास परिवहन विभाग का जिम्मा है, वे यह कहें कि बस स्टैंड बन रहा है और उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है।

सभापति : प्लीज, वाइंड-अप।

19.11.2026/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

डॉ0 जनक राज : नहीं सर, अभी तो मैंने विषय शुरू किया है। मेरा आधा घंटा खराब किया गया है। सभापति महोदय, अब मैं अगर अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात नहीं करूंगा तो फिर उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी जिन्होंने मुझे चुनकर यहां भेजा है।

सभापति महोदय, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट है। इस एजेंसी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के कार्यों पर भी टिप्पणियां की हैं और आपकी सरकार के बारे में भी टिप्पणियां की हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार जब जवाब दे तो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं का भी जवाब दे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया कि वाइंड अप, वाइंड अप कीजिए, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके बोलूंगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में 6,804 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा बताया गया है। 427 करोड़ रुपये

के काम बिना बजटीय प्रावधान के कर दिए गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 42 दिन तक आर0बी0आई0 से ओवरड्राफ्ट रहा, उसके लिए कौन जिम्मेवार है?

सभापति महोदय, सरकारी खरीद और ई-टेंडरिंग में मिली-भगत हुई। एक ही आई0पी0 एड्रेस से बार-बार बोलियां लगाई गईं तथा एल0वन की बजाय दूसरों को टेंडर आबंटित किए गए। ये सभी बातें सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में हैं। सरकार को इन पर भी जवाब देना चाहिए। मेरे से पूर्व के सदस्यों ने भी कहा कि आखिर हिमाचल की सरकार सुख किसको देना चाहती है? हिमाचल के लोगों को या तेलंगाना के लोगों को हिमाचल की सरकार क्या सुख देना चाहती है? जिस एप्टिको कंपनी की बात हो रही है, उस तेलंगाना राज्य की एप्टिको कंपनी को किसी दबाव में आकर कुल्लू, मंडी, पांगी और उस क्षेत्र के शराब के ठेके दिए गए इसके बदले में कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की जनता को 112 करोड़ रुपये का चुना लगाकर तेलंगाना की कंपनी निकल गई। इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या यह वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन इस पर आप चुप रहेंगे? यहां आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हिमाचल में मात्र 37 हजार लोग आपके पक्ष में अधिक थे। 16 लाख लोग हमारे साथ खड़े हैं और 16 लाख 37 हजार लोग आपके साथ खड़े हैं। उन 16 लाख लोगों की आवाज बनकर यह सवाल पूछना

19.11.2026/1550/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

हमारा अधिकार है कि उस 112 करोड़ रुपये की जवाबदेही किसकी है? इस पर आप चुप रहेंगे और कोई टिप्पणी नहीं करेंगे?

सभापति महोदय, स्वास्थ्य शिविर खासकर दूर-दराज के उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इससे बड़ा परिणाम और इससे बड़ा पारितोषिक क्या हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी को अपने चुनाव क्षेत्र में भी स्वास्थ्य शिविर लगाने पड़ रहे हैं, ये तो हालात हैं।

सभापति महोदय, एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में आने के लिए लोगों को लॉलीपॉप दिया गया। उन बेचारे कर्मचारियों ने रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और लीव इन ...(व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-11-2026/1555/NS-AS/1

डॉ0 जनक राज ------जारी

उन कर्मचारियों ने रिटायरमैंट के समय अपनी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमैंट का सारा पैसा जमा करवा दिया। आज तक वे इसी उम्मीद में घूम रहे हैं कि उन्हें उनका पैसा और पेंशन मिलेगी लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। ठेकेदार हड़ताल पर हैं। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि डिपुओं में इस वर्ष कितने महीनों से दाल उपलब्ध नहीं हुई है? आटे और चावल का कोटा कितनी बार बढ़ाया गया है और तेल के दाम कहां तक पहुंच गए हैं? आज 19 नवंबर हो गया है लेकिन अभी तक डिपुओं में राशन नहीं पहुंचा है। प्रदेश सरकार जिन 35 वस्तुओं को उपलब्ध करवाने की बार-बार घोषणा कर रही है, उनका क्या हुआ? आज मैं पांगी क्षेत्र से संबंधित यह पेपर सदन में रख रहा हूं। पांगी में राशन वितरण की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। राशन सड़ा-गला है और आटा में कीड़े लगे हैं। 19 सितंबर को 50 उपभोक्ताओं को आटा वितरित किया गया था। आज भी मुझे सड़े-गले आटे का वीडियो भेजा गया है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इस पर भी आप चुप रहेंगे?

टांडा मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विभाग वेंटिलेटर पर है। टांडा और आई0जी0एम0सी0 में पिछले कई वर्षों से न तो कार्डियक स्टेंटिंग हो रही है और न ही कार्डियक सर्जरी हो रही है। परसों मुझे अपने चुनाव क्षेत्र के एक मरीज का फोन आया कि उसको स्टेंट डाला जा रहा है और उससे 80,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। उसका हिमकेयर कार्ड भी नहीं चल रहा है। मैं सदन में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उस मरीज का नाम मनोहर लाल है।

सभापति महोदय, विपक्ष की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार की कार्यशैली और नीतियों पर सवाल उठाएं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप कीजिए।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, मैं वही सवाल उठा रहा हूं और सही कह रहा हूं। हिमाचल की जनता इस सरकार से क्या उम्मीद करे जो सरकार खुद ऑफिशिएंटिंग मोड पर है। जिस सरकार में डी0जी0पी0 और सी0एस0 तक ऑफिशिएटिंग मोड पर कार्य कर रहे हैं, उस सरकार से जनता क्या उम्मीद रखे? मेरे पांगी क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से

19-11-2026/1555/NS-AS/2

अधिकारी को आवासीय आयुक्त के पद पर लगाया जाता था। हमने टी0ए0सी0 की बैठक में यह मुद्दा उठाया कि या तो पांगी में आर0सी0 का पद भरा जाए या फिर इस सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को बंद किया जाए। आखिर लोग अपनी समस्याएं लेकर जाएं तो कहां जाएं? पिछले वर्ष बिजली विभाग और वन विभाग के बीच आपसी विवाद के चलते पांगी में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसका एक कारण यह था कि वहां आर0सी0 ही नहीं था जो समन्वय बना सकता था। हमने टी0ए0सी0 की बैठक में यह विषय उठाया कि या तो आर0सी0 का पद भरा जाए या इस सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को बंद किया जाए। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को तोड़-मरोड़ कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ की गई और हमारे विरोध में यह प्रचार किया गया कि विधायक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा संरक्षण कीजिए। आप पंडित आदमी हैं, कृपया हमारा संरक्षण कीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, वाइंड-अप कीजिए। आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं। 5.00 बजे हाउस एडजॉर्न हो जाएगा।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में 6 बार एक्सिअन का तबादला हुआ है। एक एक्सिअन 5 दिन रुकते थे और फिर नया एक्सियन आ जाता था। एक कनिष्ठ अधिकारी को बार-बार एक्सिअन के पद पर बिठाया गया जबकि उस अधिकारी के विरुद्ध विजिलेंस जांच भी चली। कांग्रेस के नेता एक्सिअन के कार्यालय में टेंडर बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या यह नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं है? इस पर आप जवाब नहीं

देंगे? आपको एस0आई0आर0, वोट चोरी और अन्य मुद्दों पर करनी है। हम यहां प्रदेश के लोगों के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं या केंद्र सरकार के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं?

सभापति महोदय, कल-परसों मैंने यह भी सुना कि श्वेत पत्र लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि मलाई तो खुद खा ली और अब जो दूध बचा है उसे देखने की जिम्मेदारी कमेटी पर छोड़ दी गई है। 4 वर्ष पहले एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी भी बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? उसे सदन के समक्ष रखा जाए और हिमाचल की जनता को बताया जाए कि सरकार ने जो रिसोर्स

19-11-2026/1555/NS-AS/3

मोबिलाइजेशन कमेटी बनाई थी उसकी यह रिपोर्ट है। इन चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं। जब किसी विषय को उलझाना हो तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि अपने सिर से जिम्मेदारी हटाकर एक कमेटी बना दो और सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर डाल दो। फिर वह कमेटी घूमती रहेगी, न उसका कभी कोरम पूरा होगा, न बैठक होगी और न ही कोई परिणाम सामने आएगा। सत्ताधारी दल ने हिमाचल की जनता को बेवकूफ समझ लिया है लेकिन हिमाचल की जनता बेवकूफ नहीं है। कुछ लोगों से जो गलती हुई थी उसका खामियाजा आज पूरा प्रदेश और प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को भुगतना पड़ रहा है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1600/RKS/डीसी-1

डॉ0 जनक राज .... जारी

आज बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। नए युवाओं को रोजगार देने की बजाय अधिकारियों को री-इम्प्लॉयमैंट और एक्सटैंशन पर एक्सटैंशन दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप आपने इसी सदन में लगाए थे आज उन्हीं अधिकारियों को आपने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया है। इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है? जिस अधिकारी को मैं चोर कह रहा हूं और कल

सरकार में आने के बाद उसी को अपना ओ0एस0डी0 या सलाहकार नियुक्त कर लूं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ तो यही है कि चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। अब मैं अधिक लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे बार-बार यह कहा जाता है कि डॉक्टर पर्ची देखता है राजनीति नहीं करता। यह बात मुख्य मंत्री जी द्वारा कई बार कही गई है और इस प्रकार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति करने का अर्थ क्या है? मेरी नजर में राजनीति का अर्थ जनसेवा करना है और मैं पहले भी जनसेवा करता रहा हूं। अब मेरी जनसेवा का दायरा और बढ़ गया है जबकि आपकी नजर में राजनीति करने का अर्थ जनता को गुमराह करना है। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना है। मुद्दों को उलझाना और अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर डालना है। इसके अतिरिक्त अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करना है। मैं ऐसी राजनीति का न तो पक्षधर हूं और न ही कभी इस प्रकार की राजनीति करना चाहता हूं। अंत में व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वालों के लिए मैं कुछ बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बीच में इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि मेरी सारी लय ही बिगड़ गई है। मैं भावनात्मक तरीके से जो बातें कहना चाहता था वे भी नहीं कह पाया। फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र की 6 पंचायतों में वन विभाग के अंतर्गत फ्लड प्रोटैक्शन के नाम पर करोड़ों रुपये के कार्य किए गए हैं। इन कार्यों में डंगे लगाए गए हैं और इनमें केंद्र सरकार तथा मनरेगा का पैसा खर्च किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि आपके ही सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में 3 वर्ष पहले मुख्य मंत्री कार्यालय में शिकायत दी थी लेकिन उस शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस पूरे सदन के सामने यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कल जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी मामलों की एक-एक करके जांच करवाई जाएगी। जिन अधिकारियों और

19.11.2026/1600/RKS/डीसी-2

कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है और केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार के पैसे से लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आपके पास भ्रष्टाचार करने और कार्यों के माध्यम से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए तो पैसा है लेकिन नर्सरी में काम करने वाले गरीब मजदूरों को वेतन देने के लिए पिछले 3 वर्षों

से पैसा नहीं है। आपने शिक्षा व्यवस्था में एक नया सिस्टम लागू किया है जिसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा जाता है। जिसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है वह सिंपल कैसे हो सकता है? इसी सिस्टम के चलते 11 जुलाई, 2026 से हजारों शिक्षक हड़ताल पर हैं। वे बगलामुखी से शिमला तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं। शिक्षा के साथ इस प्रकार प्रयोग करना उचित नहीं है। व्यवस्था में सुधार करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है परंतु सरकार को उनकी बातों को भी सुनना चाहिए कि वे चाहते क्या हैं और सड़कों पर क्यों हैं? आज 25,000 शिक्षक सड़कों पर क्यों है? क्या इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित नहीं हो रहा है? आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की। आपने कहा कि हिमाचल में बदलाव किया, यह कर दिया और वह कर दिया। इस संदर्भ में मुझे जन कवि कैलाश गौतम की एक रचना याद आती है कि:-

"कुछ भी नहीं बदला व्यवस्था परिवर्तन वालो।
सब जैसे का तैसा है।
सब कुछ पूछो यहां, पर ये मत पूछो कि आम आदमी कैसा है।
क्या सचिवालय, क्या निदेशालय,
सबका यही रवैया है,
बाबू बड़ा न भइया सबसे बड़ा रुपइया है।
पब्लिक है हरी फसल और शासन भूखा भैंसा है,
कुछ भी नहीं बदला व्यवस्था परिवर्तन वालों,
सब कुछ जैसे का तैसा ही है।"

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1605/बी.एस./डी.सी.-1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत

विपक्ष के माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा लेकर आए हैं और पिछले तीन दिनों से इस पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा का मुख्य विषय भ्रष्टाचार है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा कौन लेकर आए हैं? वे लोग लेकर आए हैं जिनकी सरकार ही भ्रष्टाचार के कारण सत्ता से बाहर हो गई थी। लगभग चार वर्ष पहले इनकी सरकार भ्रष्टाचार के कारण ही गई थी। आज वही लोग भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे भी इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी को केवल सदन ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता भी योद्धा कहती है।

उन्हें योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए जो लड़ाइयां लड़ी हैं वे ऐतिहासिक हैं। पिछले पांच वर्षों में जब इनकी सरकार सत्ता में थी और डबल इंजन की सरकार चल रही थी तब इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचने के लिए अनेक समझौते किए। सत्ता में रहते हुए ऐसे समझौते किए गए जो प्रदेश के हितों के विरुद्ध थे। मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी ने उन समझौतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करते हुए उन मामलों में कानूनी लड़ाई जीतकर प्रदेश के हितों को सुरक्षित किया। इसी कारण हिमाचल प्रदेश की जनता उन्हें योद्धा के रूप में देखती है और उन्हें यह सम्मान देती है। आज विपक्ष को इस बात से भी तकलीफ हो रही है कि जिनके प्रधानमंत्री 75,000 डॉलर देकर अपनी प्रशंसा करवाते हैं और विश्वगुरु बनने की राह पर चलते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे मुख्य मंत्री को योद्धा कहकर सम्मान दे रही है। विपक्ष को शायद यही बात परेशान कर रही है।

सभापति महोदय, कुछ समय पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने वाइल्ड फ्लावर हॉल के विषय में एक गलत टिप्पणी की है। वास्तविकता यह है कि इसके लिए जो टेंडर हुआ है वह पूरी तरह खुली प्रक्रिया के तहत हुआ है। इस टेंडर प्रक्रिया में आज तक के इतिहास की सबसे अधिक बोली प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार

के खजाने में प्रत्येक वर्ष 47 करोड़ रुपये आएंगे। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार के समय की हमारी जो बकाया राशि थी उसे भी लगभग 200 करोड़ रुपये की कानूनी लड़ाई लड़कर मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के राजस्व में शामिल करवाया है। इससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे मामले में गलत टिप्पणी करना और सदन को गुमराह करना मुझे उचित नहीं लगता है। सभापति महोदय, आज मुझसे पहले डॉ0 जनक राज जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए गए हैं और इस मामले में जांच भी चल रही है। लेकिन आज उन्होंने अपने वक्तव्य में इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बच्चेदानी आदमियों के अंदर भी होती है। पूरे विश्व में लगभग 300 ऐसे आदमी पाए गए हैं जिनके अंदर बच्चेदानी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी सरकार दोबारा रिपीट हो जाती तो 300 में से 150 लोगों को तो आप हिमाचल में ही पहचान लेते और 150 ऑपरेशन तो हिमाचल में ही कर दिए जाते। मुझे लगता है कि जितना जो आप अपनी लय के बारे में बोल रहे हैं शायद आपने अपनी लय उसी वक्त बिगाड़ दी थी।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह इनकी सरकार के समय हुआ सबसे बड़ा घोटाला है। उस समय पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन इन्होंने ऐसी व्यवस्था की कोशिश की जिसमें आपदा में अवसर ढूंढा गया। उस समय इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। पी0पी0ई0 किट घोटाला आज पूरे हिमाचल प्रदेश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर है। उस समय जब लोगों के बीच त्राहि-त्राहि मची हुई थी तब ये लोग घोटालों में लगे हुए थे। उस समय 5 रुपये का मास्क लगभग 100 रुपये में लोगों को बेचा गया। हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर जो मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपये का होता है उसे 500 रुपये में बेचा गया। उस समय पी0पी0ई0 किट का सबसे बड़ा स्कैम इनकी सरकार के समय सामने आया।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1610/DT/HK-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी....

उस समय इनकी सरकार आपदा में अवसर ढूंढने में लगी हुई थी। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन्हें घर पर बिठा दिया। आज ये करप्शन पर भी चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला भी इनकी सरकार के समय हुआ। इन्होंने हमारे लाखों युवाओं का भविष्य कुएं में डाल दिया। इसके अतिरिक्त इनकी सरकार के समय एक और बड़ा घोटाला जल शक्ति विभाग में हुआ। जल शक्ति विभाग में लगभग 2,200 करोड़ रुपये की पाइपें खरीदी गईं। ये पाइपें कहां से खरीदी गईं? ये पाइपें मेरी विधान सभा क्षेत्र चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक की फैक्ट्री से खरीदी गईं। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन पाइपों को ऐसे स्थानों पर रख दिया गया जहां इनकी आवश्यकता भी नहीं थी। ये पाइपें इतनी लो क्वालिटी की थीं कि जहां भी इनका इस्तेमाल किया जाता था वहां ये तुरंत टूट जाती थीं। इन पाइपों की हालत ऐसी थी जैसे 60 वर्ष की महिला के विधवा होने पर उसकी चूड़ियां टूटती हैं। इस प्रकार इन पाइपों की हालत भी टूटने जैसी हो गई थी। इस मामले में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश और देश में नीट पेपर की बिक्री का मामला सामने आया। मैं पूरे देश के युवाओं और विशेष रूप से जेन-जी को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एकजुट होकर जंतर-मंतर पर इसका विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप हमारे केंद्रीय मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। यह घोटाला पूरे देश में हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह केवल देश का मामला है और हिमाचल प्रदेश इससे अलग है। हिमाचल प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है। हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं ने भी उस परीक्षा में भाग लिया था। केंद्र सरकार ने उस पेपर को बेचा है। इसके अतिरिक्त ये कहते हैं कि राम मंदिर के विषय पर बात मत करो। मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर में हुई चोरी क्या घोटाला नहीं है? यह तो सबसे बड़ा घोटाला है क्योंकि आपकी सरकार जब सत्ता में आई थी तब आपने राम मंदिर का विवरण देकर ही सत्ता प्राप्त की थी। आपने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बड़े दुःख की बात है

19.11.2026/1610/DT/HK-2

कि मात्र दो वर्षों में राम मंदिर में 103 बार चोरी हुई है। आपने 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। जिन हिंदुओं ने अपनी स्वेच्छा से इसके लिए दान दिया था उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई है। आपने राम मंदिर में चोरी तो की ही है बल्कि भगवान राम जी की चप्पलें तक नहीं छोड़ीं और भगवान राम जी का रथ तक चुरा लिया। आज मैं कहना चाहता हूं कि यह भी हमारे देश और प्रदेश में हुआ सबसे बड़ा घोटाला है। इसके अलावा आज मुख्य मंत्री जी की बात करें तो जिस दिन से वे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है? जब इन्होंने पिछले पांच वर्षों का निरीक्षण किया...(व्यवधान) किशाऊ बांध के संबंध में हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने समझौता किया था कि हम इस बांध के निर्माण पर पैसा खर्च करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी ने उस समझौते को पढ़ा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम इस समझौते से सहमत नहीं हैं। आखिरकार किशाऊ बांध के समझौते पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। हमारी भाजपा शासित राज्य सरकारें चाहे वह हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो या राजस्थान हो उन्हें भी झुकना पड़ा। उस समझौते को केवल हिमाचल प्रदेश सरकार को छोड़कर रद्द किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता को लगभग 501 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा और यह राशि हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में आएगी। इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय और इच्छाशक्ति के साथ काम करना। मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम किया है उसी का परिणाम है कि हमने वाइल्ड फ्लावर होटल का केस जीता और जे0एस0डब्ल्यू0का केस भी जीता। अब बी0बी0एम0बी0 का फैसला भी आया है जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को लगभग 500 से 1,000 करोड़ रुपये का फायदा होने जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यह बहुत पुराना केस था और पहले से ही चल रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में भी यह केस चल रहा था। कल इस सदन में हमारी आदरणीय सदस्या कुमारी अनुराधा राणा जी ने भी यह बात कही थी कि यदि हम इस केस में अच्छे और महंगे वकील खड़े नहीं करते तो इसका फैसला अगले 20-25 वर्षों तक भी नहीं होना था। लेकिन मैं विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पिछले पांच वर्षों तक सोए रहे? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस केस में अच्छे वकील खड़े करके इसे जीता जा सकता था? **श्री ए0पी0द्वारा जारी....**

19.11.2026/1615/एच0के0/ए0पी0/-01

नियम-67 के अंतर्गत चर्चा जारी .....

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जारी .....

अगर हमारे अच्छे, महंगे वकील इस केस में खड़े न होते तो शायद अगले 20-25 वर्षों तक भी इसका फैसला नहीं हो पाता। मैं विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले पांच वर्षों तक क्या करते रहे? क्या आपको यह पता नहीं था कि अच्छे वकील नियुक्त करके और अपने पक्ष को मजबूती से रखकर इस केस को जीता जा सकता था? आज जो फैसला आया है वह पांच साल पहले भी आ सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि आपने कभी हिमाचल प्रदेश के हितों के बारे में सोचा ही नहीं। सबसे बड़ी करप्शन यह है कि जब 75 लाख जनता हमें चुनकर यहां भेजती है और हम हिमाचल के हितों के बारे में न सोचें, उनके अधिकारों के प्रति आंखें मूंद लें तो इससे बड़ी करप्शन और क्या हो सकती है? यदि उस समय की सरकार ने बी0बी0एम0बी0 और किशाऊ बांध जैसे मामलों में सही फैसले लिए होते और मजबूती से पैरवी की होती तो आज जो फैसला चार-पांच साल बाद आया है, वही फैसला पांच साल पहले भी आ सकता था। यदि फैसला पहले आ जाता तो शायद बांध का निर्माण कार्य शुरू हो चुका होता और हमारी जनता को उससे मिलने वाला पैसा भी आना शुरू हो गया होता। हमारे विपक्ष के लोग हमेशा कहते हैं कि हम दिल्ली गए थे और वहां जाकर हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की थी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी दिल्ली गए, हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले फंड रोकने के लिए गए। आपने हमारे कौन-कौन से फंड रोके? आपने हमारी आर0डी0जी0 फंड रोक दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये देने की बात कही थी लेकिन आपने उसे देने से मना कर दिया। इसके अलावा, आपने हमारे कर्मचारियों के एन0पी0एस0 के 850 करोड़ रुपये भी रोक दिए। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आप वहां हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करने नहीं बल्कि हिमाचल की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए जाते हैं। यदि आप वास्तव में हिमाचल के हितों की बात करते तो शायद यह पैसा हमारे हिमाचल प्रदेश को मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिस घर कुकड़ नी होंदे, उस घर सवेर नी होंदा। ऐसा नहीं होता है। जहां माननीय मुख्य मंत्री जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति हो, वहां ऐसी स्थिति नहीं रहती। उन्होंने अपने

हक की लड़ाई लड़कर आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक सपना देखा है कि हम हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। आप

19.11.2026/1615/एच0के0/ए0पी0/-02

लोग हमारे सामने बैठकर पूछते हैं कि ऐसी कौन-सी जादू की छड़ी है। जिसे घुमाने से हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अधिकार ही वह जादू की छड़ी हैं। बी0बी0एम0बी0 में हमारा हक उस जादू की छड़ी का हिस्सा है। किशाऊ बांध भी उसी जादू की छड़ी का हिस्सा है। हमारा वाइल्ड फ्लावर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा, आने वाले समय में चंडीगढ़ में हमारा 7.19 प्रतिशत का हिस्सा भी हम लेकर रहेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा।

मुख्य मंत्री जी दिन-रात इस लड़ाई को जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्रीगण और सभी सदस्य भी इस लड़ाई में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। हमारी पूरी सरकार एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। कल मैं विपक्ष के सदस्यों को सुन रहा था। वे छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हमारी सरकार ने इतना लोन लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको लोन लेने की जरूरत ही क्या थी? आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी। आपने हमारे फंड रोके हैं इसलिए हमें लोन लेने की जरूरत पड़ी। लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार ने आपको दिया क्या? छुनछुना दिया आपको और कुछ नहीं दिया है। उन्होंने आपके जो फंड थे, उन्हें भी रोकने का काम किया। परवाणु के आगे आपकी जुबान ही नहीं खुलती है। हमारे चार-पांच सांसद आज दिल्ली में बैठे हैं। आप मुझे उनका एक भी वक्तव्य बता दीजिए जिसमें उन्होंने कभी संसद में हिमाचल प्रदेश के हक की बात उठाई हो। आखिर क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वहां जाकर उनकी जुबान ही नहीं खुलती। इसका जीता-जागता उदाहरण है किशाऊ बांध का समझौता है। जब हमारे किशाऊ बांध को लेकर समझौता हुआ तो इसी तरह का समझौता उत्तराखंड सरकार ने भी किया था। जब उत्तराखंड के मुख्य मंत्री जी ने नीचे बैठ जाने का इशारा किया गया। क्योंकि यह लड़ाई आपके साथ नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के साथ हो रही थी। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं और प्रदेश की 75 लाख जनता की ओर से भी उनका अभिनंदन करता हूं। आज यदि लोग यह कह रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार दोबारा

रिपीट होगी तो यह हम नहीं कह रहे बल्कि हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता कह रही है। आप लोगों को यही चिंता सता रही है। आज आप नियम-67 के अंतर्गत चर्चा लेकर आ रहे हैं। नियम-67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। एक तरफ आप रोते रहते हैं कि काम नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आप स्वयं काम रोकने की बात करते

19.11.2026/1615/एच0के0/ए0पी0/-03

हैं। आप ही बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? आप किस तरफ खड़े हैं? पिछले तीन दिनों से आप काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। आज आप लोगों ने वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से हमारे पूर्व विधायक श्री सतपाल रायजादा जी के लोन सेटलमेंट का मुद्दा उठाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ओ0टी0एस0 की स्कीम आर0बी0आई0 के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू थी। इसी ओ0टी0एस0 योजना के माध्यम से सभी के लोन सेटलमेंट हुए हैं। चाहे वह विधायक ही क्यों न हो, इस योजना के तहत लोन सेटलमेंट हुआ है तो वह भी इस प्रदेश का नागरिक है। उसका भी उतना ही अधिकार है, जितना प्रदेश के किसी आम नागरिक का है। मैं समझता हूं कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति को निशाना बनाना और उसके ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है। सभापति महोदय, कल हमारे आदरणीय प्रकाश राणा जी भी कल एक अर्थशास्त्री की तरह अपनी बात रख रहे थे

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.11.2026/1620/AT/YK / 01

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि आप पिछले पांच वर्षों तक कहां थे? जब आप यह कह रहे हैं कि हमें यह प्रोजेक्ट लगाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश पर इतना कर्ज हो गया है मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा। आदरणीय प्रकाश राणा जी, आपको तो दिल्ली में बैठना चाहिए। जिस तरह की सलाह आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे रहे हैं मुझे लगता है

कि ऐसी सलाह आपको दिल्ली की सरकार को भी देनी चाहिए। क्योंकि वर्ष 2014 में जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी थी उस समय देश पर 57 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था जो आज बढ़कर 214 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मात्र 12 वर्षों में देश पर कर्ज इतना बढ़ गया है। पिछले 67 वर्षों में देश पर कुल 57 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस भाषा का प्रयोग आप यहां करते हैं उसी तरह का संदेश आप दिल्ली की सरकार को भी दें। केंद्र में आपकी सरकार है और हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। देश पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को लेकर वहां भी आप जैसे अर्थशास्त्रियों की बहुत आवश्यकता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने बटर सेस लगाया लेकिन आपकी सरकार उन कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। केंद्र में आपकी सरकार है। इसके बाद शानर प्रोजेक्ट का मामला है उस प्रोजेक्ट की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका मामला भी आज तक लटका हुआ है। और वह भी केंद्र सरकार के अधीन है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में हमारा जो 7.19 प्रतिशत हिस्सा है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में आपकी सरकार है। इसलिए आप यह हिस्सा भी हमें दिलवाने का प्रयास करें। क्योंकि आप लोग केवल सोशल मीडिया पर आने और भाषणबाजी करने के लिए ही यहां खड़े हो सकते हैं।

(सभापति महोदय श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए।)

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे देश की अत्यंत सम्माननीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी की एक पुस्तक को लेकर भी काफी

19.11.2026/1620/AT/YK / 02

बयानबाजी हो रही थी। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि सोनिया गांधी जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक की दो लाख प्रतियां मात्र सात दिनों में बिक गईं। मेरे विचार से यह पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। हमाने विपक्ष के साथी भी इस पुस्तक को लेकर काफी बयानबाजी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर तीन फिल्में बनीं, लेकिन वे फ्लॉप हो गईं और सोनिया गांधी जी पर लिखी गई पुस्तक

हिट हो गई। हमारी एक पुस्तक हिट हो गई और आपकी तीनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। इसलिए आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि इसी वजह से आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर लगातार बातें कर रहे थे। ...(व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत आभी आगे चले यह है राहुल गांधी पर, मैं मात्र हमारी मंडी से माननीय सांसद दस-पंद्रह दिन पहले क्या बयान दिया था उसे भी सुनिए। वह भी हमारी सांसद हैं। उनके बयान पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। एक महिला होते हुए उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसे सुनकर हमें शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए इस तरह की बयानबाजी करने से आप सीधा हाई कमान पर पहूंच जाते है। उन्होंने तो केवल प्यार भरी भाषा का प्रयोग किया था और एक परिवार के बीच इस्तेमाल होने वाली प्यार भरी भाषा की याद दिलाई थी। लेकिन आपको प्यार की भाषा समझ में कैसे आएगी क्योंकि आप तो भरी जवानी में अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। उनको प्यार की भाषा का क्या एहसास होगा?

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में यह चर्चा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार और पूर्व प्रदेश सरकार जवाब देना । मैं समझता हूं कि पिछले चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के हितों के लिए जो लड़ाई लड़ी है और यह जो नियम 67 के अंतर्गत चर्चा लाई गई है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। दूसरी बात, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश के हितों के लिए जो संघर्ष किया है वह प्रदेश के हित में है और आगे भी प्रदेश के हितों की लड़ाई जारी रहेगी। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं पूर्व मुख्य मंत्री जी और वर्तमान मुख्य मंत्री जी के संदर्भ में चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। हंस राज जी, जरा सुनिए।

19.11.2026/1620/AT/YK / 03

पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि :-

रंग बदलने वाले रंग बदल दिया करते हैं,
कमान से निकले हुए तीर बदल दिया करते हैं।

आपने तो अपने कार्यकाल में हिमाचल के हितों के लिए आंखें मूंद ली थीं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे नेता हिमाचल की तकदीर बदल दिया करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस संकल्प के संबंध में मैं अपना समर्थन व्यक्त नहीं करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता चिंतपूर्णी।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

19.11.2026/1625/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ... जारी

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार जी भाग लेंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। नियम-67 के अंतर्गत आदरणीय श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी, आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी तथा डॉ0 हंस राज जी ने आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी वर्तमान सरकार और हिमाचल के हितों को बेचने के विषय पर जो प्रस्ताव लाया है उस पर चर्चा चल रही है और हम सभी इस चर्चा को सुन रहे हैं।

सभापति महोदय, इस सदन में बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो बहुत पुराने समय से चुनकर आए हैं जिनमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार साहब शामिल हैं। वहीं बहुत सारे सदस्य नए भी हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं और मैंने पहली बार ही इस सदन के अंदर शपथ ली थी। जब हम पिछले चार वर्षों की चर्चा सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम केवल एक- दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उसके बाद अपनी अटेंडेंस देकर अपनी रील चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि हमारे सीनियर सदस्यों द्वारा लाया गया यह स्थगन प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण विषय पर है।

सभापति महोदय, इस चर्चा में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। हम विपक्ष में हैं और हमने आरोप लगाया है कि हिमाचल को बेचा जा रहा है। अब सवाल यह है

कि हिमाचल को कैसे बेचा जा रहा है और ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं? कांगड़ा के गग्गल में जो एयरपोर्ट बन रहा है और जहां भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसके आस-पास किस तरह जमीनें खरीदी गईं? दूसरी जगहों पर आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार साहब ने पूरा रैफरेंस देकर गांवों के नाम बताए हैं कि वहां क्या हुआ है और हमारे यहां किस तरीके से काम हो रहा है? इन सभी विषयों पर सदन में बहुत सारी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि यदि सरकार को इन विषयों पर गंभीरता से बात करनी है तो उसे अपने कार्यों के संबंध में किए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं कल होर्डिंग देख रहा था कि 'कठपुतली नहीं, योद्धा है' इस तरह का कुछ चल रहा था। यदि योद्धा हैं तो मैं ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा और केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा।

19.11.2026/1625/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक बार नहीं बल्कि कम-से-कम चार-पांच बार यह बात उठा चुका हूं कि हमारे यहां 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को बादल फटा था और 36 लोग बह गए थे, जिनमें शिमला जिला के लोग तथा तीन-चार लोग हमारे कुल्लू जिला के थे। समेज में यह बादल फटा था और वहां ग्रीनको कंपनी भी है। मुख्य मंत्री महोदय को बार-बार योद्धा कहा जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वे किस बात के योद्धा हैं? बादल फटने से जिन मकानों को क्षति पहुंची थी, उनके लिए कहा गया था कि एक लाख रुपये दिए जाएंगे। वहां ग्रीनको कंपनी का भी जिक्र पहले किया जा रहा था और मुख्य मंत्री साहब को बार-बार योद्धा कहा जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वे किस बात के योद्धा हैं? इन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों को एक लाख रुपये देने की बात कही थी और नेवता देवी पत्नी श्री प्रेमचंद, बेदराम पुत्र श्री कौलराम तथा जियाराम पुत्र श्री विजयराम (स्वर्गीय) इन तीनों को दो-दो लाख रुपये देने की बात कही गई थी।

मुख्य मंत्री जी बागासान के दौरे पर आए थे और मैंने वहां मंच से भी यह बात कही थी। आज अगला चुनाव होने वाला है लेकिन इन परिवारों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। इतने झूठे दावे किए जा रहे हैं और बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं कि ये योद्धा हैं और

इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम कर लिए हैं। झूठ बोलने के अलावा इन्होंने यदि कोई काम किया है तो मुझे बता दें।

सभापति महोदय, मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मुझे दूसरी जगहों पर क्या-क्या हुआ है, उससे कुछ नहीं लेना है। हमारे सीनियर नेताओं ने उन सभी विषयों को बता दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये लोग व्यक्तिगत रूप से भी मुख्य मंत्री जी से मिले थे। मुख्य मंत्री जी जिनके घर गए थे उनमें जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके परिवारजन भी उनसे मिले थे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो वे सदन में आश्वस्त करें कि अगले दो-तीन दिनों के अंदर कुल्लू के उपायुक्त को निर्देश देंगे कि जिन मृतकों के परिवारों तथा मकानों को क्षति पहुंची है, उन्हें यह पैसा जल्द-से-जल्द मिल जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन भी चाहूंगा। बाकी यहां बड़ी-बड़ी बातें होती रहेंगी कि हमने किशाऊ के लिए

19.11.2026/1625/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

यह कर दिया और हमने वह कर दिया। जो कुछ किया है, वह वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने किया है और अकेले किया है। उनके साथ कोई कैबिनेट नहीं है। उन्होंने कैबिनेट के लोगों को भी यूं ही श्वेत पत्र में डाल दिया है। आप देखिए कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी

एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-11-2026/1630/NS-AG/1

श्री लोकेन्दर कुमार------जारी

यहां बैठे हैं, वे हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं लेकिन आज उन्हें इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं तथा क्यों देखने पड़ रहे हैं? इसका कारण यह है कि कैबिनेट के अलावा उनके आसपास जो टीम है उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।

अध्यक्ष : श्री लोकेन्दर कुमार जी आपसे अनुरोध है कि आप प्रस्ताव के विषय पर ही बात करें।

श्री लोकेन्दर कुमार : मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेलकूद के लिए धनराशि आती थी और स्कूलों को दी जाती थी। आज उसके लिए ग्लोबल टेंडर लगाया गया है। यह टेंडर किसके लिए लगाया गया है? इसे कौन लगाने वाले हैं और कौन लोग इसका लाभ लेने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें आदरणीय मंत्री जी के चहेते या उनके नजदीकी लोग शामिल होंगे। जो सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। यह हमने स्वयं वहां जाकर देखा है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। यहां से माननीय सुदर्शन सिंह बबलू जी चले गए हैं। सत्ता पक्ष के सदस्य भी एक-एक करके जा रहे हैं। हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ...(व्यवधान) पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे अध्यापकों को दिए जाने वाले सभी अवॉर्ड एक ही जिले में बांट दिए गए। ये वे अध्यापक हैं जो मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन सारे अवार्ड एक पर्टिकुलर जिले को बांट दिए गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी एक अध्यापक का नाम इस सूची में था। मैंने आर0टी0आई0 ली और उसमें उनका नाम भी आया लेकिन उन्हें अभी तक अवॉर्ड नहीं मिला है। आर0टी0आई0 के माध्यम से जो सूची मुझे प्राप्त हुई है उसे मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और किसके कहने पर ये अवॉर्ड बांटे गए? जिन लोगों को अवॉर्ड मिले हैं उनके प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। उन्होंने मेहनत की होगी, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया होगा और उन्हें अच्छी शिक्षा दी होगी। इस मामले में भी अपने चहेतों को अवॉर्ड देने का काम किया जा रहा है। क्या यह भी भ्रष्टाचार का एक तरीका है कि अपने चहेतों और नजदीकी लोगों को अवॉर्ड दे दिए जाएं?

19-11-2026/1630/NS-AG/2

सभापति महोदय, अभी लोक निर्माण मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं इस विषय पर अधिक लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे विधान

सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के 27 करोड़ रुपये के पी0डी0एन0ए0 के टेंडर लगे और काम भी करवाए गए। इसके बावजूद आज भी वहां ऐसी सड़कें हैं जहां हमारी बसें नहीं पहुंच पा रही हैं और छोटी गाड़ियां तक नहीं जा पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जो मेरे पड़ोसी हैं और मैं जब इन कार्यों के बारे में पढ़ रहा था तो 8 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक के बिल निकाले गए हैं। इनमें ऐसे कई ठेकेदार भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। मुझे मालूम है कि उनकी मशीनें कितनी नीचे तक गई हैं? इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन सभी कार्यों की जांच करवाई जाए। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप तथ्य लेकर आइए। ये सरकार हैं और इनके पास पूरे विभाग हैं। सरकार के पास सी0आई0डी0, विजिलैंस है और ये पता करें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में करवाए गए कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं? मैं यह भी मांग करता हूं कि इन कार्यों की निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएं, चाहे वे एक्सिअन हों या एस0डी0ओ0 हों, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से ये कार्य किए जा रहे हैं, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम विधायक होने के नाते विकास कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो जवाब मिलता है कि पैसे नहीं हैं। लेकिन जब किसी विशेष स्थान के लिए स्वीकृत धनराशि को किसी दूसरी जगह खर्च किया जाता है तो यह बहुत बुरा लगता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इन सभी कार्यों की जांच करवाई जाए और सरकार मुझे आश्वस्त करे कि जो कार्य करवाए गए हैं, वे सही हैं या उनमें अनियमितताएं हुई हैं। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय कह रहे हैं कि दोषियों को जेल के पीछे भेजा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने लोग जेल के पीछे गए हैं?

सभापति महोदय, जल शक्ति विभाग में भी यही हालात हैं। वहां 12 करोड़ रुपये के काम हुए हैं। तीन वर्ष हो गए हैं लेकिन कोयल- बाएल में आज तक मेरे लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है। वहां सैकड़ों बीघा जमीन है और उस क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता का धान पैदा होता है। लेकिन पानी की व्यवस्था न होने के कारण वहां अभी तक धान की खेती नहीं हो पाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस कार्य के लिए स्वीकृत

19-11-2026/1630/NS-AG/3

धनराशि कहां खर्च की गई और किसके कहने पर यह पैसा लगाया गया? यह बहुत पीड़ा का विषय है। सभापति महोदय, इन सभी कार्यों की जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं कि वे नए विधायकों की बात सुन रहे हैं। अगर वे अभी मेरी बात सुन रहे होंगे

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

19.11.2026/1635/RKS/AG-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी

मैं कहना चाहूंगा कि इन कार्यों की भी जांच होनी चाहिए। चाहे वे जल शक्ति विभाग के कार्य हों या लोक निर्माण विभाग के इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में 210 मैगावाट का लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने अभी एक प्रश्न भी लगाया था। लेकिन दुःख की बात यह है कि मुझे जो उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। संबंधित अधिकारी भी आज यहां उपस्थित नहीं हैं। कल एस0जे0वी0एन0एल0 के अधिकारी और कुछ अन्य लोग यहां आए होंगे। लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट के स्टेज-1 में जितनी अनियमितताएं हो रही हैं उतनी कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। इस प्रोजैक्ट के सी0एस0आर0 फंड से ग्राम पंचायत बागा-सराहन को 21,39,000/- रुपये दिए गए हैं। जबकि यह पंचायत न तो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में आती है और न ही परियोजना के प्रभावित जोन में शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बागा-सराहन में 21,39,000 रुपये किस कार्य के लिए खर्च किए गए हैं? यह राशि किसके कहने पर वहां दी गई और इस राशि से वहां कौन-सा कार्य करवाया गया है? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। हो सकता है कि सरकार को यह राशि छोटी लग रही हो लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए 21,39,000/- रुपये बहुत बड़ी रकम है। यह राशि हमारी गरेज, देहरा और निथर पंचायतों में खर्च होनी चाहिए थी क्योंकि ये परियोजना के आसपास स्थित प्रभावित पंचायतें हैं। इसके विपरीत यह राशि परियोजना प्रभावित क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर बागीपुल के साथ ऊपर की ओर स्थित बागा-सराहन पंचायत में खर्च की गई है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया

जाना चाहिए कि परियोजना की राशि सही एवं उचित स्थान पर खर्च हो। भ्रष्टाचार के संबंध में हमारे वरिष्ठ साथियों ने सदन में बहुत-सी बातें कही हैं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और इस परियोजना के संबंध में जो बातें उठाई हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। इस परियोजना में बहुत अधिक गोलमाल हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने मुझे प्रश्न का उत्तर लिख कर दिया है उसमें लगभग 90 प्रतिशत उत्तर गलत दिया गया है। यदि आप वहां जाकर देखेंगे कि किस प्रकार कार्य हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि संबंधित अधिकारी कभी वहां गए भी होंगे या

19.11.2026/1635/RKS/AG-2

वहां कभी कोई बैठक हुई होगी। वहां के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यह भी समझने की आवश्यकता है। जब आप रामपुर जाते हैं तो मेरे क्षेत्र निथर, देहरा और गरेज की स्थिति देख सकते हैं। परियोजना के कारण ये क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। मैं अपने अधिवक्ता से भी इस विषय पर बात कर रहा था कि जिस प्रकार मुझे गलत उत्तर दिया गया है उसके संबंध में आखिर हम किसके पास जाएं? क्या हम मुख्य मंत्री के पास जाएं या मंत्री के पास जाएं? अधिकारी तो यह कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे में क्या हम उच्च न्यायालय में जाएं? जिस संवेदनशीलता की बात की जाती है वह संवेदनशीलता आखिर कहां दिखाई देती है? मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र आरक्षित होने के साथ-साथ प्रशासनिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र की ओर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। केवल चिन्हित स्थानों पर ही कार्य किया जा रहा है। मेरा जिला कुल्लू है और आज इस सदन में श्री सुन्दर ठाकुर जी उपस्थित नहीं हैं। श्री सुन्दर ठाकुर जी से कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है? जिला कुल्लू को हमेशा मंत्री पद मिलता रहा है लेकिन आज जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। यदि उनके पास मंत्री पद होता तो मैं भी उनके जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विधायक होने के नाते उनके पास जाता और अपने क्षेत्र की समस्याएं रखता। मैं उनसे कहता कि हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप योद्धा की सेना हैं और सेना के लोग आपके पीछे खड़े हैं। हम समझते थे कि आप उस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि

इस सरकार ने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। स्टाम्प पेपर की कीमत जो पहले 20 रुपये थी उसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। जहां पहले 100 रुपये का स्टाम्प पेपर मिलता था वहां अब 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कौन बनवाता है? आम गरीब परिवार जिनके पास 1 बीघा या 2 बीघा जमीन है वे भी अपने घर का खर्च चलाने और खेती-बाड़ी करने के लिए के0सी0सी0 बनवाते हैं। उसकी फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। आखिर किस तरीके से गरीबों को उलझाया जा रहा है?

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.11.2026/1640/बी.एस./ए.एस.-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

इस सरकार में चाहे जमीनों का घोटाला हो या मेरे जिला कुल्लू में शराब का घोटाला हो। इसमें 100 करोड़ रुपये और 112 करोड़ रुपये की बात की जा रही है। आनी से लेकर पांगी तक और लाहौल से लेकर कुल्लू तक सब कुछ समेटकर कंपनी वाले यहां से चले गए हैं। क्या इस मामले की भी इंक्वायरी होगी? क्या इसके लिए भी कमेटी गठित की जाएगी? जो लोग यहां से भागे हैं वे कौन लोग हैं और किसके लोग हैं? क्या इन सभी बातों की जांच होगी? क्या जनता को बताया जाएगा कि वह कौन-सी कंपनी थी और यहां काम करने के लिए उसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? आज सभी लोग यहां से भाग गए हैं। क्या यह 100 करोड़ रुपये का घोटाला नहीं है? जब सरकार का रेवेन्यू लेकर लोग भाग गए हैं तो क्या यह घोटाला नहीं है? सभापति महोदय, मैंने सदन में इस विषय पर अपनी बात रखी है और अपने प्रश्नों के माध्यम से भी यह मामला उठाया है। मैंने अपने प्रश्नों को देखा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना था। मेरा कहना केवल इतना है कि मुझे के उत्तर में जो जवाब मिला है वह गलत मिला है। जल शक्ति विभाग और पी0डब्ल्यू0डी0 तथा पी0डी0एन0ए0 के जो काम मिले हैं तथा जिस तरीके से उनमें पैसा खर्च हुआ है उसमें अनियमितताएं हुई हैं। मेरी मांग है कि इसकी इंक्वायरी हो और जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

इस कार्रवाई में यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो चाहे वह एक्सियन हो, चाहे एस0डी0ओ0 हो, चाहे जे0ई0 हो या कोई अन्य अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पी0डब्ल्यू0डी0 के अंदर मंत्री कहते हैं कि हमारे पास लाखों रुपये और हजारों रुपये आ रहे हैं। चाहे वह 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत आ रहे हों या एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से आ रहे हों। मेरा सवाल है कि क्या यह पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं? मैं इन सभी विषयों को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। नियम-67 के अंतर्गत जो यह स्थगन प्रस्ताव सदन में लाया गया है मैं उसके पक्ष में हूं और इसका समर्थन करता हूं।

19.11.2026/1640/बी.एस./ए.एस.-2

इस सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार जमीन पर आकर काम करके दिखाएं। अभी हवा में बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं। आने वाले समय में जब गरीब कल्याण की बात होगी और हम

चुनावों के बीच में होंगे तब यह सरकार और इसके नुमाइंदे किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? हम सभी लोग चट्टान की तरह सामना करेंगे और इनकी गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पिछले चार वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ भी हम अपनी लड़ाई तेज करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय हिंदुस्तान।

19.11.2026/1640/बी.एस./ए.एस.-3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए)

श्री किशोरी लाल : आदरणीय सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष के माननीय सदस्य काम रोको प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले तीन दिनों से यह चर्चा चल रही है कि हिमाचल ऑन सेल है। लेकिन पिछले चुनावों में हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और कांग्रेस की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी श्री

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी ने संभाली। जब उन्होंने मुख्य मंत्री का पद संभाला उस समय प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और 11,000 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में दो बार वर्षा के कारण भारी तबाही हुई। इसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ। लोगों की जानें गईं। घर और मवेशी बह गए। इसके बावजूद सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य किए। पहले जहां आपदा प्रभावित परिवारों को एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलती थी वहीं सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया। प्रभावित लोगों का पुनर्वास करवाया गया। इस प्रकार सरकार ने प्रदेश की जनता की सेवा पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ की है।

अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि 'हिमाचल ऑन सेल' है। लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है जिसके आधार पर विपक्ष इस मुद्दे को उछाल रहा है। 'हिमाचल ऑन सेल' की स्थिति तो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ करती थी। प्रदेश में जहां धारा 118

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

19.11.2026/1645/DT/AS-1
श्री किशारी लाल जारी..

लागू थी जिसे प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार जी ने इस प्रदेश में इसलिए लागू किया था ताकि प्रदेश के लोगों की जमीनें सुरक्षित रहें और लोग उन जमीनों पर खेतीबाड़ी एवं बागवानी करके अपने प्रदेश को खुशहाल बना सकें। लेकिन पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में अंधाधुंध होटल बने और बड़े-बड़े मॉल खुले और उस समय धारा 118 का उल्लंघन हुआ। इसलिए अगर धारा-118 का कहीं उल्लंघन हुआ है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में ही हुआ है। यहां पिछले पांच वर्ष तक पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार रही। इसी दौरान कोरोना आया। उस समय सरकार बड़े-बड़े दावे करती रही लेकिन कोरोना काल में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पी0पी0ई0 किट्स घोटाला हुआ और सैनिटाइजर की खरीद में भी घोटाला हुआ। इसके अतिरिक्त कोविड सेंटरों से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इन सेंटरों में मरीजों को रखा जाता था लेकिन वहां मरीजों

को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। क्या मरीजों को इसलिए वहां भर्ती किया गया था कि वे भूखे मर जाएं? यह पिछली सरकार की कार्यप्रणाली थी। बैजनाथ के पंचायती राज सेंटर में कोविड सेंटर बनाया गया लेकिन वहां खाने का कोई इंतजाम नहीं था। इसी प्रकार आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला में भी कोविड सेंटर बनाया गया जहां यही स्थिति थी। सेल स्थान की एक महिला वहां भर्ती हुई वहां उसकी की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसके शव को घर ले जाया गया तो घर जाकर देखा गया तो उसके जेवर भी गायब थे। उस समय प्रदेश में ऐसी व्यवस्था थी।

इसके बाद यहां सबसे बड़े मुद्दे उठाए गए। वाइल्ड फ्लॉवर हॉल की बात कही गई। सभी जानते हैं कि इस मामले में वर्तमान सरकार ने लड़ाई लड़ी और सरकार को जीत मिली। इससे सरकार को 47.1 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये की देनदारियां भी सरकार ने मुकदमा जीतकर पूरी की हैं। वहां जो टेंडर हुआ है वह नियमों के आधार पर हुआ है और उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। बैकार में इस मामले को बार-बार उछाला जा रहा है।

इसी प्रकार पिछली सरकार के कार्यकाल में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। वहां नौकरियां बिकती थीं। उस समय

19.11.2026/1645/DT/AS-2

भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जैसे ही प्रदेश में वर्तमान सरकार स्थापित हुई वैसे ही मुख्य मंत्री जी ने उस सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और नौकरियां बेचने वाले लोगों के खिलाफ केस बनाए गए तथा वे जेल भी गए। अब वहां नया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड काम कर रहा है और पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है। प्रदेश में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई थीं। लेकिन अब प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सरकार द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वे कानून के आधार पर लिए जाते हैं। यहां कोई ऐसी संपत्ति नहीं बेची गई है।

जहां तक एच0पी0टी0डी0सी0 के होटलों का विषय है तो उनमें भी नियमों के अनुसार ही कार्य किया गया है। सरकार ने यहां कोई ऐसी अनियमितत नहीं की है। विपक्ष के साथी जो काम रोको प्रस्ताव नियम-67 के अंतर्गत लेकर आए हैं वह जनता का ध्यान भटकाने के लिए लेकर आए हैं। यहां श्री राकेश जम्वाल साहब बोलकर गए और बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे। सिविल सप्लाई

श्री ए0पी0द्वारा जारी....

19.11.2026/1650/डी0सी0/ए0पी0/-01

नियम-67 के अंतर्गत चर्चा जारी ....

श्री किशोरी लाल जारी .....

में रेट बढ़ गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र में किसकी सरकार है? आज प्याज का भाव क्या है? 60 रुपये किलो प्याज किसने किया? चीनी के भाव किसने बढ़ाए? जब बाजार में इन सभी चीजों के रेट बढ़ते हैं तो उसी तरह सिविल सप्लाई के रेट भी बढ़ेंगे। सिविल सप्लाई का सामान हिमाचल प्रदेश में थोड़ी तैयार होता है। जहां से हमारा सामान आता है, वहां रेट बढ़ने की वजह से प्रदेश में भी रेट बढ़ते हैं। आज बाजार में तेल का टीन खरीदेंगे तो उसकी कीमत 3,150 रुपये है। इसके लिए कौन दोषी है? क्या प्रदेश सरकार तेल बना रही है? क्या यहां तेल के कोल्हू लगाए हुए हैं। क्या यहां तेल निकाला रहा है? सारा सामान तो बाहर से आता है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप बड़े जोर-जोर से कह रहे थे कि चने की दाल के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए। अरे भाई, सारा सामान तो बाहर से आता है। आप तो वकील हैं, बाजार में जाकर देखिए कि क्या रेट चल रहे हैं। पी0डी0एस0 का सामान हिमाचल के किसी कारखाने में थोड़ी बनता है। ...(व्यवधान)

Chairman: Hon'ble Members, please don't disturb. ...(Interruption) माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी address to the Chair.

श्री किशोरी लाल : हम तो मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हल्दी के रेट बढ़ाए गए हैं। गेहूं के रेट बढ़ाए गए हैं। सरकार 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। जब किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तभी तो वे इसका उत्पादन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सिविल सप्लाई के रेट्स बढ़ रहे हैं तो इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? मुझे बताइए कि किसकी जेब में पैसा चला गया? आप यहां सदन में सनसनी न फैलाएं। कह रहे है कि यह हो गया, कभी वो हो गया, ऐसी बातें करते रहते हैं। जबकि प्रदेश सरकार सारे काम पारदर्शिता के साथ कर रही है। यहां घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी काम किए जा रहे हैं वे जनता के हित में किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में यहां शिक्षा की बात भी आई है। शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं। उन्होंने ऐसा कौन-सा बुरा काम कर दिया है? वर्ष 2022 में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था और आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके लिए

19.11.2026/1650/डी0सी0/ए0पी0/-02

कोई निर्णय नहीं लिए गए होंगे? तभी तो शिक्षा के क्षेत्र में यह सुधार हुआ है। क्या उन्होंने कोई जादू किया या कोई जादू की छड़ी घुमा दी, जिससे यह सब हो गया? आप सभी पढ़े-लिखे लोग हैं और आप तो वकील हैं। आप ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, जैसे आपको इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो नियम-67 के अंतर्गत यह चर्चा लेकर आए हैं उसमें कोई दम नहीं है। यह सब केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है और लोगों के हित में काम कर रही है। यहां पारदर्शिता है और सारे काम नियमों के अनुसार होते हैं। मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं। आज बी0बी0एम0बी0 से 1,000 करोड़ रुपये की आय होगी। यह आय कौन लेकर आ रहा है? क्या यह अपने आप आ गई? किशाऊ बांध से जो इनकम होगी क्या वह अपने आप आ जाएगी? प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किए हैं इसलिए ही ऐसा संभव हो पाया है। आज प्रदेश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप यहां तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि यह हो गया, वह हो गया, फलाना हो गया। जबकि सरकार का काम अच्छी तरह चल रहा है। हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों घबराइये मत। आप अपनी सरकार का पांच साल का कार्यकाल देखिए। उसमें क्या हुआ था, यह भी बताइए। हमारी सरकार के समय में कोई

घोटाला नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की पैरवी करती है और प्रदेश के हितों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी हर एक कदम फूंक-फूंककर रखते हैं। अगर यहां इस तरह घोटाले होने लगें तो इस माननीय सदन में कौन बैठ पाएगा? अब तो आप बाल-की-खाल निकालने में लगे हुए हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आप जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में लेकर आए हैं। इसमें कोई दम नहीं है। यह महज जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आपनी वाह-वाही लूटने के लिए किया जा रहा है। हम जनता के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपने भी अच्छा काम किया होता तो आप पिछली बार ही सत्ता पक्ष में होते। आपने गलत काम किए, तभी तो सत्ता से बाहर गये हैं। अब बताइए कि आपने कौन-से अच्छे काम किए थे? मैं बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो बैजनाथ में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज को मंजूर किया था उस समय मैं ही बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र का विधायक था।

श्री ए0टी0 जारी ...

19.11.2026/1650/AT/DC / 01

श्री किशेरी लाल जारी ....

मैं बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। बैजनाथ में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने पॉलिटेक्निक संस्थान स्वीकृत किया था। उस समय वर्ष 2012 से 2017 के बीच मैं विधायक था। जब आपकी सरकार सत्ता में आई तो माननीय महाराज परमार साहब उसे परौर क्षेत्र में ले गए। सिविल हस्पताल बैजनाथ में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को थुरल में ले जाया गया। यह भी भ्रष्टाचार ही है?...(व्यवधान) हमारे जो मंत्री थे उनसे हमें कुछ देने की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने तो उल्टा हमसे ले लिया। इसलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और होते हैं। यह केवल एक-दूसरे का समय खराब करने वाली बात है। पिछले तीन दिनों से चर्चा हो रही है लेकिन इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। आप जांच करके देख लीजिए।

आप जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कांगड़ा के लिए सबसे अच्छा काम किया है। सरकार ने कांगड़ा के छोटे हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। वहां हवाई अड्डे का विस्तार होगा बड़े विमान आएंगे और बाहर से पर्यटक आएंगे। इससे कांगड़ा के साथ-साथ पूरे हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। मुख्य मंत्री जी जिस प्रकार विकास कार्य कर रहे हैं उसमें भी आप उनकी टांग खिचाई कर रहे है।

आप कहते हैं कि वहां जमीनें बिक गईं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन-सी जमीनें बिक गईं? अब मैं पिछली सरकार के कार्यकाल की बात करता हूं। जब बैजनाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय वहां कइयों ने सरकारी भूमि पर कब्जे किए हुए थे। इस मामले को लेकर जगत सिंह नेगी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और संबंधित लोगों के पट्टे बनने थे। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले चार वर्षों में वहां के विधायक ने अपनी माता के नाम पर पट्टा बनवा लिया, जबकि शेष लोगों को पट्टे नहीं मिले। यह भी भ्रष्टाचार है? भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर क्यों नहीं बोलती? दो कोर्ट में पट्टे खारिज हुए हैं और अब संबंधित उच्च न्यायालय में गए हैं। दलितों के खिलाफ आज भी कई मामले दर्ज होते हैं और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसी घटनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में भी हुई हैं। गरीब लोगों को बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाते थे। जम्वाल साहब कहते थे

19.11.2026/1650/AT/DC / 02

कि यह हो गया, वह हो गया। कौन सा बड़ा पहाड़ गिर गया। गैस सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए और महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? भ्रष्टाचार में तो केंद्र सरकार संलिप्त है। जहां आपका बोलबाला है, वहां सब कुछ बिक रहा है। यहां मुख्य मंत्री जी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रदेश की सेवा की है, वह सराहनीय है। आप नियम 67 के तहत यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह बेबुनियाद है और इसका कोई आधार नहीं है। इसमें केवल मनगढ़ंत बातें कही गई हैं। कभी वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला ले आते हैं, कभी कोई दूसरा मामला और कभी तीसरा मामला ले आते हैं, लेकिन

किसी भी मामले में कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को वापस लें क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। सभापति महोदय, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला (तपोवन) **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 19.11.2026 **सचिव।**